राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६० का २०वां दिवस [संख्या १४

शनिवार, १० सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत शासन, सार्वजनिक निर्माण, गृह, विद्युत, सिचाई, स्वास्थ्य एवं यातायात-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ४७८

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

नगर विकास योजना, भरतपुर

४७९. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या सरकार ने भरतपुर नगर विकास की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो वह क्या है? उसकी रूपरेखा सदन की मेज पर रखी जाये।

(ख) क्या सरकार ने उक्त विकास कार्य के लिए कोई रकम भी निर्धारित की है? यदि हां, तो कितनी?

(ग) क्या अभी तक कोई रकम उक्त कार्य के लिए दी गई है? यदि हां, तो कितनी और कब कब दी गई है?

(घ) क्या राज्य सरकार को पता है कि इस समय भरतपुर अत्यन्त अविकसित अवस्था में है? यदि हां, तो क्या उसको उन्नतावस्था में पहुँचाने का सरकार का विचार है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

Page No.2

(श्री सम्पतराम)

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां, भरतपुर नगरपालिका को नगर विकास की योजना एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा अनुमोदित करवा कर शीघ्र भेजने हेतु लिखा गया है परन्तु वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : '(घ)' और है, इसका जवाब भी तो दो ।

श्री सम्पतराम : जी हां ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास की योजना का जहां तक मुझे स्मरण है वहां पहले भी सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड के नाम से एक योजना सरकार की तरफ से काम करती रही है और मैं समझ नहीं सकता कि वह खत्म हो गई, उसके स्थान पर कोई दूसरी संस्था आ गई है ।

श्री सम्पतराम : बोर्ड का सवाल तो बिल्कुल अलग है क्योंकि वहां का विकास का काम नगरपालिका करती है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : नगरपालिका में अब भी कलेक्टर, इन्जीनियर इस तरह का सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड के नाम से बनाया हुआ है ।

श्री सम्पतराम : कानून में परिवर्तन होने के बाद अब उसका कोई एग्ज़िस्टेन्स नहीं रहा ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इस नये कानून के मुताबिक क्या नया सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड बनाया जायेगा ?

श्री सम्पतराम : इस तरह का कोई सवाल अभी विचाराधीन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा सरदारसिंह ।

टोडारायसिंह—केकड़ी सड़क निर्माण योजना

४८०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार की, टोडारायसिंह से केकड़ी तक सड़क बनाने की कोई योजना है ? अगर हां, तो यह सड़क किन किन ग्रामों में होकर जावेगी ?

(ख) क्या यह सही है कि टोडा से नासिरदा—थांवला—डाबर होती हुई मालेहड़ा के पास की सड़क को देवली से अजमेर जाने वाली सड़क से मिलाने की योजना स्वीकृत हो चुकी थी ?

(ग) क्या यह भी सही है कि सड़क के टेन्डर भी मन्जूर होकर मैटीरियल साइड पर इकट्ठा हो चुका है ? अगर हां, तो यह कितनी बन चुकी और कितनी बननी बाकी है ? अगर यह नहीं बनी, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां, प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) टोडारायसिंह से नेगड़िया वाया वासू नासिरदा तथा थांवला होकर सड़क निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है ।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(ग) प्रश्न (ख) के उत्तर में दिये गये मार्ग पर ५ मील सड़क का ठेका दिया गया था मगर वह कार्य बिसालपुर बांध के डूब में आने की सूचना पर ठेकेदार को कार्य न करने की आज्ञा दे दी गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि बनास का बंध बनने से डूब में आया इसलिए कार्य स्थगित कर दिया गया, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो बनास के बंध बनने से डूब में आने वाले गांवों की लिस्ट दी है उसमें तो नासरदा थांवला का जिक्र ही नहीं है कि वह डूब में आते हैं। जब डूब में नहीं आते हैं तो फिर आपने यह कैसे फरमाया ?

श्री हरिश्चन्द्र : कौनसी लिस्ट आपके पास है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैंने अर्ज किया कि आपने कहा कि बनास के बंध बंधने से गांव डूब में आयेंगे, इसलिए उसको केन्सिल किया गया। मैं निवेदन करूं कि बनास के बंध के कारण जितने गांव डूब में आये उनकी लिस्ट मेरे पास है, उसमें न नासरदा का नाम है और न थांवला का नाम है।

श्री हरिश्चन्द्र : यहां गांवों के डूब में आने का प्रश्न नहीं है, यहां तो सड़क का प्रश्न है। जैसा पहले अलाइनमेंट लिया गया था, इसकी सूचना यह है कि वह डूब में आयेंगे इसलिए उसका काम बन्द कर दिया गया।

रावराज श्री सरदारसिंह : जब सिंचाई मंत्री ने यह सूचना दे दी कि बनास के बंध बनने से जो नासरदा और थांवला है यह डूब में नहीं आयेंगे तो जो पहले प्रपोज़ल था तो आगे जब यह डूब में नहीं आयेंगे तो टोडा से नासरदा–थांवला–डावर से मालेहड़ा मिलाने की योजना यही रहेगी या और रहेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : हो सकता है, गांव डूब में न आयें मगर जो सड़क है उसका पोर्शन डूब में आ सकता है इसलिए काम बन्द कर दिया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : लेकिन जो सड़क टोडा से जायेगी वह गांव में से ही होकर जावेगी। गांव के अन्दर होकर ठेका हुआ था इसलिए उसके डूब में आने का प्रश्न ही जाता रहा और जब सड़क गांव में होकर जायेगी तो इसको केन्सिल करने की क्या जरूरत थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो सूचना हमारे विभाग को मिली है। उसमें यही है चूंकि वह सड़क डूब में आयेगी इसलिए काम बन्द कर दिया जाये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं निवेदन करूं कि सिंचाई मंत्री ने कह दिया कि यह गांव डूब में आयेंगे, तो क्या माननीय निर्माण मंत्री महोदय उनसे परामर्श करेंगे कि वास्तव में गांव डूब में नहीं आयेंगे इसलिए उधर होकर सड़क लाई जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसको वैरीफाई करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

Page No.4

विश्व कृषि मेला, १९५९-६० में संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को प्राप्त हुए पारितोषिक

४८१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) विश्व कृषि मेला के १९५९-६० में जो चार पारितोषिक संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय ने प्राप्त किये हैं वे किन किन विभागों को, कौन कौन से कार्यों पर मिले तथा किस किस श्रेणी के हैं ?

(ख) इन चार पारितोषिकों में से क्या कोई इनाम सार्वजनिक सम्पर्क विभाग को भी मिला है ?

(ग) जब ये इनाम अलग अलग विभागों को मिले थे तो संचालक महोदय किसके आदेश से उन सबके इनाम बटोर लाये ?

(घ) क्या जिन विभागों के ये इनाम मिले उनके विभागाध्यक्षों ने इनको इनाम की डिलीवरी लेने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था ? यदि नहीं, तो फिर उनके अनाधिकृत कार्य के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(ङ) क्या यह सही है कि मुख्य सचिव महोदय ने संचालक महोदय से इस व्यवहार का स्पष्टीकरण मांगा है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि मय जबाब के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(च) इस इनाम को हासिल करने के मंगल पर्व पर संचालक महोदय के कितने चित्र विभागीय खर्चे पर लिये गये और उनके लेने में कुल कितना खर्चा हुआ ?

(छ) क्या यह चित्र डाक द्वारा अखबारों को भेजे गये ? यदि हां, तो किस किस अखबार को और उन चित्रों व डाक खर्च की कितनी लागत बैठी और यह चित्र किसके आदेश से भेजे गये ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) विश्व कृषि मेले में पशुपालन विभाग को मिले २ विशेष पारितोषिकों के अतिरिक्त राजस्थान को निम्न चार पारितोषिक और मिले थे।

(१) भवन निर्माण कला परम प्रशंसित

(२) प्रदर्शन परम प्रशंसित

(३) विक्रय क्षेत्र द्वितीय पुरस्कार

(४) ग्राम आवास विभाग विशेष पुरस्कार

इनमें से एक स्वयं संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय ने प्राप्त किया था, एक राजस्थान मंडप के अधिकारी सहायक संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, ने तथा एक एक कृषि एवं उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों ने उपराष्ट्रपति महोदय से अंगीकृत किया था। अतएव यह कहना सही नहीं है कि चारों पारितोषिक स्वयं संचालक ने प्राप्त किये थे। वे चारों पारितोषिक राजस्थान राज्य के थे, किसी विभाग विशेष के नहीं।

(ख) जैसा कि कहा गया, चारों पारितोषिक राजस्थान राज्य को दिये गये थे, उसके किसी विभाग को नहीं। संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय राजस्थान मण्डप के सर्वोपरि अधिकारी थे और यदि ये चारों पारितो-

(श्री रामकिशोर व्यास)

पिक स्वयं भी अंगीकार कर लेते तो भी अनुचित नहीं होता। ग्रामीण मकान का काम सीधा रूरल हाउसिंग (विकास विभाग) ने किया था, बाकी सब काम सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय की देखरेख में ही हुआ था, अतएव यदि एक किसी विभाग को श्रेय देने का सवाल है तो कम से कम तीन पारितोषिकों के लिए इसी विभाग को श्रेय दिया जाएगा।

(ग) इनाम अलग अलग विभागों को मिले ही नहीं थे, न संचालक ने सब इनाम स्वयं प्राप्त किये थे। चूंकि ये ही मण्डप के अधिकारी थे इसलिए वे सब इनाम स्वयं दिल्ली से जयपुर अपने साथ जरूर लाये थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह सही नहीं है।

(च) इन इनामों को राज्य की ओर से जिन चार अधिकारियों ने प्राप्त किया उन सब के चित्र लिये गये। पत्रों को इनमें से एक, संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के चित्र की ६८ प्रतियां भेजी गईं। इनमें से दिल्ली से भेजी गईं ८ प्रतियों पर १२)रु० खर्चा हुआ। बाकी प्रतियां कार्यालय से बना कर भिजवायी गयी थीं, अतएव उनका इस तरह का हिसाब नहीं बताया जा सकता।

(छ) ५६ चित्र डाक द्वारा भेजे गये थे। जिन अखबारों को भेजे गये उन अखबारों की सूची उपलब्ध नहीं है। इस पर ८ रु० ४० नये पैसे डाक खर्च हुआ। यह चित्र सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय ने (उसके संचालक के आदेश से) अपने नियमित कार्य अंग के रूप में भेजे थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सत्य है कि जिनको पुरस्कार मिला था, क्या उन विभाग के विभागाध्यक्ष को यह सूचना दी थी कि यह आपके विभाग को पुरस्कार मिला है और इसे आप या आपका कोई प्रतिनिधि ले ले ?

श्री रामकिशोर व्यास: पुरस्कार तो विभाग को मिले ही नहीं, गवर्नमेंट को मिले थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा कि आवास विभाग को मिला, भवन निर्माण को मिला। तो आपका मतलब है कि यह डिपार्टमेंट को नहीं मिला और गवर्नमेंट को मिला है ? यह सब अलग अलग डिपार्टमेंट को ही तो मिला है।

श्री रामकिशोर व्यास : आर्गेनाइज़ तो जनसम्पर्क कार्यालय ने ही किया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्वयं संचालक, जनसम्पर्क को कोई इनाम नहीं मिला ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि गवर्नमेंट को मिला है। हां, उस एग्ज़िबिशन को आर्गेनाइज़ जनसम्पर्क कार्यालय ने किया था।

श्री मुरलीधर व्यास : गवर्नमेंट को मिला है सो तो ठीक है, लेकिन जो अलग अलग विभाग हैं और जब उनके नाम से मिला तो उनको ही क्यों नहीं दिया ?

Page No.6

श्री रामकिशोर व्यास : पर इनाम तो स्टेट को मिला था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई आदेश जारी कर रखा है कि कोई अधिकारी किसी भी अवसर पर अपना चित्र सरकारी खर्चे पर नहीं खिंचवाये ?

श्री रामकिशोर व्यास : It was a great credit for Rajasthan, और उसका चित्र लिया ही जाना चाहिए था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि क्या इस प्रकार का कोई आदेश या परम्परा राजस्थान सरकार की ओर से है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वे अपना चित्र, उद्घाटन वगैरह के, सरकारी खर्चे पर नहीं खिंचवायें ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह इनाम गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से मिला था । इनाम को लेना था और सभी के चित्र खिंचवाये जाते थे । सब का खिंचवाया तो ठीक है । आप इसे व्यक्तिगत रूप से न देखें । वर्ना राजस्थान गवर्नमेंट को कुछ इनाम मिले तो उनका चित्र खिंचवाया तो यह तो एक अच्छी ही बात थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चार विभागों को इनाम मिला और चार अधिकारियों के चित्र खिंचवाये, तो क्या यह सही है कि और किसी भी अधिकारी का चित्र नहीं छपा और संचालक का ही चित्र छपा ?

श्री रामकिशोर व्यास : तो सब के थोड़े ही छपते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके लिए किसने आदेश दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसने क्या, वह तो स्वयं हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि दिल्ली से एक अखबार 'ज्योतिष' निकलता है उसमें जन सम्पर्क विभाग की कुण्डली भी छपी है और उसमें पंडित नेहरू संचालक के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है ।

श्री पी.के. चौधरी : यह कहां तक उचित है कि पंडितजी इस तरह से संचालक के सामने हाथ जोड़ रहे हैं और संचालक साहब प्राइज़ ले रहे हैं ? इस प्रकार का फोटो छपना कहां तक उचित है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अखबार-वाले कुछ भी छाप सकते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : The Prime Minister of India was bowing to him.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डाइरेक्टर साहब का जो फोटो छपा वह फोटो किसके आदेश से अखबार में छपा ?

श्री रामकिशोर व्यास : हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट की आज्ञा से ।

श्री अध्यक्ष : हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट है, इसलिये आदेश की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह नहीं छपवा सकते, यह नियमों के विरूद्ध है। या तो आप यह कहें कि जो भी हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट है वह सभी बिना किसी आदेश के फोटो छपवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय तो स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार की पाबन्दी है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा यह कोई नाराजगी की बात नहीं। बरन् यह बहुत गर्व की बात है कि सरकार को इतने प्राइजेज़ मिले। आम तौर से यह रिवाज़ है कि ऐसे विशेष अवसरों पर चित्र लिये जाते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : प्राइजेज़ की तो चित्र छाप दी, लेकिन कुण्डली विभाग की जिसमें पंडितजी हाथ जोड़ कर खड़े हैं यह कैसे छप सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो आप अलग से सवाल पूछिये।

श्री पी० के० चौधरी : यह तो 'ज्योतिष' अखबार में छपा है, इसको सब जानते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस समय पुरष्कार दिये थे उस समय राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव भी वहां मौजूद थे, क्या यह सही है; और जो इसको ग्रहण कर सकते थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया वही करते थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चीफ सेक्रेटरी जब कि वह राजस्थान गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्ट करता है अच्छा होता यदि वह लेते। अखबारों में फोटो छपवा दी और होम मिनिस्टर साहब से उनको प्रोटेक्शन मिल गई और ऐसा लगा जैसे कि संचालक जन सम्पर्क कार्यालय को ही सारे पारितोषिक मिले और दूसरों को नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

किशनगढ़ वाटर वर्क्स से शहर की जनता को पानी की उपलब्धि

४८२. श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा [किशनगढ़–डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) अजमेर डिस्ट्रिक्ट के किशनगढ़ वाटर वर्क्स से शहर की जनता को पानी देना कब शुरू कर दिया जायेगा ?

(ख) अब इसमें क्या काम बाकी है ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री सम्पत-राम) : (क) बिजली मिलने के ३ महीने बाद पानी देना शुरू कर दिया जायेगा। तीन महीने मशीनें टेस्ट करने तथा लाइनें साफ करने में लग जायेंगे।

(ख) वाटर वर्क्स का निर्माण प्राय: हो चुका है, केवल बिजली की लाइन वाटर वर्क्स तक आनी शेष है। इसके लिए बिजली विभाग को लिखा जा चुका है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : बिजली की लाइन डलकर कब तक समाप्त हो जायेगी ?

Page No.8

श्री सम्पतराम : मैं स्वयं इसके लिए ज्यादा चिंतित हूँ। उससे लोगों को बिजली भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बिजली वितरण की दरों में असमानता

४८३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में विभिन्न जगहों पर बिजली वितरण की रेट क्या क्या है? क्या रेट में समानता लाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

(ख) भाखरा की बिजली कहां कहां दी जा रही है? जहां जहां भाखरा की बिजली दी जा रही है वहां बिजली की दरों में कमी की गई या नहीं?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (**श्री हरिश्चन्द्र**) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। डॉमेस्टिक लाइट व पॉवर की रेट्स को छोड़ कर और रेट्स में कमी की गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : आपने सूची सदन की मेज पर रख दी है। मेरा प्रश्न था कि ये रेट्स जो हैं वे समान क्यों नहीं होतीं? इसके लिए आपने बताया कि कठिनाई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कठिनाई है; कि राजस्थान में सब जगह एक समान रेट्स क्यों नहीं हो सकते?

श्री हरिश्चन्द्र : यह आपने जो प्रश्न रखा है वह टेरिफ कमेटी के अन्डर एग्ज़ामिनेशन (विचाराधीन) है। लेकिन जो पॉवर जेनरेट होता है वह राजस्थान में हाइडल, डिज़ल और स्टीमर से होता है और इन तीनों के सिस्टम अलग अलग हैं। इसलिये इनकी एक रेट करने में मुश्किल है सरकार को। It may be impossible to do it, but still the matter is under consideration.

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरा, जैसा कि भाखरा की बिजली के बारे में जवाब दिया कि जहां पर भाखरा की बिजली दी गई है वहां पर रेट कम कर दिए हैं, यहां जो इसके अन्दर रेट कुछ के तो दिए हैं वहां भाखरा की बिजली ही मिल रही है फिर कौन से रेट कम किए गए हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : आपके पास सूची मेज दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : जनरल रेट पुराने की दी गई है। अभी जहां भाखरा से बिजली मिल रही है वहां ऐसे कौन से रेट कम कर दिए? वह लिस्ट नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : भाखरा में जो सप्लाई हो रही है वहां रेट कम किये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां कहां किया? इसके अन्दर तो दिए नहीं हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां २ सप्लाई हो रही है उसकी सूची आपके पास मौजूद तो है।

श्री मुरलीधर व्यास : ये तो जनरल रेट्स हैं पहले जो सारे राजस्थान में थे।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां २ डोमेस्टिक लाइट एन्ड पॉवर सप्लाई हो रही है वहां पर रेट में कमी होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : कमी कर दी गई है, यह आपने कहा है; कमी होगी नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र : डोमेस्टिक लाइट एन्ड पावर को छोड़ कर कमी की गई है।

श्री अध्यक्ष : डोमेस्टिक लाइट एन्ड पॉवर के बाद तो फिर बाकी क्या रहा ?

श्री हरिश्चन्द्र: Power for Industries and Agriculture.

श्री मुरलीधर व्यास : जो पॉवर भाखरा की मिलनेवाली है तो यह रेट तो पहले की है।

श्री हरिश्चन्द्र : लेटेस्ट रेट्स हैं, उसके पहले के नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें तो दिया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप तो स्पष्ट कह रहे हैं कि शिड्यूल्ड रेट्स हैं जो पहले से कम हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले जो इंडस्ट्रीज की रेट्स रही हैं उससे कम हैं, लेकिन अभी तक तो वही रेट्स हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बतायें कि कहां पर नहीं है ? वह तो निश्चित तौर से कह रहे हैं कि कम रेट्स हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज कर दिया कि डोमेस्टिक लाइट एन्ड पॉवर के रेट्स को छोड़ कर जो इन्डस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के लिए पॉवर सप्लाई है उसमें कमी की गई है और जहां २ भाखरा की सप्लाई हो रही है उसकी सूची आपके सामने रख दी गई है। जहां २ भाखरा की सप्लाई हो रही है उन दोनों को छोड़ कर और जगह कमी करदी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो भाखरा के गांवों के बाद दूसरे गांव नहीं आयेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी उनके लिए प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

जयपुर सूचना केन्द्र के सूचना अधिकारी

४८४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर सूचना केन्द्र के सूचना अधिकारी कौन हैं और इनकी नियुक्ति कब, किसने और किस ग्रेड में की ?

(२) क्या सूचना अधिकारी की जगह एडवर्टाइज की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या इस जगह की पूर्ति करने के लिए जन सेवा आयोग को लिखा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह एक गजटेड पोस्ट है और

Page No.10

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्या इस पद के लिए जन सेवा आयोग की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) श्री कमलकिशोर जैन जयपुर सूचना केन्द्र के अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति गृह विभाग द्वारा १६ जुलाई, १६५८ को की गई।

(२) जी नहीं। जन सम्पर्क अधिकारियों एवम् सूचना अधिकारी के पदों की योग्यता समान होने के कारण इस पद को जन सम्पर्क अधिकारियों के पदों के चुनाव के साथ साथ सूचना अधिकारी के पद के लिए चुनाव करने का जन सेवा आयोग को लिखा गया था।

(३) जी हां।

(४) जी हां। जन सेवा आयोग की स्वीकृति दिनांक ४ मार्च, ५८ को प्राप्त कर ली गई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या जन सेवा आयोग की (Concurrence) ली गई थी श्री कमलकिशोर के अपोंइन्टमेंट के बारे में ?

श्री रामकिशोर व्यास : जन सेव-आयोग को लिखा कि सूचना अधिकारी की जरूरत है, आप सिलेक्शन कर दो, उन्होंने भेज दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि पी० एस० सी० ने सिलेक्शन किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, किया है, मैंने कहा न आपको।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सूचना अधिकारी की पोस्ट को एडवर्टाइज़ नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जन सम्पर्क अधिकारियों के लिए एडवर्टाइज़ किया था लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन एक ही थी इसलिए उन्होंने दुबारा एडवर्टाइज़ करना मुनासिब नहीं समझा होगा।

श्री अध्यक्ष : क्या श्री कमलकिशोर ने इस पोस्ट के लिए एप्लाई किया था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, श्री कमलकिशोर ने सूचना अधिकारी की पोस्ट के लिए एप्लाई नहीं किया।

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे पास तो पी० एस० सी० ने सिलेक्ट करके भेजा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर्स के लिए एप्लाइ किया होगा लेकिन सूचना अधिकारी की पोस्ट के लिए क्या उन्होंने एप्लाई किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : एप्लाई नहीं करते तो सिलेक्शन कैसे हो जाता ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

Page No.11

जयपुर शहर की बस्सी सीतारामपुरा योजना

४८५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर शहर की बस्सी सीतारामपुरा योजना नगर विकास मण्डल द्वारा तैयार की जाकर सरकार के पास स्वीकृति के लिए कब भेजी गई ?

(२) इस योजना के सम्बन्ध में सरकार की स्वीकृति कब मिली तथा अलॉटमेन्ट कब शुरू हुए ?

(३) योजना स्वीकृत हो जाने के बाद भी उसे अब क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया है ?

(४) क्या सरकार महसूस करती है कि इस प्रकार योजनाओं में विलम्ब होने के कारण जनता को बहुत असुविधा और परेशानी होती है ?

(५) अब बस्सी सीतारामपुरा योजना के अन्तर्गत कब तक प्लॉट अलॉटमेंट आदि का काम शुरू हो जायगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) यह योजना नगर विकास मंडल द्वारा तैयार की जाकर ता० १८-६-५८ को राजस्थान सरकार को प्रेषित की गई।

(२) यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकार कर दी, परन्तु अलॉटमेंट अभी तक चालू नहीं हुए हैं।

(३) जमीन को एक्वायर करने की कार्यवाई पूरी नहीं होने से।

(४) जी हां।

(५) शीघ्र ही ट्रस्ट कायम तथा एक्वीज़िशन पूरा होने पर कार्य शुरू कर दिया जायगा।

डॉ० चन्द्रकला : जमीन को एक्वायर करने की जो कार्यवाही है उसको पूरा करने में क्या अड़चन है ?

श्री सम्पतराम : उसके लिए कानून बना है, कोई अड़चन नहीं है; स्थिति बिल्कुल साफ है, लेकिन एक्वायर करने की कार्यवाही करने में देर लगी है।

डॉ० चन्द्रकला : जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही कब शुरू की गई ?

श्री सम्पतराम : इसकी निश्चित तारीख तो मैं इस समय नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है ५, ६ के नोटिस निकल चुके हैं और ७, १७ के नोटिस निकलने बाकी हैं।

डॉ० चन्द्रकला : कब तक निकल जायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न सं० ४८६

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह।

जिला भरतपुर में सिंचाई बांधों के संधारण, मरम्मत तथा निर्माण हेतु किया गया व्यय

४८७. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :-

(1) What has been the yearwise expenditure incurred in the maintenance, repairs and construction of Irrigation Bunds in the Bharatpur District during the Second Five Year Plan ?

(2) Was in any year the expenditure sanctioned not fully incurred by the department in the district ? If so, what were the reasons therefor ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भरतपुर जिले में बांधों व नगरों के निर्माण व मरम्मत पर हुए खर्चे की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। कुछ सालों में पूरा रुपया खर्च नहीं किया जा सका। रुपये की बचत नये कामों पर हुई है क्योंकि भरतपुर फीडर का काम राजस्थान व उत्तर प्रदेश की संयुक्त योजना है और उत्तर प्रदेश में जितना रुपया राजस्थान से मांगा था उसका बजट प्रावधान किया गया लेकिन उन्होंने उतना रुपये का उपयोग नहीं किया।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

मौजा घरणवास (सांचोर) में हुआ श्री प्रेमा राइका का कत्ल

४८८. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि मौजा घरणवास, तहसील सांचोर में सन् १९५९-६० में श्री प्रेमा राइका का कत्ल हुआ था ?

(ख) क्या यह सही है कि इस मुकदमे की तफ्तीश श्री नाथाराम, सी० आई० ने की थी ?

(ग) क्या यह सही है कि श्री नाथाराम के विरुद्ध इस बात की लिखित शिकायत की गई थी कि उन्होंने रिश्वत लेकर मुलाजिमान को छोड़ दिया है ? यदि हां, तो इसकी इन्क्वायरी यदि हुई हो तो उसका क्या परिणाम रहा ?

(घ) इस मुकदमे में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा कितनों का चालान हुआ ? इस कत्ल के क्या तथ्य हैं तथा अब यह मामला किस स्टेज पर है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, इसकी हत्या दिनांक २३-८-५९ को हुई थी।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं, घूसखोरी की कोई शिकायत नहीं हुई, किन्तु मुकदमे का चालान शीघ्र दिलवाने हेतु प्रार्थना-पत्र अवश्य पेश हुए थे। अतः जांच का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ।

(४) २५ अभियुक्त गिरफ्तार किए

(श्री रामकिशोर व्यास)

गए और पच्चीसों का ही चालान किया गया। मुकदमा जेर तजवीज अदालत है। तफतीश से यह ज्ञात हुआ है कि पीरदान चारण ने अपने खेत नं० ३३१ करीब १२ बीघा में बाजरी बोई थी। दिनांक २३-८-५६ को प्रातः जब वह तथा उसका भाई पुरददान खेत में पहरा दे रहे थे २५ अभियुक्त खेत पर लाठी एवं धारियां लिये पहुंचे तथा कुछ ने उनकी मारपीट शुरू की व दीगर ने फसल उखाड़ना शुरू किया। प्रेमा रेबारी जो पासवाले खेत की रखवाली करता था बीच-बचाव करने आया तो उसकी भी कुछ अभियुक्तों ने धारियों तथा लाठियों से मारपीट की जिससे प्रेमा मर गया। अभियुक्तों ने कुल ३ बीघा में फसल उखाड़ी। मुकदमा चालान होकर जेर तजवीज है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए और कितनों का चालान हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया न कि २५ को गिरफ्तार किया गया और २५ का ही चालान हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : कत्ल होने के कितने दिन बाद चालान हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : ५-१-१९६० को चालान हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सत्य है कि श्री नाथाराम ने १७ आदमियों को पेश करने की रिपोर्ट नहीं दी थी।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री गंगा थियेटर, बीकानेर का ठेका

४८६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) बीकानेर में श्री गंगा थियेटर का ठेका कब, किसको, किन शर्तों पर दिया गया है ?

(ख) अब तक सरकार को इस ठेके से कितनी आमदनी हुई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) मैसर्स बालाबक्स आनन्दराज को दिनांक १-८-५८ को। शर्तों (लीज़ डीड) की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) अब तक रु० ४०,१८५.४७ नये पैसे की।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : जब उनको कॉन्ट्रेक्ट दिया गया था तो सिनेमा चलाने के लिये दिया गया था या यों ही रखने के लिये दिया गया था ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऑक्शन से हाईएस्ट बिडर को दिया गया था।

श्री मुरलीधर व्यास : सिनेमा जो कि

Page No.14

(श्री मुरलीधर व्यास)

लोगों के एम्युज़मेंट का साधन है उसके लिये ठेका दिया गया था या यों ही पड़ा रखने के लिये दिया गया था ?

श्री हरिश्चन्द्र : सिनेमा के लिये दिया गया था ।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां सिनेमा चल रहा है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : पहली बात तो यह है कि वहां पर सिनेमा चलता नहीं है । दूसरी बात यह है कि उसकी शर्त के अनुसार ३,३२५. रु० माहवार का वह पेमेन्ट करेगा । उसको ठेका दिये करीब २ साल हो गये । उसकी पूरी रकम ८०,००० रु० के लगभग होती है उसमें से सिर्फ ४० हजार रुपये एक साल के मिले हैं, दूसरे साल के रुपये क्यों नहीं मिले ?

श्री हरिश्चन्द्र : रिकवरी की कोशिश की जा रही है । उसके खिलाफ पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही चल रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जब एग्रीमेंट में यह लिखा हुआ है कि ३ महीनों तक उसके पैसे नहीं आयेंगे तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और उसके एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जायगा । एक साल तक तो उसका पैसा आया उसके तीन महीने बाद भी पैसा आता तो ठीक था । जब पैसा नहीं आया तो उसके लीज़ एग्रीमेंट को कैंसिल क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह मामला अंडर लीगल एग्ज़ामिनेशन है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें लीगल क्या है ? जब उसके एग्रीमेंट में लिखा है कि ३ महीनों तक पैसे नहीं देगा तो उसका लीज़ एग्रीमेंट कैंसिल किया जा सकता है, तो कैंसिल क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि लीगल एग्ज़ामिनेशन किया जा रहा है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

आदर्शनगर, जयपुर में डिस्पेन्सरी

४६०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि आदर्श नगर, जयपुर की बस्ती में सरकार ने डिस्पेन्सरी के लिए कोई भवन निर्माण किया है ?

(ख) अगर हां, तो यह भवन कब पूरा हुआ और क्या इसमें डिस्पेन्सरी शुरू हो गई है ?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) यह सच है कि आदर्श नगर, जयपुर में २६. ५. ६० को होस्पिटल खोलने की आज्ञा दी गई ।

(ख) यह भवन कब पूरा होगा, इसकी जानकारी विभाग को नहीं है लेकिन डिस्पेन्सरी २६. ८. ६० से चालू हो गई है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वहां पर कम्पाउन्डर है या डाक्टर है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्पेन्सरी चालू हो गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : डिस्पेन्सरी तो कंपाउन्डर या ड्रेसर को भी भेज कर चालू कराई जा सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यदि वहां पर डाक्टर नहीं पहुँचा है तो अब पहुँच जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

पुलिस स्टेशन सदर, जयपुर द्वारा श्री प्रभुसिंह, मुलाजिम मोटर गैरेज, जयपुर की गिरफ्तारी

४६१. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि पुलिस स्टेशन सदर, जयपुर द्वारा श्री प्रभुसिंह, पुत्र श्री सरवरसिंह राजपूत, मुलाजिम मोटर गैरेज, जयपुर को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था ? यदि हां, तो कब थाने में बुलाया गया, कब गिरफ्तार किया गया तथा कब छोड़ दिया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि जिस चोरी में श्री प्रभुसिंह को गिरफ्तार किया गया था वह माल किसी अन्य के पास बरामद हुआ है ? यदि हां, तो कब और किसके पास ?

(ग) क्या यह सही है कि कुछ माल बरामद होने के बाद श्री प्रभुसिंह को थाने में फिर बुलाया गया तथा उसको मारा गया जिसकी शिकायत मोटर गैरेज के सब कर्मचारियों ने मिल कर उच्चाधिकारियों से की थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(घ) क्या श्री प्रभुसिंह का डॉक्टरी मुआयना भी कराया गया है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, वह थाने पर ता. ९. १२. ५९ को ११ बजे बुलाया गया और उसी दिन उसको १२. ५ पी. एम. गिरफ्तार किया गया और ता. २२. १२. ५९ को सिटी मजिस्ट्रेट ने जमानत पर उसे छोड़ दिया।

(ख) जी हां, तारीख ३१. १२. ५९ को मुसम्मात चौसर के पास से कुछ माल मसरूका बरामद किया गया और तारीख १. १. ६० को व ५. १. ६० को मुसम्मात मेवा के मार्फत रहन रखा हुआ माल दिनांक ४. १. ६० को चौथूराम राणा निवासी, सीकर वाले से और घीसूमल, जयपुर वाले से और तारीख ७. १. ६० को दीवानचन्द सर्राफ जयपुर से बरामद किया गया था।

(ग) जी हां, उपरोक्त माल बरामद होने के पश्चात् वो फिर थाने पर ३१. १२ ५९ को ११. ५५ ए. एम. पर बुलाया गया और बाद पूछताछ ७. ५५ पी. एम. को वापिस उसी दिन जाने दिया गया। उसको बिल्कुल नहीं पीटा। कुछ मोटर गैरेज के कर्मचारियों ने एस. पी. को शिकायत की जिसकी जांच की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

Page No.16

श्री भैरोंसिंह : क्या शिकायत करने के बाद एस. पी. ने श्री प्रभुसिंह का डॉक्टरी मुश्रायना कराया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या श्री प्रभुसिंह को उन्होंने मजरूबा हालत में एस. पी. के पास पेश किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसका प्राइवेटली मुश्रायना कराया गया था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनको थाने में पीटा गया उसके बाद डॉक्टरी मुश्रायना कराया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जानकारी नहीं है कि एस. पी. के सामने उसको पीटा गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि थाने से निकलने के बाद ही उसका डॉक्टरी मुश्रायना कराया गया और उसको थाने में पीटा था उसकी चार, पांच चोटें थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्राइवेट तौर पर उसका मुश्रायना कराया गया था । जो शिकायत आई है उसकी इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब आप कहते हैं कि डॉक्टरी मुश्रायना नहीं कराया गया तो क्या उसको वहां पीटा गया था या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्क्वायरी करा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसकी इन्क्वायरी कौन कर रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : एस. पी. कर रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : इस इन्क्वायरी में विलम्ब क्यों लग रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : विलम्ब कहां हो रहा है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि किसी सरकारी मुलाजिम को बुलाकर पीटना भी एक कॉग्निजेबल ऑफेन्स है ?

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है । सरकारी मुलाजिमों को बुलाकर पीटते हैं....

श्री अध्यक्ष : This is a question of opinion.

श्री भैरोंसिंह : This is a fact. This is not a question of opinion.

श्री अध्यक्ष : Do you know that? आपको जानकारी है तो क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं इसलिये पूछ रहा हूं कि सरकारी कर्मचारियों को बुलाकर पीटते हैं। यह कॉग्निजेबल ऑफेन्स है। यह लैस इम्पोर्टेन्ट बात नहीं है । एक सरकारी मुलाजिम को थाने में बुला कर पीटा जाय तो उसका नतीजा क्या होगा ?

Page No.17

श्री रामकिशोर व्यास : कम्प्लेनेन्ट का उसके प्रति बड़ा स्ट्रोन्ग सस्पीशन था, वह उसी मकान में रहता था, उसकी वहां पर आमदरफ्त थी, माल भी वहीं पर बरामद हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : एक आदमी को १८ दिन तक पीटा और फिर भी उसके पास माल नहीं मिला और तीसरे ही आदमी के पास माल मिला। उसको पीटना एक कॉग्निजेबल ऑफेन्स है। पर आप कहते हैं कि यह कॉग्निजेबल ऑफेन्स नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वे इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : ६ महीने हो गये लेकिन अब तक जांच ही हो रही है। पब्लिक को पीटते हैं तो वह पिटती रहेगी लेकिन गवर्नमेंट सर्वेन्ट को पीटा गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : Why should he not file a complaint then ?

श्री भैरोंसिंह : No. There is no question of filing a complaint. He has lodged it with the S. P. This is now for the S. P. to take action.

श्री अध्यक्ष : श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा।

भीमसर-उदयपुर सड़क

४६२. **श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा** : [किशनगढ़–डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) भीमसर से बड़े उदयपुर तक जो सड़क बन रही थी क्या वह बन कर तैयार हो चुकी है ?

(ख) अगर नहीं, तो अब कब तक बस इत्यादि के आवागमन के लायक बन कर तैयार हो जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : भीमसर से बड़े उदयपुर तक के नाम की सड़क न तो मंजूर ही हुई है और न बन ही रही है।

(ख) कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : यह कोई और स्थान तो नहीं है ? शायद बड़ा उदयपुर कोई और हो ?

श्री अध्यक्ष : पहले छोटे उदयपुर को निपटने दो।

श्री किशनाराम।

ग्राम लोहा तथा जेगनिया में फैली बीमारी

४६३. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) ग्राम लोहा व जेगनिया में किस बीमारी के फैलने की रिपोर्ट प्राप्त हुई ?

(ख) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दोनों गांवों में चिकित्सा के लिए क्या प्रबन्ध किया ?

(श्री किशनाराम)

(ग) कुल कितने बीमार पाये गये ? उनमें से क्या किसी की मृत्यु भी हुई ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) गांव लोहा में जुकाम, खांसी व निमूनिया आदि बीमारी से लोग ग्रस्त मिले । जेगनिया में बीमारी फैलने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) इस विभाग द्वारा गांव लोहा में एक डॉक्टर भेजा गया जिसने उन रोगियों को दवा बांटी जो रोग ग्रस्त थे ।

(ग) कुल ६० व्यक्तियों को देखा गया । मृत्यु किसी की भी नहीं हुई ।

श्री किशनाराम : जेगनिया में किस तारीख को भेजा गया था ? आप कहते हैं कि वहां बीमारी फैलने की रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पर कुल २०–२५ घरों की बस्ती है जिसमें चेचक की बीमारी फैली थी उससे कई बच्चे मर गये एक घर में । एक आदमी के पांच बच्चे थे वे पांचों के पांचों इस बीमारी से मर गये लेकिन कोई आदमी दवाई देने के लिये नहीं पहुंचा । इतना बड़ा हॉस्पिटल है रतनगढ़ में और उस गांव की दूरी ही कितनी है फिर भी कोई सहायता नहीं पहुंची ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपका सवाल मुलाहिजा फरमाइये । आपने पूछा है, 'ग्राम लोहा और जेगनिया में किस बीमारी के फैलने की रिपोर्ट प्राप्त हुई ।" उसका जवाब मैंने दिया है कि गांव लोहा में जुकाम खांसी निमुनिया की बीमारी की रिपोर्ट पहुँची और जेगनिया के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची । आप डेढ़ साल पहले की बात कर रहे हैं । अगर फलां साल की बात पूछते तो मैं डिटेल में अर्ज करता ।

श्री किशनाराम : मेरा प्रश्न लगातार यही आ रहा है । आप दुबारा जांच कर लीजिये पता लग जायगा कितने आदमी मर गये हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप डेढ़ साल पहले के बारे में सवाल पूछते हैं । आपका सवाल सीधा यह है कि लोहा और जेगनिया में किस बीमारी की शिकायत आई । मैंने कहा लोहा में जुकाम खांसी, निमुनिया की शिकायत थी और जेगनिया के बारे में कोई शिकायत नहीं आई ।

श्री किशनाराम : क्या आप इसकी दुबारा जांच करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यदि आप सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा और गलत बात होगी तो जांच कराऊंगा ।

श्री किशनाराम : मैं आपको लिखित में दूंगा तो क्या आप जांच करायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यदि कोई ऐसी बात पाई गई तो जरूर उसकी जांच करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : प्रश्न संख्या ४६४

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री । प्रश्न संख्या ४६४.

जैसलमेर के भूतपूर्व पी० आर० ओ०, श्री नागर की पाकिस्तानी महिला-जासूस से सांठगांठ

४६४. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के कलेक्टर, पुलिस अथवा सी० आई० डी० विभाग के अधिकारियों ने सरकार एवं सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के संचालक को इस बात की सूचना भेजी थी कि जैसलमेर के भूतपूर्व पी० आर० ओ. श्री नागर की एक पाकिस्तान की महिला जासूस से सांठगांठ है, अतः उनको वहां से तुरन्त हटाया जाये ?

(ख) यदि हां, तो किस किस प्रकार की सूचना कब कब विभाग को मिली और उस पर क्या क्या एक्शन लिया गया ?

(ग) पी० आर० ओ० को जैसलमेर से किस प्रकार और कब हटाया गया ?

(घ) वह महिला कौन थी, उसका जैसलमेर कैसे आना हुआ; तथा सूचना मिलने पर महिला के सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया गया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) श्री नागर ने स्वयं ही कुछ पारिवारिक परिस्थितियोंवश स्थानान्तरण के लिए आवेदन पत्र दिया था। उनका स्थानान्तरण तारीख १४. १२. ५६ से हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि श्री नागर के विरुद्ध कलेक्टर ने कुछ शिकायतें की थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास: मैंने भाग 'क' में अर्ज किया, 'जी नहीं।'

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि जैलसमेर में किसी महिला को पुलिस ने अधिकार में लिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास: उसका जवाब अर्ज कर दिया, 'जी नहीं।'

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि जैसलमेर में पुलिस ने किसी महिला को अधिकार में लेकर आगरा भेज दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास: मैंने आपसे कहा, जो क्वेश्चन आपका है, उसका जवाब अर्ज कर दिया है कि कलेक्टर ने या पुलिस ने श्री नागर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की।

श्री भैरोंसिंह: क्या इस सम्बन्ध में कोई सूचना कलेक्टर को एस० पी० ने दी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास: जी नहीं, कोई शिकायत नहीं आई थी।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह समझा जाय कि किसी पाकिस्तानी महिला को जैसलमेर के किसी पुलिस अधिकारी ने किसी तरह से डिटेक्ट नहीं किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास: यह अलग सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : आप जवाब देते जाइये, मैं प्रूव करूंगा कि जो आप जवाब दे रहे हैं, वे कितने सही हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन सेन्ट परसेन्ट गलत है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे अर्ज किया....

श्री भैरोंसिंह : जो लैटर लिखा गया है, वह मैं आपको बताऊंगा।

श्री रामकिशोर व्यास : आप लैटर बतायें, वह अच्छी बात है। आपने पूछा, कलेक्टर या एस. पी. ने शिकायत की, मैंने कहा 'जी नहीं'। कोई शिकायत हो तो आप बतायें। हमारे डिपार्टमेंट में कोई शिकायत नहीं आई है। आपके पास कोई हो, तो आप प्रमाण दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार के पास कोई सूचना नहीं आई थी कि पी. आर. ओ. का पाकिस्तानी महिला-जासूस से कोई सम्बन्ध है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस सम्बन्ध में कोई सूचना पुलिस के पास नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : I challenge this statement. मुझे मौका देंगे, तो मैं रखूंगा कि यह किस प्रकार गलत है।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे दे दीजिये, मैं जानकारी कर लूंगा। You give it to me I shall enquire into it. आप मुझे बतला दें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The House has ceased with the matter and now it cannot be disclosed to him.

श्री भैरोंसिंह : मैं इतना प्रोटेक्शन चाहूंगा कि हाउस में डिस्क्लोज़ करूं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि आपके पास सूचना हो तो आप दे दें, वे उसके फैक्ट्स की जानकारी करा लेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : वे इससे संतुष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : He has said it very categorically that neither the S. P. nor the Collector has made any complaint against the P. R. O.

श्री भैरोंसिंह : जैसलमेर में अपने अधिकार में ली है और आगरा भेजी गई है।

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में आपने सवाल दिया है, डी. पी. आर. के लिए नहीं दिया है।

श्री भैरोंसिंह : यह मंत्री से सवाल पूछा है। मैं प्रूव कर दूंगा कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वह गलत है, इसे फिर लेने की कृपा करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): यह डी. पी. आर. का प्रश्न है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि कोई सूचना नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने 'सरकार' शब्द का प्रयोग किया है, क्या सरकार के पास कोई सूचना नहीं आई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : और डिपार्टमेंट में आई हो। हमारे विभाग का सवाल है, उसमें नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : जो होम मिनिस्टरी के नीचे विभाग हैं, उनमें सूचना आई है।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे जानकारी नहीं है। आप सूचना दें तो मैं जांच कर बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : जो डी. पी. आर. को पी. आर. ओ. के सम्बन्ध में लैटर लिखा गया, उसकी कॉपी सरकार के पास आती है और वह गृह मंत्रीजी की जानकारी में है, जो जैसलमेर के अधिकारियों ने शिकायत की थी।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री पो० के० चौधरी : The question was addressed to the Home Minister and not to the Minister in-charge of the Public Relations.

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर नगरपालिका का चुनाव

४६५. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) जयपुर नगरपालिका कब भंग हुई और क्यों ?

(२) राजस्थान नगरपालिका एक्ट प्रान्त में कब से लागू है ?

(३) इस एक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार जयपुर नगरपालिका का चुनाव कब तक हो जाना चाहिए था ?

(४) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका भंग हो जाने के बाद साल भर के भीतर नया चुनाव कर नई नगरपालिका बना देना जरूरी होता है ?

(५) जयपुर नगरपालिका के साथ ही उक्त नियम में अपवाद करने का क्या कारण है ?

(६) राजस्थान में ऐसी कितनी और कौन कौन सी नगरपालिकाएं हैं जहां पर दो साल से अधिक प्रशासक ही काम करता रहा और निर्वाचित नगरपालिका नहीं बन सकी ?

(७) अब सरकार कब तक चुनाव कराकर जयपुर शहर में निर्वाचित नगरपालिका का निर्माण कर देगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) १७-७-५८। नगरपालिका के अध्यक्ष व ४४ सदस्यों में से ४० सदस्यों के त्यागपत्र देने की वजह से।

(२) १७-१०-५६ से।

(३) जल्द ही हो जाना चाहिये।

(४) जी नहीं।

(श्री सम्पतराम)

(५) प्रश्न नहीं उठता ।

(६) कोई नहीं ।

(७) जल्दी ही चुनाव हो जायगा ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार जयपुर नगरपालिका की सीमा विस्तार कर रही है और यहां चुनाव सीमा विस्तार करने के बाद करने का विचार है ?

श्री सम्पतराम : अभी मैं इस बारे में निश्चित जवाब नहीं दे सकता ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): चुनाव कब कराने हैं, कई दफा इस सदन में आश्वासन दिये गये हैं, इसके लिए आपके डिपार्टमेंट से क्या कार्यवाही की गई ? प्रिलिमिनरी वार्ड्स बन गये, उस पर ऑब्जेक्सन कॉल कर लिये गये, उसके बाद वार्ड्स बन जाने के बाद कब चुनाव कराने हैं ? उसका निश्चित उत्तर देना चाहिए।

श्री सम्पतराम : हम स्वयं चिन्तित हैं कि जल्दी चुनाव करायें । जैसा एक्ट में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक तो समय लगेगा । उसके अलावा और समय चुनाव कराने के लिए नहीं लेना चाहते ।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रिलिमिनरी वार्ड्स बन जाने के बाद ऑब्जेक्शन कॉल कर लिये जाते हैं । उनके फाइनेलाइज़ हो जाने के बाद की आप कोई तिथि नहीं देते हैं । आपको कोई तिथि देनी चाहिए ।

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि वार्ड्स बना रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्शन कॉल होंगे । उसके बाद फाइनेलाइज़ करके नोटीफाई करेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर कॉल अपोन करेंगे चुनाव कराने के लिए । इस सब में जो वाजिब समय है, वह लगेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो समय लगेगा, उसके बाद निश्चित् अवधि तो होनी चाहिए । कानून के मुताबिक जो समय लगे उसके अनुसार तिथि बता दीजिये कि इतने समय में ऑब्जेक्शन कॉल कर लेंगे, इतने समय में फाइनलाइज़ कर देंगे और उसके बाद चुनाव हो जायेंगे । आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं ?

श्री सम्पतराम : मैं स्पष्ट नहीं कह सकता । जो एक्ट बनाया है, वह गजट में छाया हुआ है, उसमें समय दिया हुआ है, वह हर एक माननीय सदस्य जानते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वार्ड्स के फाइनेलाइजेशन के सम्बन्ध में सरकार कितना समय लेगी, उससे केलकुलेशन हो जायगा ?

श्री सम्पतराम : प्रिलिमिनरी वार्ड्स रखते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन आते हैं; उसमें एक, दो महीने का टाइम होता है । उसके बाद सरकार फाइनल कर देती है । फाइनल करने के बाद चुनाव की व्यवस्था शुरू होती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रिलिमिनरी वार्ड्स का पब्लिकेशन करना था, वह हो चुका । उसके ऑब्जेक्शन्स के लिए एक महीने का समय है, वह कर दिया । उसके बाद सवाल रहता है वार्ड्स के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फाइनेलाइजेशन करने का, तो कोई पीरियड एक्ट में नहीं लिखा है, एक साल लगेगा, छः महीने लगेंगे, उसको क्लिअर कर दीजिये कि वार्ड्स के ऑब्जेक्शन आने के बाद आप कितने समय में उसे डिसपोज ऑफ कर देंगे ?

श्री सम्पतराम : जल्दी से जल्दी डिसपोज ऑफ करने की व्यवस्था करदी गई है, लेकिन ऑब्जेक्शन कितने दिये गये हैं, किस प्रकार के दिये गये हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने भी ऑब्जेक्शन होंगे, छः महीने ऑब्जेक्शन डिसपोज़ ऑफ करने में नहीं लग सकते। जब तक वार्ड्स फाइनल न हों तब तक इलेक्ट्रोरल रोल नहीं बन सकता और जब तक इलेक्ट्रोरल रोल नहीं बनते तब तक आगे की मशीनरी को काम नहीं दे सकते। वार्ड्स के फाइनेलाइज करने का काम आपके हाथ में है। जब तक उसमें ईमानदारी न हो कि चुनाव जल्दी कराने हैं, तब तक जल्दी वार्ड्स फाइनलाइज नहीं होंगे। जो प्रोसीजर रखा हुआ चुनाव कराने का उसके लिए आप सच्चाई के साथ बता दें कि ऑब्जेक्शन कब तक डिसपोज ऑफ कर देंगे ?

श्री सम्पतराम : मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश की जायगी, इसमें किसी प्रकार की ढिलाई कराने का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कुछ समय बता सकते हैं कि इतने समय में प्रोग्राम सेट हो जायगा, एक साल में, छः महीने में ? I mean the Government should be able to give some rough idea, atleast.

श्री सम्पतराम : हमने प्रिलिमिनरी वार्ड्स का पब्लिकेशन कर दिया है। उसमें जो ऑब्जेक्शन्स फाइल किये हैं उनको एग्जामिन करेंगे, उसके अन्दर....

श्री अध्यक्ष : This is very vague. यह बता दीजिये कि उसमें एक महीना लगेगा, दो महीने लगेंगे। कितना समय लगेगा ?

श्री सम्पतराम : एक्ट के मुताबिक जो समय लगेगा वह लेंगे उसके अलावा समय लेने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक क्वेश्चन और।

डॉ० चन्द्रकला : वार्ड्स के लिये आपत्तियों के लिए एक महीने का समय हो चुका है, ८ अगस्त अन्तिम तारीख है उसकी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मालूम नहीं है, एक महीने का पीरियड बढ़ा दिया गया है। ऑब्जेक्शन आने के बाद जब तक वे फाइनल नहीं हों तब तक चुनाव नहीं करा सकते। अब उसमें छः महीने लगेंगे, १० महीने लगेंगे, आप डेफीनिट कॉमिटमेंट करें कि एक साल में कर देंगे या छः महीने में कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : There must be some

(श्री अध्यक्ष)

figures. How much it is likely to take?

श्री सम्पतराम : मैं आपके जरिये, अध्यक्ष महोदय, अर्ज करूं कि जब सेक्रेटेरियट लेवल पर आ जायगा तो कोई देरी लगने का सवाल नहीं है। वार्ड्स का प्रिलिमिनरी पब्लिकेशन हो चुका है। कलेक्टर के जरिये ऑब्जेक्शन पहुँचेंगे। उसके बाद जो टाइम रखा हुआ है उसमें कर देंगे, उसके अलावा टाइम लेने की मन्शा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल आपकी मन्शा का नहीं है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! आर्डर प्लीज़। श्री किशनाराम।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल आपकी मन्शा का नहीं है। एक्ट के मुताबिक कितना अर्सा. कितना टाइम लगना चाहिये, आपने कुछ केलकुलेशन किया होगा, साल भर, छः महीने।

श्री सम्पतराम : हम जल्दी से जल्दी चुनाव कराने को तैयार हैं लेकिन पहले एग्जामिन करना होगा, क्योंकि बाद में कोई लीगल डिफिकल्टी हो जाय तो हम क्या करें ?

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह नहीं कि लीगल डिफिकल्टी आ जायगी। आप कुछ काम तो करें।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

श्री मुरलीधर व्यास : यह बड़े कलंक की बात है कि जनतन्त्र में म्युनिसिपेलिटी के इलेक्शन नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में बराबर आपकी तरफ से, प्रश्न पूछने के बाद भी, नहीं बता सकें...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री मुरलीधर व्यास : तो सदन की क्या प्रतिष्ठा रही और....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

प्रश्न संख्या ४१६

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपके बार बार इतना कहने पर भी नहीं बताया, इससे न तो सदन की प्रतिष्ठा ही रही न आपकी आज्ञा का ही पालन हुआ ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री किशनाराम।

सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चुरू द्वारा प्राप्त जीप से किये गये रन (Run)

४१६. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, ज़िला चुरू को जो जीप दी गई है उससे अभी तक कितने गांवों का निरीक्षण उक्त अधिकारी ने किया ?

(श्री किशनाराम)

(ख) यदि नहीं किया, तो क्यों ? जीप गाड़ी ने कुल कितना रन (Run) कहां २ का किया ? दिनांक व माइलेज सहित सूची प्रदान करें ।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ने आज तक उक्त जीप से १६० गांवों का निरीक्षण किया है ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता । आगे की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री किशनाराम : आपने बताया कि १६० गांवों के दौरे किये गये और उन्होंने निरीक्षण किया । इनमें से किन किन अधिकारियों ने कितनी बार अपनी रिपोर्ट भेजी ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

श्री किशनाराम : उन्होंने जो इन्सपेक्शन किया उसकी रिपोर्ट उन्होंने भेजी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री किशनाराम : आपने बताया कि १६० गांवों का दौरा किया........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने पहले पूछा कि कितने गांवों का दौरा किया और वह इन्होंने बता दिया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर आप पूछते कि किन किन ने रिपोर्ट भेजी तो वह भी बता देता । अब आप अलग से पूछ लें ।

श्री किशनाराम : यह तो दौरा उन्होंने किया वह जिस काम के लिए यानि पब्लिक कि हैल्थ के लिए किया, वह उसी काम के लिए किया या नहीं जिसके लिए वे करने के हकदार थे ?

श्री अध्यक्ष : दौरा तो जिस काम के लिये करने के अधिकारी थे उसी काम के लिये किया । इसके अलावा आप क्या पूछना चाहते हैं ? उनके पास रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है । आप दूसरा प्रश्न पूछिये ।

(विराम)

आप अगला प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

Yes. Next.

फतेहपुर (शेखावाटी) से रतनगढ़ वाया ढांढ़ण-मोलीसर बस रूट

४६७. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि फतेहपुर (शेखावाटी) से रतनगढ़ वाया ढांढ़ण-मोलीसर बस रूट के लिए पिछली साल दरख्वास्तें आई थीं और राजस्थान राजपत्र में पब्लिश भी हो चुकी थीं ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक चालू करायेगी ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): जी नहीं ।

श्री किशनाराम : आपने कहा कि दर्ख्वास्तें नहीं आई। दर्ख्वास्तें आई हैं...

श्री अध्यक्ष : वह सरकार के पास नहीं आती हैं। कहां, किस तरह से दर्ख्वास्तें आती हैं, किस तरह से पब्लिश होती है, यह सब प्रोसीजर के मुताबिक होता है।

श्री किशनाराम : आर. टी. ओ.....

श्री अध्यक्ष : यह सब कानून के मुताबिक होता है और आर. टी. ओ. जो ऑथेरिटी होता है उसको देखता है।

(विराम)

नेक्स्ट।

किशनगढ़–सिलोरा सड़क की मरम्मत

४६८. **श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा** [किशनगढ़–डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि किशनगढ़ से सिलोरा जानेवाली रोड़ की हालत खराब है व उसमें काफी खड्डे पड़ गये हैं ?

(ख) अगर हां, तो इस सड़क को कब तक दुरुस्त कर दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) आशा है इस वित्तीय वर्ष में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के वक्त राजस्थान में गिरफ्तार हुये कर्मचारी

४६६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) केन्द्रीय कर्मचारियों के हड़ताल के सिलसिले में राजस्थान में कुल कितने कर्मचारी कहां कहां पर किस स्थान पर गिरफ्तार किये गये ?

(२) इनमें से बीकानेर में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें उनके घर पर से रात्रि को पकड़ा गया ?

(३) सारे कर्मचारियों में से ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें सजा दे दी गई ? वे किस दिन गिरफ्तार हुए व उन्हें किस दिन सजा दी गई ?

(४) क्या जिन कर्मचारियों को सजा दी गई उन्हें कानूनी सलाहकार की मदद का मौका दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) क्या यह सत्य है कि गिरफ्तार करते ही दूसरे दिन जेल में ही कोर्ट बैठा कर उन्हें सजा दे दी गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में राजस्थान में १,२३१ व्यक्ति गिरफ्तार हुए जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

सीकर २७, अलवर १, गंगानगर ३४,

(श्री रामकिशोर व्यास)

केसरिसिंहपुर ३, व हनुमानगढ़ जंक्शन ३१, भीलवाड़ा २, कोटा ३६, चुरू २१ (रतनगढ़ ४ व चुरू १७), बांसवाड़ा १, जोधपुर २४५, जयपुर २१२, बीकानेर ४३६, अजमेर ५६ व सिरोही १५४ (आबूरोड) ।

(२) कोई नहीं ।

(३) २६६ कर्मचारियों को धारा ४ व ५ एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स ऑर्डिनेन्स (Essential Services maintenance Ordinance) व १४४ भा. द० स० के तहत सजा हुई । उनकी गिरफ़्तारी और सजा की सूची इस प्रकार है :

गिरफ्तार शुदा व्यक्ति	गिरफ्तारी की तारीख	व्यक्ति	सजायाबी की तिथि
३६	११.७.६०	१८	१२.७.६०
		८	१३.७.६०
		२	१४.७.६०
		६	१७.७.६०
		२	१९.७.६०
१७४	१२.७.६०	२०	१२.७.६०
		६९	१३.७.६०
		१०	१४.७.६०
		३४	१६.७.६०
		२	१७.७.६०
		३७	१८.७.६०
		२	१९.७.६०
५४	१३.७.६०	६	१३.७.६०
		२	१४.७.६०
		१	१५.७.६०
		१८	१८.७.६०
		२४	२०.७.६०
		३	२१.७.६०
१	१५.७.६०	१	२०.७.६०
१	१८.७.६०	१	२०.७.६०

(४) जी हां ।

(५) जी नहीं, जैसा कि सूची में स्पष्ट है । सब को दूसरे दिन ही सजा नहीं हुई । हां, जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में कुछ अपराध स्वीकार करनेवाले व्यक्तियों को को अवश्य स्थानीय दन्डनायकों ने जेल में ही विचार करने के उपरान्त गिरफ्तारी के दूसरे दिन सजा सुना दी ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने आपको प्रश्न (२) में पूछा कि कितने कर्मचारी हैं जिन्हें उनके घर पर से रात्रि को पकड़ा गया और उनको गिरफ्तार किया, इसके उत्तर में आपने कहा कोई नहीं । क्या बीकानेर में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुईं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि किन किन को घरों में जा कर उनको गिरफ्तार किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने उत्तर दिया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में लोगों को घरों से रात्रि को पकड़ा गया है ।

श्री मनीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि जितने भी कन्विक्शन्स हुए हैं वे ऊपर की अदालत से सेट-एसाइड हुए हैं ? आपने उनको रात को ११ बजे उनके घरों से जाकर पकड़ा। मान लें कि आपने उनको ११ तारीख को रात को ११ बजे पकड़ा और १२ तारीख को आपने उनको ८ बजे सजा दे दी। अगर इस प्रकार से उनको सजा दे दी जाती है तो क्या इस प्रकार से सजा देकर जुडिशियरी के प्रोसीजर की सैंक्टिटी है उसको आपने खत्म नहीं किया ? सेशन कोर्ट में जब गये तो वह ऑर्डर वहां से सेट एसाइड हुआ और सारे के सारे मामले री ट्रायल के लिये आये। रात को उनको ११ बजे पकड़े गये और उनकी जेल में ही ट्रायल की गई ! उनको जमानतों के लिये मेजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गये और उनकी जेल में ही ट्रायल की जाए, यह कहां तक वाजिब है ? मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में सतर्क रहे ताकि लोगों को जुडिशियरी के बारे में किसी प्रकार की शंका पैदा न हो।

श्री रामकिशोर व्यास : जिन लोगों ने इकबाल किया उन लोगों को दूसरे रोज सजा दी गई और दूसरों को बाद में सजा हुई है।

प्रश्न संख्या ५००

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

बीकानेर के टी. बी क्लीनिक हॉस्पिटल के स्थान का परिवर्तन

५०१. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

क्या बीकानेर में जो टी० बी० क्लीनिक अस्पताल खोला गया है उसके स्थान को स्थानान्तरण के लिए कई नागरिकों की शिकायत सरकार के पास पहुंची है ? यदि हां, तो उसे दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां। टी० बी० क्लीनिक को वर्तमान स्थान से स्थानान्तरित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई; अतः इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या वहां पर जल भंडार है, वाटर का रिजर्वायर है और टी० बी० के पेशेन्ट उधर आते हैं उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टी० बी० क्लीनिक में कोई पेशेन्ट रखे नहीं जाते हैं। वहां पर तो वे एग्ज़ामिन किये जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार यह उचित समझती है कि टी० बी० हॉस्पिटल के आसपास बाउन्डरी बनादी जाए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनको वहां पर एग्ज़ामिन करके जहां पर सैनिटोरियम होता है वहां पर भेज दिये जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : लोग इसके आसपास में बसते हैं। इसलिए यह होना चाहिये कि उसके आसपास चारों तरफ सराउन्डिंग को देखते हुए बाउन्डरी होनी

Page No.29

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहिये ; जिसके लिए लोगों ने प्रार्थनापत्र पेश किये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे यहां पर इसके लिए नियम है और उनके मुताबिक बाउन्डरी अगर जरूरत होगी तो बनाई जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री पी० के० चौधरी।

जयपुर नगर एवं इसके आसपास के क्षेत्र में चोरी इत्यादि के मामले

५०२. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state :—

(1) How many cases of theft and House breaking took place in Jaipur City and suburb during the year ending 15th. August, 1960 ? The details of the cases of house breaking may be given.

(2) In how many cases the culprits have been apprehended, challaned and convicted ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (1) 640 Cases of thefts and burglaries occured during the year ending 15 tho August, 1960. It is not possible to give details of so many cases.

(2) In 122 cases accused have been apprehended and challaned and 47 cases have reslited in conviction.

श्री पी० के० चौधरी : Out of 640 cases only 100 have been challaned and 47 convicted. What is the reason for this ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें बहुत से केसेज़ बहुत छोटे-छोटे हैं; जैसे साइकिल चोरी के हैं।

श्री पी० के० चौधरी : छोटे छोटे साइकिल चोरी के केसेज़ भी हों। Even then Cent percent cases should have been apprehended and challaned.

श्री रामकिशोर व्यास : होने तो चाहिये। आपका फर्माना सही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गांधीनगर तथा बापूनगर में बिजली की उपयुक्त व्यवस्था

५०३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) गांधीनगर व बापूनगर में कुल कितने Street light points चालू हैं ?

(ख) क्या सरकार को यह मालूम है कि इन क्षेत्रों में कई मार्गों पर व कई भागों में काफी अन्धेरा रहता है और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ?

(ग) क्या इस विषय में सरकार के पास कोई आवेदन पत्र आया है ? यदि हां, तो उसका क्या उत्तर दिया गया और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

Page No.30

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पत-राम) : (क) १०५ स्ट्रीट लाइट पोइन्ट्स चालू हैं।

(ख) जी हां, केवल एक स्थान पर विश्वविद्यालय भवन के पास एक मकान आ जाने के कारण खम्भे नहीं लगाये जा सके हैं।

(ग) जी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या यह सही है कि गांधीनगर सड़क पर बहुत सारे बल्ब्स फ्यूज़ हैं और उनको नहीं बदला जाता है ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्या के मकान के पास भी बल्ब फ्यूज़ हो सकता है। माननीय सदस्या के मकान पर भी बल्ब फ्यूज़ हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आपको कैसे मालूम हुआ कि माननीय सदस्या के मकान पर भी बल्ब फ्यूज़ हैं ?

डॉ०चन्द्रकला : सरकारी सड़कों पर पांच और छः महीनों तक बल्बों का फ्यूज़ रहना कहां तक वाजिब है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बीकानेर एवं लूणकरणसर छाया खंडों में ओवरसियर्स की नियुक्तियां

४०४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सही है कि छाया खंडों में राज्य सरकार द्वारा ओवरसियर्स की नियुक्ति के लिये निर्णय ले लिया गया है ? अगर हां, तो बीकानेर एवं लूणकरणसर खण्डों में क्या ओवरसियर्स की नियुक्ति की जा चुकी है ?

(२) क्या यह सही है कि जिला परिषद्, बीकानेर ने चीफ इन्जीनियर का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां। बीकानेर व लूणकरण-सर खण्डों में ओवरसियर्स की नियुक्ति की जा चुकी है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीमसेन : यह नियुक्ति कब की जा चुकी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, अभी तक कोई नहीं पहुँचा है !

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है।

श्री अध्यक्ष : पहुँचे नहीं होंगे। नियुक्ति तो हो गई है।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४०५

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

डॉ चन्द्रकला।

जयपुर नगर में बुधवार को सफाई की अव्यवस्था

५०६. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या जयपुर शहर में सार्वजनिक सफाई का काम करनेवाले हरिजनों को बुधवार की साप्ताहिक छुट्टी रहती है ?

(२) क्या हरिजनों के छुट्टी पर रहने के कारण बुधवार को शहर में सड़कों, नालियों व सार्वजनिक शौचालयों आदि की सफाई नहीं होती ?

(३) क्या बुधवार के दिन सफाई न होने से नागरिकों को बहुत असुविधा होती है ?

(४) क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है कि सफाई भी होती रहे और सफाई काम करनेवाले हरिजन कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी भी मिलती रहे ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) सफाई होती है।

(३) जी नहीं।

(४) मामला विचाराधीन है।

डॉ० चन्द्रकला : सफाई होती है तो फिर मामला क्या विचाराधीन है ?

श्री सम्पतराम : जितना स्टॉफ छुट्टी पर जाता है, जितना स्टाफ काम करता है उतना ही प्रोवाइड नहीं करें तो सफाई नहीं होती है, यह मामला विचाराधीन है।

डॉ० चन्द्रकला : और दिनों की तरह इतवार को सफाई नहीं होती है।

श्री सम्पतराम : उतना स्टॉफ तो प्रोवाइड नहीं होता है ; और दिन काम करते हैं उतना तो स्टाफ नहीं होता है।

डॉ० चन्द्रकला : फिर बंटवारा काम का किस तरह से होता है ? काम कोई होता है तो क्या बारी बारी से होता है, कुछ हिस्से में होता है या काम खराब होता है ?

श्री सम्पतराम : आम तौर से जितने लेबरर्स काम करते हैं उतने काम करते हैं। छुट्टी होती है तो ६५ स्वीपर्स, ३५ फावड़े-वाले और दो, तीन ट्रक होते हैं। मजदूर रहते हैं। हर एक पब्लिक लेट्रीन पर एक स्वीपर और भिश्ती रहते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह का इन्तजाम करें कि इतवार को भी उतनी ही तेजी से सफाई हो सके, जितनी दूसरे दिनों में होती है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : सार्वजनिक छुट्टी होती है तो कुछ लोगों को नहीं होती है और कुछ को होती है ?

श्री सम्पतराम : सब को छुट्टी मिलती है।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरे लोग बुधवार को आते हैं तो उनको कौन से दिन छुट्टी होती है ?

श्री सम्पतराम : सोमवार को छुट्टी उनको होती है ।

प्रश्न संख्या ५०७

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री भोगजी भाई ।

बांसवाड़ा जिले में हॉस्पिटल्स एवं डिस्पेन्सरीज का अभाव

५०८. श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बांसवाड़ा हॉस्पिटल के लिए विजिटर्स कमेटी बनी हुई है ? यदि हां, तो कब से और उसके कौन २ सदस्य हैं ?

(ख) विजिटर्स कमेटी के निर्माण से जुलाई, १९६० तक कितनी बार मीटिंग बुलाई गई और उसने क्या क्या सुझाव सरकार को दिये हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में हॉस्पिटल्स, डिस्पेन्सरियों का अभाव है ? सन् १९५८-५९ से अब तक किस किस तहसील व कस्बों में कौन कौन सी श्रेणी की कितनी डिस्पेन्सरियां खोली गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) जी नहीं । १९५८-५९ से अब तक जिन स्थानों में डिस्पेन्सरियां या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री तेजमल बापना ।

श्री जयसिंह राणावत (आसींद) : इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय ।

जिला भीलवाड़ा के मेजा डेम की दाई व बाई नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र

५०९. श्री तेजमल बापना [बनेड़ा- श्री जयसिंह राणावत(आसींद)द्वारा पूछा गया]: Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(1) What is the area irrigated by the Right and left Canals of the Meja Dam in Bhilwara District ?

(2) Is it a fact that the left Canal is technically and mechanically defective because it does not guarantee regular supply of water throughout the year ?

(3) If so, does the Government contemplate to rectify the mistake so as to guarantee the regular supply of water to cultivators for Rabi and Kharif crops ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) मेजा की दाहिनी नहर से ६,१९९ एकड़ और बाई नहर से ३,४२९ एकड़ सिंचाई हुई है ।

Page No.33

(श्री दौलतराम सारण)

(२) जी नहीं। यह सही नहीं है। पानी हो तो रेगुलर चल सकती हैं। इनके निर्माण में कोई दोष नहीं है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(१२. १४ म० प०)

श्री भैरोंसिंह : अतिरिक्त तारांकित प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह उसका (प्रश्न संख्या ५०६ ए का) उत्तर दिया जावेगा।

(विराम)

प्रश्न निम्न लिखित है :

प्रश्न संख्या ५०६ ए

श्री रामजस, तार बाबू, की गिरफ्तारी

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)
श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा)
श्री मोहरसिंह (चूरू) :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि दिनांक ६ अगस्त, १६६० को पुलिस स्टेशन सरदार शहर के थानेदार तथा पुलिस के कुछ सिपाही बिना वर्दी पहिने ही श्री रामजस शर्मा तार बाबू को डाकखाने में गिरफ्तार करने हेतु उस समय पहुँचे जब कि श्री रामजस ने अपने उच्चाधिकारियों से व्यक्तिगत ट्रन्काल बुक करवा रखा था तथा उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर मोटर में डाल कर थाने में ले गये थे ?

(२) क्या यह सत्य है कि श्री रामजस शर्मा को थाने में ले जाकर स्वयं थानेदार तथा पुलिस कर्मचारियों ने थाने के दरवाजे बन्द कर चार घण्टों तक उनकी लगातार मार पिटाई की जिससे श्री रामजस शर्मा के चीखने की आवाज़ सुन कर सरदार शहर की काफी जनता पुलिस स्टेशन के सम्मुख एकत्रित हो गई।

(३) क्या यह सत्य है कि जनता के आग्रह पर श्री रामजस शर्मा को छोड़ा गया तथा वह पुलिस थानेदार द्वारा अस्पताल भिजवाया गया ? यदि हां, तो श्री रामजस शर्मा कितने दिन अस्पताल में भर्ती रहे ?

(४) क्या यह सत्य है कि पुलिस थाने में हुई मार पीट के कारण श्री रामजस के शरीर पर ३०—३५ चोटें आईं तथा ३स्थानों की हड्डियें भी टूट गईं ?

कृपया इस सम्बन्ध की मेडिकल रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या यह सत्य है कि पुलिस थाने की दीवारें तथा दरवाजा गत दिनों की अति वृष्टि से जर्जरित तथा क्षति ग्रस्त हो गये तथा पुलिस स्टेशन पानी से भर गया था जिसके फलस्वरूप पुलिस थाने को १५—२० दिनों तक किसी दूसरे स्थान पर लगाया गया था ?

(६) क्या यह सत्य है कि सरदारशहर में पुलिस की इस ज्यादती के परिणाम स्वरूप आम हड़ताल हुई, व एक संघर्ष समिति का निर्माण किया गया तथा स्थानीय जनता ने जिला अधिकारियों को तार द्वारा सूचनाएं दीं ? यदि हां, तो कब किन किन द्वारा तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? कृपया

Page No.34

(श्री भैरोंसिंह)

तारों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(७) क्या यह सत्य है कि उक्त घटना की जिला अधिकारियों ने जांच की थी ? यदि हां, तो किस किस अधिकारी ने कब कब जांच की और उनकी जांच से इस काण्ड पर क्या प्रकाश पड़ा ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(८) क्या यह सत्य है कि श्री रामजस शर्मा से सहानुभूति रखने वालों पर पुलिस झूठे मुकदमे बना रही है ?

(९) क्या यह भी सत्य है कि सरदार शहर की इस पुलिस घटना की जांच डी० आई० जी० पुलिस, बीकानेर द्वारा दिनांक १३ अगस्त, १९६० को की गई थी ? यदि हां, तो उक्त जांच का क्या परिणाम रहा ? कृपया यह जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(१०) इस घटना में कौन कौन पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी दोषी पाये गये तथा उनके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?—]

श्री अध्यक्ष : Supplementary Demands for Grants.

स्थगन-प्रस्ताव

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ में बाढ़ के कारण जो स्थिति है उसके लिए स्थगन-प्रस्ताव पेश किया था। सरकार को भी मालूम है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय के पास सूचना नहीं पहुंची है और पहुंचते ही सदन को सूचित कर देंगे।

(विराम)

Supplementary demands for grants

अनुपूरक अनुदान की मांगें
(पूर्व क्रम से)

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५६, औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

वन मंत्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५६ मुख्य शीर्षक ७२ औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४०,०००) तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : motion moved.

माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि ४॥ बजे तक बहस चलेगी और उसके बाद 'मुख-बंध' का प्रयोग किया जायगा और अनुपूरक अनुदानों की मांगे पास की जायंगी उसके पश्चात् एप्रोप्रियेशन बिल सदन के सामने आवेगा। अत: उसको ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य बहस करें।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। कट मोशन ड्रॉप करके एप्रोप्रियेशन बिल ले लें और उस पर डिबेट

Page No.35

(श्री भैरोंसिंह)

हो जाय। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय इसकी स्वीकृति देंगे। माननीय सदस्यों को भी यह स्वीकार होगा।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब यह है कि सारे के सारे कट मोशन्स न लिये जांय ?

श्री भैरोंसिंह : वे न लेकर एप्रोप्रियेशन बिल ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : कट मोशन्स तो बहुत सारे हैं। यदि माननीय सदस्य जल्दी २ बोलें तो हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : सब की यही इच्छा है। जो बोलना चाहेंगे वे बोल लेंगे एप्रोप्रियेशस बिल पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे सब को मौका मिल जावेगा। एक कट मोशन फिर दूसरा कट मोशन ; इससे काफी समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : जो मंशा इन कट मोशन्स के द्वारा डिबेट करने की होती है वह तो जनरल डिबेट से पूरी नहीं होगी। फिर भी टर्न बाई टर्नले लें। जो बोलना चाहेंगे वे उन पर बोल लेंगे। यदि दो-चार मिनिट ही कट मोशन्स पर माननीय सदस्य बोलें तो बहस अच्छी होगी।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कट मोशन्स पेश नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : Within a minute I shall finish. यह कट मोशन है वह आदिवासी फोरेस्ट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में है। The Government has failed to form an Adivasi Forest Labour society.

अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की भी रिपोर्ट थी, हर साल सिफारिशें की जाती है कि आदिवासी फोरेस्ट एरिया में ज्यादा हैं, राजस्थान में भी फोरेस्ट एरिया में आदिवासी ज्यादा रहते हैं और उनकी तरक्की के लिए, जैसा कि इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग देना, क्राफ्ट की ट्रेनिंग देना; वे उसको जल्दी नहीं पिक अप करते हैं। एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। उसके अलावा राजस्थान के फोरेस्ट रिसोर्सेज़ काफी रिच हैं और यह बड़े अफसोस की बात है कि चार-पांच फोरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हुई हैं और गवर्नमेंट यह बताने की आज भी पोज़िशन में नहीं है कि क्या वे फोरेस्ट कोऑपरेटिव लेबरर्स सोसाइटीज़ हैं या नहीं ? गवर्नमेंट यह कहने की स्थिति में नहीं है कि ट्राइबल लेबरर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक भी आज राजस्थान में है या नहीं ? गवर्नमेंट यह इन्फोर्मेशन दे नहीं सकती। ५६ की गवर्नर की रिपोर्ट थी। उससे साफ जाहिर है कि हम बता नहीं सकते कि आदिवासी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी राजस्थान में हैं या नहीं। शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से देखा है। ६० में भी गवर्नमेंट इस पोज़िशन में नहीं है कि वह बता सके कि आदिवासी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी राजस्थान में है या नहीं। हर साल शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि सबसे आसान

Page No.36

(श्री पी० के० चौधरी)

तरीका आदिवासियों को रिहेबिलिटेट करने का, या उनकी इकोनोमिक कन्डीशन ऊपर लाने का यह है कि जो फोरेस्ट कूप्स हैं उनको कान्ट्रेक्टर्स को न देकर उनकी सोसाइटीज़ को इनीशियेट करिये, आदिवासी सोसाइटीज़ बनाइये और उन्हें वे कूप दीजिये। This isa very easy way. इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर के बार बार रिपोर्ट पेश करने के बाद भी आठ साल में इस विषय में कोई तरक्की नहीं की है और इसलिए मैंने यह कट मोशन भी दिया है।

श्री अध्यक्ष ; श्री भैरोंसिंह।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये।

श्री सम्पतराम (स्वायत शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जंगलात विभाग की तहत काम करने वाली कुछ सहकारी समितियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। इस बात को मानने से कतई इन्कार नहीं कि आज जिस प्रकार की कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ की व्यवस्था है, हो सकता है उसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पायी हो। लेकिन सरकार का लगातार प्रयत्न रहा है कि सहकारी समितियां जो भी बनें उनमें वे मजदूर हों जो हाथ में कुल्हाड़ा लेकर जंगलों में जाते हों, इस तरह के लोग हों जो खुद मजदूर बनकर काम करना चाहते हों और इससे इतर जो सहकारी समितियां हों उनको मान्यता न दी जाय। इसी प्रकार की कुछ एक-दो सहकारी समितियां मेरे ध्यान गत वर्ष आयी थीं। मैंने उस समय भी यही कहा था कि मैं ऐसे आदमियों की सहकारी समिति चाहता हूं जो सड़क पर काम करता हो, जो लकड़ियों का गट्ठर लेकर आ सकता हो, जो हाथ से काम करने वाला हो। ऐसी सहकारी समितियां मैं चाहता हूं। आज जो ठेकेदारों की समितियां हैं उनसे चाहे हमें कुछ लाभ भी होता हो, फिर भी मजदूरी करने वाले लोगों की सहकारी समिति के हाथ में जंगलों का काम सौंपकर हमें कुछ नुकसान भी उठाना पड़े तो भी हम उसे बर्दाश्त करने के लिये तैयार रहेंगे। लेकिन यह बात सही है कि दूसरे स्टेट्स के रूल्स–रेगुलेशन्स लेकर के हमने हमारे यहां के कायदे कानून बनाये हैं हम उसको जितना भी प्रगतिशील बना सकते थे बनाया है। अगली साल यदि माननीय सदस्यों का सहयोग रहा तो कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़, रीअल ढंग की कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़, जो केवल मजदूरों की हो सकती है, वह बनाने में हम समर्थ हो सकेंगे जो इन्टरेस्ट लेकर इसमें काम कर सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

(श्री चौधरी प्रस्ताव प्रस्तुत न करने हेतु सिर हिलाने पर।)

श्री अध्यक्ष : You don't want to press it.

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक ७२, औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १,४०,०००) रु० तक की राशि

Page No.37

(श्री अध्यक्ष)

और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५५, सामुदायिक विकास परियोजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५५, मुख्य शीर्षक ६३–ख–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३९,६२,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

श्री लक्ष्मीचन्द:

मांग संख्या ५५, मुख्य शीर्षक ६३–ख–सामुदायिक विकास परियोजना में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर प्रतिश्रुत व्यय के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

रावराजा श्री सरदारसिंह:

मांग संख्या ५५, शीर्षक ६३–ख सामुदायिक परियोजनाए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १)रु. की कटौती की जावे (स्थानीय विकास निर्माण कार्यों की असफलता पर वाद: विवाद करने हेतु)

श्री भीमसेन:

मांग संख्या ५५, मुख्य शीर्ष ६३ ख– सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १)रु. की कटौती की जावे (स्थानीय विकास के अधूरे निर्माण कार्यों पर विचार करने हेतु)

श्री अनूपसिंह:

That Demand No LV, Majar Head 63—B—Community Development projects, N. E. S. and Local Development works be reduced by Re. 1/- (to disucss the slow progress of road lying in the desert areas of Rajasthan).

That Demand No LV, Major Head 63—B—Community Development projects, N. E. S. and Local Development works be reduced by Re. 1/—(To discuss the failure of the Goverment to help agriculturists engaged in Lift Irrigation system).

That Demand No LV, Major Head 63—B—Community Development, N. E. S. and Local Development be reduced by Re. 1/—(To discuss the failure of the Government in implementing various schemes of water supply in the district of Barmer)]

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह इस प्रकार का है :

"(सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर प्रतिश्रुत व्यय के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक विस्तार खंडों में होने वाले व्यय का सम्बन्ध है वहां यह चीज़ मानकर चलना होगा कि आज कल विकास कार्यों के लिये जितना पैसा खर्च कर रहे हैं और जितनी धनराशि उनको खर्च करने के लिये दे रहे हैं उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। इसका ठीक ढंग से उपयोग न होने के कारण राज्य सरकार भी जानती है और सदन के माननीय सदस्य भी जानते हैं। अमूमन देखा यह गया है कि इन विकास कार्यों में जितना भी पैसा खर्च होता है, विस्तार खंडों में पर्चेजेज़ के सिलसिले के सवाल को लीजिये, जितनी भी पर्चेजेज़ होती हैं व मार्केट में मिलने वाली चीजों से बहुत ही ऊंची कीमतों पर खरीदी जाती हैं जिसमें लाखों रुपयों का घोटाला होता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। सब से बड़ा झगड़ा जो विस्तार खंडों में होता है वह जीप्स को लेकर होता है। जीप्स के मामले में हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। आज हम देखते है कि जितने भी विकास खंडों में दौरे होते हैं, चाहे वे विस्तार खंड के महत्व की दृष्टि से हों या न हों, हरएक अधिकारी हरएक एक्सटेन्शन ऑफिसर यही चाहता है कि हम इस जीप में ट्रैवल करें।

श्री अध्यक्ष : आपका जो कट मोशन हैं सांचोर विकास खंड को ज्यादा धनराशि देने के सम्बन्ध में है और आप सारी मांग को लेकर बहस कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, हमने यह नीति निर्धारित की है कि ६० हज़ार की पोपुलेशन पर एक विस्तार खण्ड खोलते हैं और उसको १२ लाख रुपये का बजट देते हैं। दूसरी तरफ हमारे यहां जो यह नीति है उसके माफिक खर्चा नहीं मिलता है। सांचोर विकास खण्ड में १६३ गांव हैं और इसकी आबादी ६० हज़ार की है। विकास खण्ड की जो पोपुलेशन मान रखी है उससे ड्योढ़ी पोपुलेशन हमारे यहां पर है, लेकिन जहां पैसे का सवाल आता है वहां केवल एक ब्लाक के खर्च के लायक पैसा मिलता है। इससे हमारा जो व्यय करने का इरादा है, जिस लक्ष्य को लेकर हम चलते हैं कि विस्तार खण्ड से फायदा पहुँचायें, इसके कारण पूर्णतया फायदा नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि या तो सांचोर विस्तार खण्ड के दो क्षेत्र बनाये जांय या उसको ड्योढ़ी धन-राशि विकास कार्य के लिए दी जाय। जहां हमारा लक्ष्य यह है कि ६० हज़ार की पोपुलेशन पर १२ लाख रुपया खर्च करते हैं वहां ६० हज़ार की पोपुलेशन पर भी उतना खर्च करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। इससे वहां के जो लक्ष्य हैं वे भी पूरे नहीं होते। इसलिए जहां हम ६० हज़ार की पोपुलेशन पर १२ लाख रुपया देते हैं और ६० हज़ार की पोपुलेशन पर भी १० लाख रुपया ही देते हैं, यह न्याय संगत बात नहीं है। आशा

(श्री लक्ष्मीचन्द)

है मन्त्री महोदय मेरे सुझाव को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार का है:—"मांग संख्या ५५, मुख्य शीर्षक ६३ खा-सामुदायिक परियोजनाएं, राष्ट्रीय विकास सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य में १) रु. की कटौती की जावे, स्थानीय विकास निर्माण कार्यों की असफलता पर विवाद करने हेतु)"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से जिला परिषद् और पंचायतों का निर्माण हुआ है, कहीं पर तो विकास खण्ड पूर्णरूप से खोल दिये गये हैं और कई जगह केवल छाया खण्ड ही खोले गये हैं। जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ वहां छाया विकास खण्ड ही है। जब पंचायत समितियां बनीं और उसके बाद विकास कार्य चालू हुआ तो किसी जगह विकास खण्ड खोले गये और किसी जगह छाया विकास खण्ड खोले गये। अव्वल तो धनराशि कम दी जाती है। उसके बाद वहां पर इसके लिये सब कमेटीज़ मुकर्रर कर रखी हैं जो लोगों के अन्दर निर्माण के प्रति दिलचस्पी क्रिएट करावें; उसके कारण जनता में जागृति भी हुई है कि जितनी धनराशि सरकार देती है उतनी ही जनता अपने पास से देकर विकास कार्य करती है। इससे कई जगह स्कूलों की बिल्डिंग, कई जगह कुए आदि बनवाये गये हैं। इसके बाद कई जगह के लोगों ने वायदे किये, लेकिन बाद में खरीफ और रबी की फसल खराब होने से जो पैसे जनता से लेने थे वे कई जगह नहीं आ पाये और जो सरकार की ओर से धनराशि दी है, किसी गांव के अन्दर हज़ार रुपया इकट्ठा हुआ तो वहां हज़ार रुपया दे दिया गया और किसी जगह हजार की बजाय २५० ही दिया गया। इससे क्या हुआ कि प्राइमरी स्कूलों का निर्माण भी और अन्य स्कूलों का निर्माण कार्य भी धन के अभाव से पूरा नहीं हो सका और आज हालत यह है कि धन का इसी प्रकार अभाव रहा तो कहीं बनी बनाई बिल्डिंग ढह न जाय। इसमें जो धनराशि सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट की तौर पर मांगी गई वह इस तरह से खर्च की जाय कि जो बिल्डिंग्स अधूरी रह गई हैं वे पूरी करवाई जायं। हाईस्कूल बिल्डिंग भी अधूरी है। उसके लिए जिक्र करूंगा तो यह कहा जायगा कि वह तो म्युनिसिपल एरिया है, इसलिए उसके लिए नहीं दिया जायगा। इसके साथ साथ आखिर में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि चाहे किसी क्षेत्र से कोई भी आदमी आया हो उसको उतना ही हक है जितना कि आपकी तरफ बैठे हुए एम० एल० एज़० को है। उधर से आने वाले हैं वे भी वही हक रखते हैं। जब आप निर्माण का कार्य कराते हैं तो सब जगह समानता से देखें।

अब मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस प्रकार अध्यक्ष महोदय हैं, ये अपने में से ही चुनकर ऊपर बैठे हैं, पर उनके लिए तो सब बराबर हैं। इस तरह से आप भी अगर एम. एल. ए. की हैसियत से मिनिस्टर

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

बनकर आ गये तो आपको भी निर्माण कार्य कराने में सबको एक दृष्टि से देखना चाहिये।

तो मैं निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र का क्या हाल हो रहा है? ५२ से जब मैं वहां से विजयी होकर आया उस वक्त और जब मैंने जागीर हस्तान्तरण की तब उस वक्त में वहां हाई स्कूल चल रही थी, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल चल रहे थे। हाई स्कूल के लिए कहा गया कि हाई स्कूल की यह बिल्डिंग छोटी है, बाहर बनाओ; और चार कमरे आप लोग बनाओ तो बाकी काम सरकार पूरा कराएगी। प्रजा ने सहयोग दिया। मैंने भी कुछ पैसा दिया और बाहर चार कमरे बना दिये। अब सरकार की तरफ से चार कमरे आज दिन तक भी नहीं बने। इसके बाद में वहां चीफ मिनिस्टर साहब पधारे। देखा, सब बातें कीं। फिर उन्होंने इजाजत दे दी चालीस हज़ार की। असेम्बली में भी मा. पूनमचन्दजी ने आश्वासन दे दिया कि चालीस हज़ार की सेंक्शन हाई स्कूल के रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए दे दी है। अब इसका इन्टरप्रिटेशन क्या लगाया जा रहा है कि २१ हज़ार तो पहले दिये, दस हज़ार बीच में दे दिये; यों पैंतीस हज़ार हो गये और पांच हज़ार और बचे। इस तरह करके चालीस हजार गिना दिये। अब भी वह मकान अधूरा पड़ा है। बच्चों को उसमें शिफ्ट भी कर दिया। उसमें बीच का हॉल और एक कमरा बनना अभी बाकी है। बच्चों को काफी कठिनाइयां होती हैं। जहां हाई स्कूल थी पहले, वहां माध्यमिकशाला चालू की गई है। प्रोपेगेण्डा करने लगे कि इसके लिए जगह नहीं है; इस को भी हटा देंगे। तो प्रोपेगेण्डा की वजह से हटाने लगे तो मैंने मेरा सेक्रेटरियट था वह उनको दिया। इसमें बेसिक स्कूल आ गया। मेरे अर्ज करने का अर्थ यह है कि ५२ से अब तक आप उसे पूरा नहीं कर सके। इसलिए जो रिमेनिंग वर्क है उसको सबसे पहले आप पूरा करने के लिए प्रायोरिटी दें, सी. डी. ब्लाक या और कुछ न देखें। आप यह भी न देखें कि वह किसकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी है, किसकी नहीं। आपके लिए सब बराबर हैं। दरअसल में डिफिकल्टी यह हो रही है कि उधर आपका पधारना नहीं होता और असल हालत अपनी आंखों आप देखते नहीं। अगर आप कृपा कर दो साल में एकाध बार भी पधारें तो आप सब देख सकेंगे कि हम लोग यहां आकर जो अपना दुःख-दर्द कहते हैं वह कहां तक सही है? लोग यहां तक कहने लग गये कि इससे तो हम पहले बहुत अच्छे थे, हर साल इन स्कूलों की इमारतों की मरम्मत तो हो जाया करती थी। आज पी. डब्ल्यू. डी. कहती है, यह काम एजुकेशन का है। एजुकेशन कहती है हमने पी. डब्ल्यू. डी. को दे दिया है। इसी तरह हमारी डिस्पेन्सरियों की हालत है। पहले मेडिकल विभाग हमारे यहां था, पर आज हालत बुरी है। रिसेन्टली यह मालूम हुआ कि शायद डिपार्टमेंटवाइज़ ही इनकी मरम्मत का काम होगा। यह कहां तक सच है?

कहने का तात्पर्य यह है कि रिमेनिंग जो काम है पी. डब्ल्यू. डी. का उसे आप सबसे पहले करने की प्रायोरिटी दें। बस यही मेरा निवेदन है।

Page No.41

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी कट मोशन है ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आपका भी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : सूची नम्बर चार निकली है; इसमें है आपका ।

श्री भीमसेन : प्रस्तुत मांग पर मेरा "बीकानेर के स्थानीय विकास के अधूरे कार्य पड़े हैं" उनके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करने के बारे में एक कटौती का प्रस्ताव है । अध्यक्ष महोदय, निर्माण कार्य के विषय में भारत सरकार की यह नीति रही है कि यह पैसा उन खण्डों में या स्थानों में खर्च किया जावे जहां विकास खंड नहीं हैं । लूणकरणसर--बीकानेर में दो पंचायत समितियां हैं । वहां विकास खंड नहीं है, छाया खंड ही है । पिछले साल भी राज्य सरकार की ओर से लूणकरणसर को पानी विकास के हेतु कोई धनराशि नहीं दी गई और उस इलाके में ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं और जिनके पूरा करने के लिए धनराशि की अत्यन्त आवश्यकता है । उनके लिए इस प्रोविज़न में से काफी धनराशि दी जावे जिससे लोगों में काम को पूरा होते देख कर उत्साह और लगन भी कायम रहे और आइन्दा भी दूसरे कामों में वे पूरा सहयोग राज्य सरकार को दे सकें । इसलिए इस कटौती के प्रस्ताव को मैंने प्रस्तुत किया है । आशा है सरकार का ध्यान इधर अवश्य जावेगा ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आपका भी है ?

श्री अनूपसिंह : जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें कटौती का प्रस्ताव यही है, हालांकि हमने बहुत से प्रोग्राम बना रखे हैं पर फिर भी वे प्रोग्राम जिस सिंसियरिटी से बनाये गये हैं उस सिंसियरिटी से इम्प्लीमेंट नहीं किये जाते और इसमें दो–तीन बातों की हमें शिकायत है । मैं समझता हूं कि आप उसे वाजिब मानेंगे । कटौती प्रस्ताव है : "To discuss the slow progress of road laying in the desert area of Rajasthan." हमारे यहां कई तरह की योजनाएं बनाई हैं और इसमें रोडलिंक्स के ऊपर बड़ा स्ट्रेस दिया जा रहा है । हमारे यहां यही सबसे जरूरी चीज़ है जो पहली प्रायोरिटी में आती है । पर उनको जब तक क्रियान्वित नहीं किया जावे तब तक केवल ब्लू प्रिन्ट में ही कायम रहने से हमें क्या शान्ति मिल सकती है, क्या राहत मिल सकती है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में मैंने देखा है कि सेकन्ड फाइव ईयर प्लान के पहले के जो रोड प्रोपोज़ल्स थे वे ही अधूरे पड़े हैं । सैंक्शन हो गये, काम शुरू हो गया, पर आज दिन तक उनकी प्रोग्रेस इतनी स्लो है कि मैं समझता हूं कि शायद उनको इसी रफ्तार से चलाया गया तो चौथी, पांचवीं या छठी पंचवर्षीय योजना में ही खत्म किया जा सकेगा तो किया जा सकेगा । इसके लिहाज़ से मैं समझता हूं कि हम डेज़र्ट एरिया में रहनेवालों के लिये जब तक रोड्स नहीं होंगी तो दूसरी कोई फेसीलिटी वहां पहुँचनी मुश्किल हो जावेगी । हमारे यहां तो सबसे बड़ी बात है कॉम्युनिकेशन्स की । जब तक यह नहीं होगी तब तक कोई भी विकास के

(श्री अनूपसिंह)

कार्य का वहां पहुँचना मुमकिन नहीं है।

श्रीमती सतवन्तकौर (करणपुर) : कोरम नहीं है।

श्री अनूपसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह अर्ज करना चाहता था कि जब तक हमारे यहां कॉम्युनिकेशन्स ठीक नहीं बन जाते हैं तब तक हमारे लिए किसी भी विकास कार्य का कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिये यह होना वहां बहुत जरूरी है बायतू, कोलू, पंचभद्रा, माखूंडा और फलसूंड़ की सड़क का पहली योजना के अन्तर्गत प्रोपोज़ल हुआ। दूसरी में एग्ज़ीक्यूशन शुरू हुआ और आज तक १० मील कहीं, तो बीस मील कहीं बन बनकर रह गई है। आज तक इसके सिवाय और कोई प्रो`स इस सड़क के पूरा करने की नहीं है। जब कभी मैं एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर से इसके बारे में मिलता हूं और बात करता हूं तो वे कहते हैं कि आप क्या बात करते हैं, उस एरिया में तो जाना ही बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूं इस बात को कि वहां पर हमारे इन्जीनियर और ओवरसियर नहीं जा सकते क्योंकि कहीं पर तो ग्रेवल रोड है और कहीं पर पानी है। मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब बातें ठीक हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता। मैं मानता हूं कि वहां पर रोड निकालना बहुत मुश्किल है। अगर केवल उसको मुश्किल मानकर हम चलें तो फिर उसको करेगा कौन ? बाहर से तो कोई इन्जीनियर या ओवरसियर तो आकर इसको बनानेवाले हैं नहीं और न ही बाहर के इन्जीनियर या ओवरसियर इस डेज़र्ट में जा ही सकते हैं। हां, जिनके मन में भावना काम करने की होगी वही उस काम को पूरा कर सकते हैं, अन्यथा बाहर से आनेवाले पूरा नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि वहां पर क्लाइमेटिक कन्डीशन्स खराब हैं। वहां पर गर्मी काफी पड़ती है। वहां पर गर्मी में लोग ठहर नहीं सकते और इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स वहां पर अपने आपको डिसकम्फर्ट फील करेंगे। पर क्या किया जाये ? अगर डिसकम्फर्ट है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, काम तो उनको जो करना ही है वह करना ही पड़ेगा ? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जरूर अर्ज करूंगा कि जब इतनी उनको दिक्कत होती है तो उनको अलाउन्स दे दिया जावे और उनकी तनख्वाह में थोड़ी बढ़ोतरी कर दी जाये ताकि वहां पर यह लोग आयें और काम करें। पर यह नहीं हो सकता कि आप उस एरिया को बिल्कुल ही भूल जायें और वहां पर सभ्यता नाम की कोई चीज़ पहुंच ही न सके। इसलिए मैं इस बात पर जोर देते हुए अर्ज करूंगा कि एक सड़क जो जोधपुर, बालोतरा होकर बाड़मेर जानेवाली है वह भी इस तरह की पड़ी हुई है और सिर्फ इस वजह से कि न जाने क्या है डिपार्टमेंट में वह कागज़ मूव ही नहीं होते हैं। अगर मैं उसको स्लो स्पीड भी कह दूँ तो भी कोई एक्ज़ॉजरेशन नहीं होगा। उनका यह कहना कि हमको डिफिकल्टी इतनी है कि हम उसको पूरा नहीं कर सकते; तो मैं मान सकता हूं कि डिफिकल्टी है। रोड्स नहीं हैं, कॉम्युनिकेशन्स नहीं हैं और क्लाइमेटिक कन्डीशन्स खराब हैं और जब वहां की रोड्स वगैरह खराब हैं इसीलिए तो वहां पहुंचने की जरूरत है और काम को करने की जरूरत है। अगर वहां पर रोड्स अच्छी होती तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं होती। मैं

(श्री अनूपसिंह)

मानता हूं, डेज़र्ट एरिया के अन्दर पहुंचना मुश्किल है लेकिन उसको पूरा करना ही पड़ेगा। वहां के कॉम्युनिकेशन ठीक नहीं होने की वजह से मेडिकल एड भी नहीं पहुँच सकती, वहां कोई भला आदमी पहुंच नहीं सकता। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इस बात पर स्ट्रेस करूंगा कि रोड लाइन का जो प्रोग्राम है वह बहुत ही स्लो है और जब तक इस डिपार्टमेंट के इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स में मिशनरी स्पिरिट नहीं भरेंगे तब तक मैं समझता हूं कि किसी तरह का काम नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आप उस ज़ील के साथ नहीं कर रहे हैं। आज हमारी आजादी इनफेन्ट स्टेज पर है उसमें जो स्पिरिट है वही हमें हमारे डिपार्टमेंट में लानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि आपको अपने डिपार्टमेंट का ओवरऑल करना चाहिए वर्ना आपकी योजना के काम हरगिज नहीं चल सकते।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें कटमोशन यह था : "to discuss the failure of the Government to help agriculturists engaged in Lift Irrigation system." इसमें मुझे यही अर्ज करना था कि हमने एटोमिक इनर्जी, थर्मल पॉवर आदि की बातें बहुत सुनी हैं; लेकिन हमारे अन्दर तो एक निराशा ऐसी है कि हम यह समझते हैं कि यह वाकई में एक स्वप्न की चीज़ है, इमेजिनरी है, कल्पना है या साथ ही साथ यह सोचने से परे की चीज है। इस बात को सोचना कि वास्तविक रूप में उसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। उसका कारण सिर्फ यही है कि आप अपनी कई प्रकार की डिफिकल्टीज़ बता सकते हैं। आप कहेंगे कि डॉलर एक्सचेन्ज नहीं मिल रहा है, बाहर से चीजें नहीं आ रही हैं और हमारे यहां चीजें पैदा होती नहीं हैं। तो फिर मेरे ख्याल से यह एटोमिक इनर्जी और थर्मल पॉवर की बातें सिर्फ बातें ही रह जायेंगी। मैं समझता हूं कि भगवान् और प्रकृति जिनके खिलाफ हैं, उनके आप भी खिलाफ हैं। यह माना जाता है कि जहां भगवान् खिलाफ होते हैं वहां राजा भी खिलाफ हो जाते हैं। भगवान् और प्रकृति तो हम लोगों के खिलाफ है ही लेकिन आपके मन में भी कुछ ऐसा है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आप प्रायोरिटी नहीं देना चाहते और ऊंचा उठाना नहीं चाहते। जब मैं थर्मल स्टेशन की बातें सुनता हूँ तो मैं समझता हूं कि शायद दस-बीस वर्ष बाद कभी यह देखने को मिलेंगे। मैं तो चाहता हूं कि हमारे देखते हुए ही यह हो जायें। इसलिए बड़े विचार की बात है कि हर जगह पॉवर पहुँचनेवाली है और आज पिछड़े इलाके के जो लोग हैं वह सोच रहे हैं कि न जाने हमें कब यह देखने को मिलेंगे। यह स्वप्न बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि आपको थर्मल स्टेशन का मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन साथ ही साथ अर्ज करूंगा कि इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना दी जायें कि जहां पर कम से कम सो, सौ हॉर्स पॉवर के दो-तीन जगह इन्जिन लगा दिये जायें और वहां से लाइन खेंची जाये जिससे कि काश्तकारों को बिजली मिले। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से काश्तकारों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़

Page No.44

(श्री अनूपसिंह)

बनाकर उनको पॉवर मुहैय्या करा दें तो मैं समझता हूं कि उनका लिविंग इन्डेक्स और स्टेन्डर्ड काफी ऊंचा आ सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जोर देकर अर्ज करूंगा कि आप इस तरह की कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ बनवाकर इस तरह के छोटे छोटे स्टेशन अलग अलग जगह बनवा दें जहां कि आस-पास कुएं हों और खेती होती हो, वहां पर काश्तकार लोग पॉवर ले सकें, वहां पर पॉवर मुहैय्या की जाये और लिफ्ट इर्रिगेशन को हटाने के लिए और स्टेन्डर्ड को ऊंचा उठाने के लिए इससे आसान तरीका नजर नहीं आता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला कट मोशन इस प्रकार है: "To discuss the failure of the Government in implementing various schemes of water supply in the District of Barmer." माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बाड़मेर में जब केबिनेट मीटिंग हुई उसके अन्दर बहुत से डिसीज़न्स लिए गए। मैं यह भी मानता हूं कि उन डिसीज़न्स के तहत यह डिपार्टमेंट जो पब्लिक लाइफ से कनेक्टेड है उसने काफी काम किये हैं। कई स्कीम्स का सर्वे कराके उनको इम्पलीमेंट करने के लिए बहुत से कदम उठाये हैं और वे सराहनीय हैं, मैं मानता हूं। पर इसके साथ साथ आपके अपने वेरियस डिपार्टमेंट्स में और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो लिथार्जी है, वह लिथार्जी जो रह जाती है उस लिथार्जी की वजह से वह वहां का वहीं रह जायगा। और सेकिंड फाइव इयर प्लान खत्म होने को आया और थर्ड प्लान भी खत्म हो जायेगा लेकिन वह वाटर सप्लाई स्कीम कम्पलीट नहीं होगी। ५ प्रतिशत जो कॉन्ट्रिब्यूशन पब्लिक से मिलता है, उन इलाकों, उन गांवों की ओर से इस बात का इकरारनामा किया जाता है कि पांच परसेंट कॉन्ट्रिब्यूशन कर देंगे तो बाकी खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से करके इम्पलीमेंट कर दिया जावेगा। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि फाइव पर्सेन्ट नहीं बल्कि जो ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन देंगे उनके यहां वाटर सप्लाई की स्कीम इम्पलीमेंट कर देंगे अन्यथा नहीं करेंगे। अगर आप फाइव पर्सेन्ट कॉन्ट्रिब्यूशन की हद रखते हैं तो भी एक वाजिब चीज हो सकती है, पब्लिक का कॉन्ट्रिब्यूशन लेने की जो भावना है कि वह अपने लिए अपनी ओर से कितना कॉन्ट्रिब्यूशन करे, पब्लिक का त्याग क्या हो उस भावना को नापने के लिए फाइव पर्सेन्ट रखते हैं तो फिर भी कुछ वाजिब बात हो सकती है। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन होगा वहां पर ही यह वाटर सप्लाई की स्कीम को इम्पलीमेंट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यह तो एक तरह से नीलामी बोली हुई। आपके सामने यह तो नहीं रहा कि किस जगह की नीड क्या है ? नीड को ध्यान में रख कर करेंगे, नीड के लिहाज़ से ही वहां पर कार्य होंगे। यह तो वही बात हुई कि जो नीलाम की बोली ज्यादा से ज्यादा लगावे, जो नीलामी बोली में ज्यादा से ज्यादा पैसा दे वहीं पर काम होंगे, तो हमारे यहां तो कभी काम हो नहीं सकता। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अमुक जगह की जरूरत, अमुक जगह या अमुक इलाके में पानी की कमी है उस कमी को महसूस करते हुए

(श्री अनूपसिंह)

और वहां की नीड को देखते हुए पब्लिक के कॉंट्रिब्यूशन को लेकर चलते हैं तो यह एक चीज हो सकती है। अगर आप यह मानते हैं कि अमुक जगह पानी की कमी है तो फिर चाहे वे कुछ दे सकते हों या नहीं, फिर भी आपका यह अधिकार है, यह आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है कि उस जगह को पानी मुहैय्या करें। पीने के लिए पानी देना यह आपका फर्ज है। अर्बन एरिया में बिना किसी कॉंट्रिब्यूशन के भी कई चीजें कर देते हैं, जैसे मेडिकल फेसेलिटी की बात है या कोई स्कूल बनता है तो उसके लिए आप कुछ नहीं मांग करते, अगर कोई दूसरी तरह की सप्लाई करते हैं तो भी कुछ नहीं मांगते तो फिर रूरल एरिया में वाटर सप्लाई के लिए ही यह बंदिश क्यों लगाई जाती है? आप जानते हैं कि रूरल एरिया का स्टेन्डर्ड ऑलरेडी नीचा है। उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि वे आपके फाइव पर्सेन्ट कॉंट्रिब्यूशन को भी दे सकें, फिर भी पांच पर्सेन्ट की बात तो वाजिब हो सकती है, लेकिन जो यह ज्यादा से ज्यादा की बात है यह तो नीलामी बोली के समान ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस डिपार्टमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं और वे कदम सराहनीय भी हैं और कई ऐसी स्कीमें हैं जो बाड़मेर में, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में इम्पलीमेंट की जानेवाली हैं। लेकिन यह जो इस तरह की बात सुनने में आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन करेंगे वहीं पर ही वाटर सप्लाई की स्कीम को इम्पलीमेंट करेंगे, तो हम तो फिर किसी भी दिन के लिए यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे यहां पानी आ सकता है। आज जो हमारे यहां की हालत है कि दस कोस से पानी लाकर पीओ और दूसरे दिन फिर दस कोस पानी लेने जाओ, मैं समझता हूं कि इस स्थिति में किसी तरह की बदली होनेवाली नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कटौती प्रस्ताव द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय और इन जनरल राजस्थान गवर्नमेंट को इस बात पर इन्सिस्ट करूंगा कि इन सब कारणों को मद्देनजर रखते हुए जिस सीरियस मूड से, सीरियस एफर्ट्स से काम शुरू किये हैं उनको आखिर तक पूरा करेंगे; तभी मैं समझता हूँ कि अपना जो प्लान है वह सफल हो सकता है, हमारा विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जो पिछड़े हुए लोग हैं उन पर तो पहले से ही भगवान् रुष्ट हैं और फिर अगर उनके साथ साथ आपका भी इसी तरह का रवैया हो जाता है तो उनका तो किसी दिन भी उद्धार हो नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतराज जैन।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास योजना के सिलसिले में इस मांग पर जो कटौती प्रस्ताव सदन के माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं उनके बारे में बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने और फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि सामुदायिक विकास योजना के सिलसिले में जो कामकाज गांवों में अधूरे पड़े हैं.. .

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): मैं कुछ नहीं बोला इस बारे में।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह आपका कटौती प्रस्ताव मैंने देखा था। जो काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा नहीं कराया जा रहा है और नए वर्क्स भी जो लागू करना चाहते हैं उनके लिए जितनी मांग है उनको भी पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं आपके जरिए माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बात सही है कि पिछले साल में इस प्रकार के जो अधूरे काम पड़े हुए थे उनको पूरा नहीं किया जा सका। जो लोकल डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनके लिए हमारे पास में ग्रान्ट का प्रोविज़न नहीं था। इस साल में जो पुराने वर्क्स अधूरे पड़े हैं उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए दस लाख रुपयों का प्रोविज़न किया गया है और वह अलग अलग विकास योजनाएं, जितने कामकाज अधूरे पड़े हैं उनको करीब २ कलेक्ट भी किया जा चुका है। इस वर्ष से रुपया देकर उन कामों को पूरा करवाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद में बाड़मेर-बालोतरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो दो-तीन कटौती प्रस्ताव रखे वे सीधे तो इस मांग से सम्बन्धित नहीं हैं जैसे उन्होंने बड़ी २ पॉवर्स का सवाल उठाया, जैसे उन्होंने बड़े बड़े रूट्स का सवाल उठाया, ये सामुदायिक विकास योजना से सम्बन्धित नहीं है। क्योंकि जैसा उन्होंने रोड्स के बारे में कहा कि बसतु ये बचुंरा, हरसोल, जोधपुर-बालोतरा होते हुए बाड़मेर तक रोड़ बनाने का सवाल है तो यह एक अलग डिमान्ड है और निर्माण विभाग की डिमान्ड पर इसके बारे में चर्चा कर सकते थे। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि जैसा उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है कि बाड़मेर जिले की रोड्स को बनाने का काम बहुत मुश्किल है, वहां पर रोड बहुत मंहगी बनती है, बड़ी मेहनत के साथ वहां पर रोड बनती है, फिर भी जो कुछ प्रावधान इस रोड के हैड में जो बाड़मेर जिले का था, जितना उनका टार्गेट था-मनी टार्गेट वह करीब २ पूरा हो गया है। मैं फिज़िकल टार्जेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ६० प्रतिशत शिड्यूल किया गया है उसमें तो बाड़मेर भी एक्सेप्शन नहीं रह सकता, लेकिन जो मनी टार्गेट था वह काफी हद तक पूरा किया गया है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो सारे जिलों का हक होगा वही हक बाड़मेर को भी मिल जायगा। इसी प्रकार बिजली के लिए उन्होंने कहा, इर्रिगेशन और कुओं के बारे में भी कहा गया। जहां तक सामुदायिक विकास का सवाल है जिसके जरिए पंचायत समितियों को जो लोन पम्पिंग सेट के लिए दिया जाता है बिजली से पानी निकालने के लिए वह भी मेरे ख्याल से जहां तक उनकी समितियों का सम्बन्ध है उनके यहां कहीं ज्यादा कुएं हैं और उसका पर्सेन्टेज भी काफी ऊंचा है। फिर भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरफ पूरा ध्यान है कि कहां पर पॉवर की डिमान्ड है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी व्यवस्था की जा रही है। जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके जरिए से इस प्रकार के छोटे २ पॉवर स्टेशन लगाने की व्यवस्था की जा रही है और इसके अन्दर कुछ रुपया तो वे खुद सोसाइटीज़ के जरिए इकट्ठा करें और कुछ सरकार मदद देकर इस प्रकार के छोटे २ पॉवर स्टेशन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। जहां तक लार्जर पॉवर प्लान्ट्स की बात है, मुझे याद पड़ता है कि बालोतरा के अन्दर वहां की इर्रिगेशन, एग्रीकल्चर पोटेंशियेलिटी को देखकर वहां

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पर पूरे लोड का सर्वे किया जाकर और लोगों की मांग को देखते हुए एक हजार किलोवाट का नया पॉवर-थर्मल स्टेशन लगाने की बात है। वह योजना तो अभी योजना बनने के ही स्वरूप में है, लेकिन यह कहना कि इस तरफ ध्यान नहीं है उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से सरकार इस बात के लिए सजग है कि जो ऐसे पिछड़े हुए इलाके हैं, जहां पर कितने ही डिफिकल्ट काम किए जाने हैं, उनको भी किया जाय। जहां तक रूरल वाटर सप्लाई स्कीम का सम्बन्ध है उसके लिए एक अलग सेक्शन है जिसके जरिए से यह स्कीम चलाई जाती है। इस योजना के अन्दर गांवों को पीने का पानी पहुँचाने की योजना है और शहरों के लिए पीने का पानी पहुँचाने की योजना भी है। उसमें जहां तक गांवों की योजना का सम्बन्ध है उसमें जो पाइप लाइन का प्रश्न है वहां तक ५ प्रतिशत गांव वालों को कॉन्ट्रिब्यूशन देना लाजिमी है जिससे कि गांव वालों का सहयोग भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में रह सके और जितना रुपया वे उपलब्ध कर पाते हैं उसके अनुसार योजना बनाई जाती है और उसको टेक-अप किया जाता है। अभी आपने ज्यादा देने की बात कही, कई लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि हम ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं, हमारे यहां की योजना को भी कंसीडर किया जाय; वहां भी कई प्रकार की बातें हैं। लेकिन इसमें यह बात नहीं है कि जिनके क्लेम वाजिब हैं उनको निगलेक्ट किया जाकर उनके यहां कार्य नहीं होंगे। जहां तक उनकी मांग वाजिब है उसको तो पूरा किया जायगा ही। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी कुछ कामकाज, जैसे पाइप लाइन लगाने, शहरों और कस्बों में ले जाने के लिए भी योजनाएं हैं। अगर कोई गांव उसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने के लिए तैयार है तो वहां पर भी इसके साथ साथ काम चल सकेंगे। अगर वे ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करा दें तो उन गांवों की योजनाओं को भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के साधनों को ध्यान में रखते हुए टेक-अप कर लेंगे। लेकिन जो उसमें पांच प्रतिशत कॉन्ट्रिब्यूशन की बात है उसको ओवर रूल करने की या उनको उनके राइट से डिप्राइव करने की कोई बात नहीं है। खास तौर से जो डेज़र्ट एरिया है बाड़मेर का, वहां पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट ट्यूर कर रहे हैं। वे खोज करके बतायेंगे कि वहां पर पीने का पानी मिल सकता है और उस काम को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। इन सब हालात को आप देखें तो पता लगेगा कि इस ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

सांचोर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि सांचोर का ब्लॉक बहुत बड़ा है। वे पहले अपनी बहस को और तरफ ले जा रहे थे। उन्होंने अब यह कहा कि उस ब्लॉक की आबादी ज्यादा है और जहां छोटी आबादी वाले ब्लॉक्स होते हैं, औसतन ६६ हजार के होते हैं, उस दृष्टि से कम्पेरेटिवली कम होती है या ज्यादा है, तो उसको उस तरह से फन्ड प्रोवाइड किया जाय या उसका डिमार्केशन ऐसा किया जाय। इस प्रकार के जो ब्लॉक्स हैं या जिनकी आबादी ज्यादा है, सामुदायिक विकास योजना के जो फण्ड्स हैं एवं उनसे अलग दूसरे फण्ड्स भी हैं ज्यादा आबादीवाले ब्लॉक्स को दिये जांय और अलग अलग मदों में अलग अलग विभाग

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में से समय समय पर जिस साल में जिस धन–राशि का एलोकेशन होता है, जैसे एनिमल हस्बेन्ड्री में पहले से कई प्रकार का एलोकेशन होता है, माइनर इरिगेशन वर्क्स का है, ऐसे ब्लॉक्स के लिए दूसरे ब्लॉकों के अलावा बजट उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ज्यादा एलोकेट करने की बात है। फिर भी इस प्रकार के ब्लॉक्स को जहां आबादी, पोपुलेशन, बढ़ी हुई है उसको ठीक प्रकार से बजट एलोकेशन हो, यह बात भी सरकार के विचाराधीन है और मौका आने पर इस बात पर गौर किया जायगा।

तो, जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे हैं उनके बारे में इतनी जानकारी देने के बाद यह उपयुक्त समझता हूं कि वे अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस ले लेंगे और इस मांग को स्वीकार करेंगे।

हां, उनियारे की बात रह गई। उनियारे से आनेवाले माननीय सदस्यों ने खास तौर से इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा अपने स्कूल की बात का जिक्र किया है और कुछ लोकल डेवलपमेंट वर्क्स की बातों का भी जिक्र किया है, जिनका उत्तर मेरे ख्याल से, इसमें समाविष्ट हो जाता है। १० लाख की राशि ऐसे अधूरे कामों को पूरा करवायेजाने के लिए रखी है जिसमें स्कूल का काम है और इस तरह के छोटे छोटे काम हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं उनकी व्यवस्था पूरी हो सके। खास तौर से जो स्कूल की बात कही गई है, हाई स्कूल की दिक्कतों के बारे में, तो वह सामुदायिक विकास योजना का काम नहीं है। वह शिक्षा विभाग का काम है। एक क्वेश्चन आया था जिसके बारे में कल जवाब दिया था मैंने। फिर भी डिटेल में शिक्षा विभाग के लोगों से बात करें कि उसका क्या हल हो सकता है तो वह हल निकाला जा सकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): शेडो ब्लाक्स है वहां पर, तो शेडो ब्लॉक्स में ज्यादा देने की आवश्यकता है उस पर ध्यान दिया जायगा। ब्लॉक्स में ज्यादा रकम जाती है और शेडो ब्लॉक्स में कम रकम जाती है। तो रिमेनिंग वर्क्स को महरबानी करके पूरा करा दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसीलिये तो वे शेडो ब्लॉक्स कहलाते हैं। उनके लिए वह बजट लागू नहीं होता है। वहां पर दूसरा बजट लागू होता है।

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्तावों को यदि माननीय सदस्य प्रेस नहीं करेंगे तो सीधी मांग पर ही वोट ले लें।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): आपने आश्वासन दे दिया तो प्रेस नहीं करता हूं।

(अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपने कटौती प्रस्तावों को प्रेस नहीं किया)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५५, मुख्य शीर्षक ६३ ख–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३९,६२,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५७, राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण तथा विद्युत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान मांग संख्या ५७, मुख्य शीर्षक ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६७,०००)रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५७ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४४-राजस्व

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक ७—भू—राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३१,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : motion moved.

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

श्री लक्ष्मीचन्द :

मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक ७—भू—राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय। पटवारियों की वेतन श्रृंखला में सिलेक्शन ग्रेड की सृजन करने पर विचार करने हेतु।)

श्री हीराभाई :

मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक ७—भू—राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (भूमि अभिलेख विभाग में ऑफिस कानूनगो के पदों का सृजन करने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु।)

श्री भैरोंसिंह :

मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक ७—भू—राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय। (पटवारियों की वेतन श्रृंखला में सिलेक्शन ग्रेड के सृजन करने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु।)]

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है कि पटवारियों की वेतन श्रृंखला में सिलेक्शन ग्रेड का सृजन करने पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे रेवेन्यू विभाग का सबसे बड़ा तबका पटवारी लोग हैं और उनकी वेतन श्रृंखला सब पटवारियों

(श्री लक्ष्मीचन्द)

की एक किस्म की नहीं है। कुछ पटवारी तो जो पहले से ही पटवारी का काम करते थे, खालसा में हवालदार का काम करते थे, कुछ कोर्ट ऑफ वार्ड्स से पटवारी आये हैं, कुछ सेटलमेंट डिपार्टमेंट से पटवारी आये हैं, इस प्रकार से तीन वेतन शृंखलाएं हैं। उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है और उनके ग्रेड्स में, जिस वक्त में प्रमोशन दिया जाता है तो उसमें भी काफी अन्तर आता है और यहां तक कि, अध्यक्ष महोदय, जो सेटलमेंट विभाग से कर्मचारी आये हैं या जो आते हैं उनकी वेतन शृंखला बहुत कम है। एक ही जगह एक सा काम करनेवाले व्यक्ति हैं। उतनी ही जिम्मेवारी उस पटवारी की है। जिसकी वेतन शृंखला ज्यादा है और उतनी ही जिम्मेवारी उसकी भी है जिसकी वेतन शृंखला कम है। जो सेटलमेंट डिपार्टमेंट की सर्विसेज़ से आये हैं उनकी सर्विसेज़ ट्रान्सफर रेवेन्यू डिपाटमेंट में हो गई तो फिर उनके एक तो ग्रेड के बारे में टंटा पड़ता है, और कई दफा माननीय राजस्व मंत्री यह कह कर टाल देते हैं कि चूंकि उनका डेट ऑफ अपोइन्टमेंट 'सेटलमेंट विभाग का न लेकर प्रमोशन उस हिसाब से नहीं देना चाहेंगे। सेटलमेंट डिपार्टमेंट से आनेवाले उन्हीं पटवारियों को प्रमोशन देना चाहेंगे जिन्होंने पटवार ट्रेनिंग पास कर ली है। जहां तक प्रमोशन का सवाल आता है तो एक पटवारी जिसने कि पटवार ट्रेनिंग क्लास पास नहीं की है, पर चूंकि वह उस विभाग में कार्य करता है तो उसको उसकी वेतन शृंखला के हिसाब से ही दिया जायगा। दूसरी तरफ जिन्होंने सेटलमेंट डिपार्टमेंट में सर्विस की है और अब इस विभाग में आ गये हैं लेकिन उन्होंने पटवार ट्रेनिंग पास नहीं की है तो इनका ग्रेड और प्रमोशन जो है वह उन्हें नहीं दिया जायगा। लेकिन इस विषय में भी चूंकि कुछ लोगों को दिया गया है, जोधपुर डिविज़न के अन्दर २ पटवारियों को, जिन्होंने कि पटवार ट्रेनिंग क्लास पास नहीं की और सेटलमेन्ट डिपार्टमेंट से आये हैं उनकी सीनियोरिटी किस प्रकार से स्थापित की गई है या निर्धारित की गई है, फिर भी उन दोनों को ग्रेड्स दे दिये गये हैं। इस प्रकार से पटवारियों के अन्दर इस किस्म की भावना पैदा कर दी है। उनके ग्रेड्स में समानता नहीं लायेंगे तो उनके अन्दर इस तरह से संतोष पैदा नहीं करेंगे। या तो हमें उनके ग्रेड्स ठीक ढंग के बनाने हैं। यदि उनकी आवश्यकताओं को, उनकी जरूरतों को देखते हैं, उनके कार्य को देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी को देखते हैं तो उनके ग्रेड्स में वृद्धि करनी होगी। १० प्रतिशत की वृद्धि करके सब पटवारियों के अन्दर जो असंतोष की भावना है उसको कम करना चाहते हैं तो वह भावना कम होगी नहीं। १० प्रतिशत वृद्धि से पटवारी असंतुष्ट ही रहेंगे। लोगों में जलन पैदा होगी। या तो इसकी मात्रा में वृद्धि करनी होगी या १० प्रतिशत वृद्धि करके उनमें संतोष लाना चाहते हैं तो संतोष होनेवाला नहीं है क्योंकि यह पर्याप्त राशि नहीं है। इसीलिये, अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सुझाव है कि आपको इस मात्रा में वृद्धि करना है अन्यथा गवर्नमेंट को इस गड़बड़ की छानबीन करने के लिए एक बोर्ड का निर्माण करना चाहिए जिससे कि अभी जो पटवारियों की वेतन शृंखलाएं हैं वे सब प्रकार से समान रूप से हों और उनमें किसी प्रकार का असंतोष नहीं हो। इस किस्म से

Page No.51

(श्री लक्ष्मीचन्द)

उनके ग्रेड्स रिवाइज़ करने के लिए एक बोर्ड बिठाना चाहिए। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से मेरे इस सुझाव का समर्थन करें।

श्री हीराभाई (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि भूमि अभिलेख विभाग में ऑफिस कानूनगो के पदों का सृजन किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफिस कानूनगो के पद के बारे में जो इतना पक्षपात हो रहा जिसकी मिसाल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक जिनका कोई आगे सिफारिश करने-वाला नहीं है और कोई तरह के कुटुम्बी भी नहीं है उस ऑफिस कानूनगो के लिए इतना काम सौंपा गया और समय समय पर ट्रेनिंग में भेज कर एक कैदी और भेड़-बकरी की तरह ऑफिस कानूनगो को सरकार ने बना रखा है।

तहसीलदार का जितना कार्यक्रम है भूमि लेखा के संबंध में वह सारा ऑफिस कानूनगो के पास रहता है और सरकार ने उन पर कितना कार्यभार अधिक थोप रखा है कि न तो उनके लिये पूरी व्यवस्था है और न उनके वेतन को बढ़ाने की सरकार की नीति है। इस तरह से अध्यक्ष महोदय, छोटी श्रेणी से ऊंची श्रेणी में जाने के लिये कर्मचारियों के लिये सरकार ने कई रास्ते खोल रखे हैं लेकिन ऑफिस कानूनगो के लिये कोई रास्ता खुला हुआ नहीं है। इसलिये ऑफिस कानूनगो के लिये भी इस तरह का रास्ता खुला हुआ होना चाहिये। एक ऑफिस कानूनगो बांसवाड़ा कुशलगढ़ में थे उन्होंने ट्रेनिंग के लिये कई बार दरख्वास्तें सरकार के पास दीं लेकिन सरकार ने उनके आवेदन पत्रों को नहीं माना। दूसरे अपने रिश्तेदारों को और दूसरे लोगों को चान्स दिये जाते हैं लेकिन कानूनगो को उसके पद की तरक्की से दूर रखा है।

अध्यक्ष महोदय, आज के स्वतंत्रता के युग में हर आदमी को आगे बढ़ने और अच्छा चान्स प्राप्त करने की सरकार ने सुविधा दे रखी है लेकिन एक पूरी तहसील के दो, तीन सर्कल्स में एक कानूनगो को रखा जाता है जिस पर अधिक से अधिक काम थोप रखा है, जिसको वे पूरा नहीं कर सकते। कई ऑफिस कानूनगो के पास काम अधूरा पड़ा रहता है और लैंड रेवेन्यू का दो-दो, तीन-तीन साल तक खुलासा नहीं नहीं होता और उनके पास अधिक काम होने के कारण किसान जो दरख्वास्तें देते हैं वे पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, ऑफिस कानूनगो के लिये राज्य सरकार ने जो कुछ रखा है उसके लिये मैं जहां तक समझता हूँ पुराने ऑफिस कानूनगों हैं उनके लिये आगे ऐसी व्यवस्था की जाय कि वे ट्रेनिंग लेकर नायब तहसीलदार की जगह पर या और कहीं जा सकें। उनके साथ इस तरह का आज की तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिये, उनको तरक्की मिलनी चाहिये। इसलिये मेरा यह कटौती प्रस्ताव है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, यह है कि एक पटवारी के बारे में गिरदावरी पूरी नहीं होने का कारण यह है कि हमारे बांसवाड़ा कुशलगढ़ में एक एक पटवारी को सात सात

(श्री हीराभाई)

हजार खसरा नम्बर दे रखें हैं जब कि पटवार कानून में एक पटवारी को तीन-साढ़ा तीन हजार खसरा नम्बर से ज्यादा नहीं देना लिखा है। लेकिन हमारे यहां एक, एक पटवारी को सात, सात हजार खसरा नम्बर देते हैं। इसलिये उनको जो बड़ा काम सौंप दिया है उसका बदला वे किसानों से लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि इन पटवारियों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमेशा ये किसानों के काम में दखल देते रहेंगे और किसानों का काम असफल बनता रहेगा। इसलिये जितना नम्बर गिरदावरी के नियमों के अनुसार देना चाहिये उतना ही दिया जाय। तब तो मैं समझता हूं प्रजातंत्र के जमाने में उनको पूरी राहत मिल सकेगी। सरकारी कर्मचारी उनको भले ही हम मानते हैं लेकिन उन पर इतना दबाव थोप दिया गया है कि भ्रष्टाचार किये बिना नहीं रहते। उनको सात हजार खसरा नंबर दिया है जब कि तीन, साढ़े तीन हजार से ज्यादा नहीं देना चाहिये। यह उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। यह राज्य सरकार का न्याय नहीं होगा। उनके पास कार्य अधिक होने के कारण वे भी ऐसा हो बर्ताव करते हैं। मैं बयाना के एक पटवारी के बारे में बताना चाहता हूं कि उसने पूरे गांव का खसरा नंबर फाड़ दिया। वह शायद होम मिनिस्टर साहब का रिश्तेदार है इसलिये उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है....

श्री अध्यक्ष : आप शायद कहते हैं जिस बात के लिये, आपको उसकी जानकारी नहीं हो तो सदन के सामने वह बात नहीं रखनी चाहिये।

श्री हीराभाई : आप जानकारी प्राप्त करें कि बयाना के पटवारी के खिलाफ जांच हुई या नहीं ? उस पटवारी ने जो कुछ किया वह मजबूरी के कारण किया, यह मैं मानता हूं ! लेकिन उसको रिश्तेदारी के कारण बचाया जाता है। ऐसे भ्रष्टाचार को आपने खुद ने प्रोत्साहन दिया है। उनको कार्य के लिये कुछ सुविधा दें ताकि न तो किसानों के कार्य में दखल हो और न उनको भ्रष्टाचार में उतरना पड़े। मजबूरी के कारण उनको भ्रष्टाचार में उतरना पड़ता है। उसके लिये सरकार खुद सोचे और जितना आज उनको खसरा नंबर दिया है उतना न देकर पटवार मेन्युअल के अनुसार ही उनको सारा कार्य-भार सौंपे।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव इस संबंध में है जिसको मैं सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व दो माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और दोनों का मतलब करीब करीब एक सा ही था। पटवारियों का आज जिस प्रकार का वेतन स्तर है वह उनके ऊपर जो जिम्मेवारी डाली गई है उसके अनुपात में पूरा नहीं है। वैसी स्थिति के अन्दर हमारे इस पटवारी इन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ विचार करना पड़ेगा। नाम सुनने के अन्दर जब 'पटवारी' शब्द से किसी ऑफिस को संबंधित किया जाता है तो आपको बात ऐसी लगती है कि यह कोई मामूली तबके का आदमी है और ऐसा कहना चाहिये कि राज्य सरकार का लोएस्ट स्टेटस का कोई कर्मचारी है। जब इस प्रकार की कल्पना

(श्री भैरोंसिंह)

हमारे दिमाग में आती है तो हम पटवारी की इम्पोर्टेन्स क्या है इसको शायद भूल जाते हैं। पटवारी की इम्पोर्टेन्स मैं बताऊं या नहीं लेकिन सबको मालूम है कि आज के हमारे शासन की पूरी व्यवस्था पटवारी के आधार पर चलती है। हमारी जो नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल है प्लानिंग की वह भी अपनी विचार-धारा के आधार पर कोई नीति निर्धारित करती है तो उसके सामने भी प्रारंभिक रूप से आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं। लेकिन उनको प्रस्तुत करनेवाली एजेन्सी पटवारी है। राजस्थान में खाद्यान्न की कितनी आवश्यकता होगी, इस सम्बन्ध में यदि उत्पादन के आंकड़े इकट्ठे करने हैं तो वे पटवारी से इकट्ठे करेंगे। यदि राज्य सरकार को यह आंकड़ा इकट्ठा करना है कि राजस्थान में कितनी भूमि फलां सन् में काबिल काश्त बनाई गई, कितनी ज्यादा भूमि पर काश्त हुई, राजस्थान में सोइल इरोज़न कहां कहां हुआ है, किस किस स्थान पर टिड्डियां पहुँची है, कितनी महामारी आई है आदि जितनी भी छोटी मोटी गांवों के सम्बन्ध की बातें हैं जिनके बारे में सरकार को जानकारी प्राप्त करनी होती है तो वह जानकारी प्राप्त करने की एजेन्सी पटवारी ही है। अब मैं समझता हूं इस एजेन्सी पर ऐतबार नहीं किया जाय तो उचित नहीं होगा। लेकिन सवाल यह आता है कि जिस पटवारी को माध्यम मान कर नीति निर्धारित करते हैं वह आज किस स्थिति में है, काम कर सकता है या नहीं और यदि काम कर सकता है तो किस स्थिति में कर सकता है?

मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जानते होंगे और इस सदन के सभी माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि पटवारी के ऊपर जितना वर्क लोड है उतना, मैं समझता हूं, आज दुनिया के किसी कर्मचारी के ऊपर नहीं होगा। इसके साथ ही पटवारी के ऊपर जिस प्रकार का वर्क लोड है, यदि उसके आंकडे तैयार किये जायं, तो उसके मुकाबले में उतना काम करनेवाला कोई कर्मचारी नहीं ठहरेगा। अगर दूसरे कर्मचारियों की तनख्वाह से पटवारी की तनख्वाह की तुलना की जाय तो पटवारी लोएस्ट है, उसकी कोई डिग्निटी नहीं है। ऐसे कर्मचारी की तनख्वाह के बारे में जब सरकार विचार करती है तो उसमें मैं समझता हूँ उसकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान नहीं रखा जाता है। हमें यह देखना पड़ेगा कि जनता की जो शिकायतें हैं पटवारी के प्रति, वे क्यों हैं। शिकायत यह है कि उसे भूमि के अभिलेखों को तैयार करने का काम दिया है, खेतों में कितनी पैदावार होती है, उसकी एन्ट्री करने का काम दिया है। उसके आधार पर ही ऐसे मामलों में कोर्ट फैसले देती है, रेवेन्यू बोर्ड द्वारा भी, जो एन्ट्री वह करता है उनको सही माना जाता है। उसको रेस्पोन्सिबिलिटी सौंपी है, इर्रिगेशन, लैंड रेवेन्यू के रेकॉर्ड्स तैयार करने के बारे में, बाकी और जो रेकॉर्ड्स बनाने हैं, उनकी जिम्मेवारी भी उसे सौंपी है। लेकिन इस काम को करनेवाले व्यक्ति को जो तनख्वाह मिलती है, वह तनख्वाह कुछ भी नहीं है। इसी कारण पटवारी इस काम में गड़बड़ करता है। सरकार माने या न माने लेकिन सब का अनुभव है, जो गश्त गिरदावरी होती है उसको करने के लिए पटवारी एक मकान में बैठ कर सब पटेलों को बुला लेता है और पटेल से पूछता है कि इस गांव में कौन

श्री भैरोंसिंह)

किसान कितनी काश्त करता है और पटेल जो भी बताता है, तीन, पांच, सात, दस, उसकी एन्ट्री कर देता है। एक मकान में बैठ कर, बिना मौके पर जाये वह यह काम करता है। प्रश्न पैदा होता है कि वह ऐसा क्यों करता है ? मैं निवेदन करूं क्योंकि यह सम्भव नहीं है, वह सारे इलाके में जाकर एक एक खेत की जानकारी करके एन्ट्री कर सके क्योंकि आपने जो समय निर्धारित किया है कि अमुक तारीख तक ये सारी एन्ट्री होनी चाहिए उस समय में अगर वह जीप लेकर भी घूमें तो नहीं पहुँच सकता, हर जगह और सारे काश्तकारों से सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता; जब कि आप चाहते हैं कि वह पैदल घूम कर इस बात की जांच करे कि किस किसान ने कितनी खेती की है और कितनी पैदावार कहां हुई है।

इसी प्रकार से, आज मैं समझता हूं कि गांवों के अन्दर जो अपराध होते हैं उन स रे अपराधों की सूचना देने के सम्बन्ध में पटवारी को रेस्पोन्सिबल माना है। अगर किसी गांव में अपराध हो जाय और पटवारी ने उसकी सूचना नहीं दी तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जायगा। मैं समझता हूं कि पटवारी के ऊपर जितनी जिम्मेवारी डाली है उसके अनुसार आप उसको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। इस कारण उनमें असंतोष है और इसी कारण, मैं समझता हूँ, पटवारी रिश्वत खाते हैं। पटवारी के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि कई जिले ऐसे हैं जहां पटवार बिकते हैं, गंगानगर का जिला ऐसा है, जहां एक पटवारी का अपोइन्टमेंट नीलाम से होता है, और वह इसलिए होता है क्योंकि पटवारी रिश्वत खाने की एजेन्सी बना हुआ है और वह एजेन्सी इसलिए बनता है क्योंकि जिम्मेवारी के अनुसार उसकी तनख्वाह नहीं है।

आज से तीन वर्ष पहले जयपुर में एक पटवारी सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन का माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने उद्घाटन किया था। मुझे याद है जब सम्मेलन में पटवारियों ने मांगें प्रस्तुत कीं तो राजस्व मन्त्रीजी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सम्मेलन में मांगों के सम्बन्ध में इन्कारी प्रकट कर दी जाय और उन्होंने इन्कार नहीं किया, बल्कि यह कहा कि सिम्पेथेटिकल कन्सीडरेशन होगा। मुझे खुशी है कि नाममात्र के पद बढ़ा कर उनकी तनख्वाहों में तरक्की की जा रही है। लेकिन जो तीन वर्ष के अन्दर आश्वासन को पूरा करने की चेष्टा की है वह उस हिसाब से इन पटवारियों को तनख्वाह नहीं मिली है और वह इसलिए नहीं मिली, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां कस्टम्स डिपार्टमेंट के कुछ नाकेदार थे उनको पटवारियों में एब्ज़ोर्ब किया है, लेकिन उनकी तनख्वाह १२०) रु., १३०)रु. और १४०)रु. है, जब कि १४०) रु. गिरदावरों की नहीं है, कानूनगों की नहीं है और नायब तहसीलदार की नहीं है, जो राजस्थान में है। तो कस्टम डिपार्टमेंट के नाकेदारों को पटवारियों की जगह पर लगाया है, और उनका ग्रेड बढ़ा दिया है, इससे पटवारियों में असंतोष फैल रहा है। इस फैलते हुए असंतोष को कैसे रोका जाय, इसके लिए सिलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की है, जिससे पटवारियों को यह बता सकें कि वे इस सिलेक्शन ग्रेड में आ सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, १० पर्सेन्ट पदों की ग्रेड के अन्दर जो वृद्धि की है, वह तो जो पटवारी ऐसे हैं, जिनको एब्जोर्ब किया है, वे सारी की सारी पोस्ट्स को

(श्री भैरोंसिंह)

हजम कर लेंगे और बाकी के लोगों को मिलने की गुंजाइश ही नहीं है। मैं जानता हूं कि इस सिलेक्शन ग्रेड के प्रावधान से कस्टम्स डिपार्टमेंट के नाकेदार, जो एब्ज़ोर्ब किये गये हैं की ज्यादा ज्यादा तनख्वाहें सुरक्षित हो गई हैं, बाकी किसी का हित नहीं होता है, जो राजस्व काम के लिए बैठे हैं उनके लिए यह प्रावधान नहीं है। इसके द्वारा पटवारियों का भला होनेवाला नहीं है। मैं समझता हूं कि पटवारियों की रेस्पोन्सिबिलिटी की तुलना में जो तनख्वाह उनको मिलनी चाहिए वह उनको नहीं देंगे, तो निश्चित् रूप से एक पटवारी के द्वारा जो जिम्मेवारी के काम करवाने हैं वे ईमानदारी से पूरे नहीं हो सकते हैं और जिस पटवारी के रेकॉर्ड के ऊपर सारे शासन का काम चलाना चाहते हैं उसके अन्दर कमियां आयेंगी। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहूंगा कि पटवारियों की तनख्वाह राजस्थान में कम हैं। इसके साथ ही बाकी सर्विसेज़ को जो सुविधायें दी हुई हैं वे इन पटवारियों को नहीं दी गई हैं। उनकी तुलना में इनको सुविधायें दी जायं और उनकी तुलना में इनकी तनख्वाह बढ़े, इनकी जिम्मेदारियों का असेसमेंट करके इनकी तनख्वाह बढ़ाई जायं, तो मैं ज्यादा उचित समझता हूं। केवल सलेक्शन ग्रेड निर्धारित करने से पटवारियों की समस्या हल नहीं होगी। मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि यह कम है और इससे उनकी समस्या पूरी नहीं होगी। इतना कह कर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मांग संख्या ४४ है, इसमें ३१,०००) की रकम में से ११ हज़ार की धनराशि ऑफिस कानूनगो के ८ पदों का सृजन करने के लिए है और २०,०००)रु. की धनराशि पटवारियों के स्वीकृत पदों के अधिक से अधिक १० प्रतिशत व्यक्तियों को सिलेक्शन ग्रेड में फिक्सेशन करने के लिए है। इस सिलसिले में जो कटौती के प्रस्ताव आये और श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने पटवारियों की कम तनख्वाह होने के बारे में यह कहा कि ये सबसे ज्यादा मेहनत से काम करनेवाले हैं और हार्ड वर्कर हैं और काम के ज्यादा बोझ से दबे हुए हैं, इन्सान हैं और इनके साथ में न्याय होना चाहिये। इनको तनख्वाहें मिलती हैं वे कम मिलती हैं, वे ज्यादा मिलनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आम तौर से जब क्लास फोर्थ का प्रश्न आता है, पटवारियों का प्रश्न आता है और छोटी सर्विसेज़ का प्रश्न आता है, बड़े जोर से कहते हैं, इनकी ग्रेड्स कम हैं और वे बढ़ाई जानी चाहिये। परन्तु यह सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि सारे स्टेट का बजट सदन के सामने आता है। उसके लिए जितने रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं उनके साथ जितना खर्चा स्टेट का जुड़ा हुआ है उसकी सारी तस्वीर माननीय सदस्यों के सामने आती है। जब रिसोर्सेज़ बढ़ाने की बात कही जाती है उस समय उनकी ओर से कहा जाता है कि इस तरह रिसोर्सेज़ बढ़ाने में कठिनाई होगी, लोग पहले ही कर से दबे हुए हैं और भी जनता के साथ तकलीफें हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि जिनकी

Page No.56

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तनख्वाहें कम हैं उनकी तनख्वाहें ज्यादा की जायं। ये दोनों चीजें आती हैं। इन दोनों में समन्वय किस स्टेज पर कहां बैठ सकता है? सरकार के पास जितने रिसोर्सेज़ हैं, जितने साधन हैं, उन सारे रिसोर्सेज़ से वह व्यवस्था करती है। इसके अलावा पटवारियों की तसवीर आपने खींची। मेरे ख्याल से मैंने भी गांवों के पटवारियों की तस्वीर देखी है, समझी है, जितने काम से दबे हुए आप बता रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं और एक एक गांव में जाकर, एक एक खेत पर जाकर गिरदावरी कराना चाहते हैं अमुक समय के अन्दर, यह ठीक है, कि एक एक खेत पर जाकर गिरदावरी करना सम्भव नहीं हो सकता है और करते भी नहीं हैं और गांवों में, तमाम खेतों में जो डिस्प्युटेड मामले हैं, वहां मौके पर जाकर....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : मन्त्री महोदय यह न कहें तो उचित होगा क्योंकि रेकॉर्ड मेन्युअल में है कि एक एक खेत पर जाकर रेकॉर्ड करे। आप जैसा कहते हैं उससे पटवारियों को एन्करेजमेंट मिलेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी आप जो कह रहे थे उसके बारे में बता रहा हूं। अभी जैसा कहा कि मेन्युअल में लिखा हुआ है, उसकी ड्यूटी भी है कि एक एक खेत पर जाकर गिरदावरी करनी चाहिए। कौनसे खसरे में कौनसी फसल बोई गई और किसने बोई है? एक्चुअल यह होता है कि एक एक खेत पर नहीं जाता है और जाता भी है तो वहां जहां किसी चीज़ पर झगड़ा हो वहां मौके पर जाकर कार्यवाही करके, गांव के अन्दर पूछ कर, जिस खसरे में जिस प्रकार का अनाज हो, उसकी एन्ट्री करता है। यह ठीक बात है कि उनके पास वर्क लोड ज्यादा है। इसलिये जैसा मेन्युअल में लिखा हुआ है, तीन हज़ार तक का खसरा हो, वह दिया जाय। जैसा बांसवाड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि सात हजार का खसरा पटवारी के पास है, पांच हजार का खसरा पटवारी के पास है, मैं निवेदन करूं कि तीन हजार से ऊपर का खसरा पटवारी के पास है। तो इसके बारे में राज्य सरकार ने इसको रेवेन्यू बोर्ड को एग्ज़ामिन करने के लिये दे रखा है। रेवेन्यू बोर्ड हर पटवार सर्कल की हालत को देखते हुए, रीऑर्गेनाइज़ करके कि इतनी कसर है, कितने नये पटवारियों की जरूरत है, यह सब देखेगा। इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार कई पटवारियों के पास काम ज्यादा जरूर है मगर यह नई व्यवस्था शुरू होने पर सब ठीक हो जाएगा।

उनके वेतन श्रृंखला के बारे में कहा गया कि उनका वेतन बहुत कम है। पटवारियों के वेतन को हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स से कम्पेअर करें तो आपको मालूम होगा कि उनके प्रोपोर्शन में यहां की वेतन श्रृंखलायें ठीक नजर आयेंगी। यों देखा जाय तो किसी भी व्यक्ति का १००) रु० से कम वेतन नहीं होना चाहिये। मगर यह तो हम कर नहीं सकते। यह तो हम तभी कर सकते हैं जबकि हमारे पास उतने साधन हों। मगर जो भी साधन हमारे पास हैं उनको देखते हुए जो भी राहत लोगों को दी जा सके, वह दी जाये। हम पटवारियों की तसवीर को सही दिशा में नहीं देख पाते हैं। मैं यह कहूंगा कि दूसरी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

स्टेटों की बनिस्बत हमारे यहां के पटवारियों की स्थिति अच्छी है । पटवारियों के काम की स्थिति सुधरी है और आगे भी सुधार किया जायगा । मेरे ख्याल से इन पर ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है । उनको क्या मिल रहा है, उनका कोई विरोध नहीं किया है । मैं समझता हूं कि मैंने सारी बातों का स्पष्टीकरण कर दिया है और अब माननीय सदस्य अपने अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस ले लेंगे ।

(कटौती प्रस्ताव पेश नहीं किये गये)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक ७, भू-राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३१,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४५, सिंचन (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयंत्र पर व्यय

श्री दौलतराम सारण (उप मंत्री सिंचाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक १८-सिंचन (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयंत्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २०,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४५ स्वीकार की जाए ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४५ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४६

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५०,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४६ स्वीकार की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४६ स्वीकार की गई ।

(विराम)

मांग संख्या ४७

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक २६-पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री रामकिशोर व्यास)

को ५,०१,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

श्री हीराभाई ।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक २६–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (खाद्यान्नों के तस्कर व्यापार को रोकने में पुलिस की असमर्थता पर बहस करने हेतु)

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री की ओर से जो मांग प्रस्तुत की गई है इस मांग का एक भाग है उसके अनुसार ३ लाख ३६ हजार की राशि इस सदन से इस बात के लिये मांगी जा रही है कि खाद्यान्नों का तस्कर व्यापार को रोकने के लिये २५ जांच चौकी तथा २५ चलते–फिरते दस्ते कायम करेंगे जिनमें ५० हैड कॉन्सटेबल्स और २५० कॉन्सटेबल्स होंगे ।

जहां तक इस मांग की मूल भावना का सम्बन्ध है राजस्थान में तस्कर व्यापारी और तस्कर व्यापार इन दोनों को रोकने के संबन्ध में सरकार को काफी सजग होकर उसमें रुकावट पैदा करनी है । मैं समझता हूं कि इसमें किसी का भी मतभेद नहीं हो सकता । लेकिन प्रश्न एक आता है कि ३ लाख, ३६ हजार रुपये हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की मार्फत खाद्यान्नों के तस्कर व्यापार को रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं, यदि वह रुपया इसको दे दिया गया तो क्या इसके कारण से तस्कर व्यापार रुक जावेगा ? अब प्रश्न एक आता है कि पुलिस को हम ३ लाख, ३६ हजार की धन राशि स्वीकार कर रहे हैं । पुलिस विभाग इस संबन्ध में अब तक कितना सफल हुआ है; यह एक विचार करने की बात है जो इसके लिये ग्राउन्ड बनेगा । मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने कुछ पहले ही एन्टी स्मग्लिंग फोर्सेज़ बना रखी हैं और कई बार जब समाचार पत्रों में हम एन्टी स्मग्लिंग फोर्सेज़ के द्वारा स्मग्लर्स को पकड़ने की सूचना की बातें सुनते हैं तो हमें आभास होता है कि सरकार ने एक ऐसे फोर्स की नियुक्ति कर रखी है जो फोर्स कुछ काम करता है ।

(१.३८ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अब इसके मुकाबले में जब समाचार पत्र पढ़ते हैं और सुबह पहले ही जब कोई लोकल हिन्दी पत्र किसी के घर में पहुँचता है तो उसमें एक न एक ऐसी खबर अवश्य पढ़ने को मिलती है कि आज पुलिस के हाथ से फलां आदमी मारा गया या आज किसी पुलिस के व्यक्ति के हाथ से किसी नवयुवती का शीलभंग किया गया या यह देखने को मिलता है कि पुलिस के हाथों मार पिटाई से व्यक्ति मारा गया और उसकी लाश को कुए में डाल दिया गया और वहां से वह लाश मिली । तो यह सोचते हुए कि जिस पुलिस के बारे में हम रोज ऐसे समाचार देखते हैं और हमें पढ़ने को मिलते हैं और रोज

Page No.59

(श्री भैरोंसिंह)

शिकायतें होती हैं, जिसके बारे में राज्य विधान सभा में भी चर्चा होती है और जिसके लिये विधान सभा के सभी माननीय सदस्य विभाग को एक्यूज़ करते हैं उसको ३ लाख, ३६ हजार रुपये दिये गये तो उन रुपयों का वहां पर उपयोग होगा या दुरुपयोग होगा ? यह प्रश्न गौर तलब है ।

यह सही है कि पुलिस विभाग को हमने राजस्थान की जनता की सुरक्षा का भार सौंपा है । इस संरक्षण में कई प्रकार की बातें आती हैं । अब हम उस पर एडीशनल उत्तर-दायित्व और देते हैं कि राजस्थान में खाद्यान्नों का तस्कर व्यापार होता है उसको रोका जावे । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है ५८-५९ के बजट अधिवेशन में बाड़मेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने इस सदन में एक मुद्दा प्रस्तुत किया था कि बाड़मेर में कुछ सोने के तस्कर व्यापारी पकड़े गये हैं और किस तरह से वे तस्कर व्यापार करते हुए पकड़े गये; उसके सम्बन्ध में पूरा विवरण पेश किया गया और इस बात की मांग पेश की थी कि इस तस्कर व्यापार में पुलिस का पूरा पूरा हाथ है । जब उन्होंने कुछ बातें कहीं तो सरकार की ओर से आश्वासन उनको मिला कि इसके लिये जांच की जावेगी। हमारे गृह मन्त्रीजी से जब दूसरे सेशन में पूछते हैं तो कहा जाता है कि जांच हो रही है । दूसरी बात, किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि जोधपुर में कुछ सुनारों की बहियों में इसके इन्द्राज होने का पता चला है और उन आंकड़ों की जांच हो रही है । बहियों को सरकार ने जब्त कर लिया है । लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, चालान हो रहा है । सब प्रकार से सदन को सूचना दी गई तो सरकार की ओर से शायद यह उत्तर मिला कि हमको पता नहीं । सरकार को पता नहीं लगा । पाकिस्तान से सोने का इतना जबरदस्त स्मगलिंग हुआ, जिसके बारे में पाकिस्तान के बोर्डर पर रहनेवाले अधिकांश पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें पेश हुई । उसमें एस. पी. डी. वाई. एस.पी., इन्सपेक्टर और सर्कल इन्सपेक्टर कोई भी उससे वंचित नहीं है । माननीय गृह मन्त्रीजी चाहें तो बता सकते हैं । यह उनकी नॉलेज में है । इस विधान सभा में प्रश्न पूछ पूछ कर मैंने बार बार ध्यान आकर्षित किया था कि पुलिस अधिकारी तस्कर व्यापारियों से मिले हुए हैं । पुलिस के जिन आदमियों को वहां पर भेजा उनकी जीपों में सोना मिला और इंडिया के कस्टम्स अधिकारियों ने जीपों सहित उनको गिरफ्तार किया । जब ये सारी बातें हमारे सामने आई तो ऐसा लगता है कि ३,३६,०००) रुपया देकर हम सोचें कि तस्कर व्यापार रोकने की कोशिश की, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । उसका माननीय गृह मंत्रीजी से जो उत्तर मिलेगा वह मैं जानता हूं । उत्तर क्या मिलेगा ? तस्कर व्यापार हो रहा है वह रोका गया है और आजकल पाकिस्तान से सोने का तस्कर व्यापार नहीं होता है । मैं यह निश्चित रूप से कह दूं कि इसके लिए यदि राजस्थान की पुलिस और माननीय गृह मंत्रीजी श्रेय प्राप्त करना चाहें तो यह बिल-कुल गलत है। पाकिस्तान में मिलिटरी गवर्नर का शासन हुआ । उसने एक कानून से, एक दिन में और एक कलम से तस्कर व्यापार को बन्द कर दिया । नतीजा उसका यह है कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में तस्कर

(श्री भैरोंसिंह)

व्यापार होता था वह आज एक सीमा तक रुक गया है। उसका श्रेय माननीय गृह मंत्रीजी और उनके अन्तर्गत जो उनकी पुलिस है वह उठाना चाहे तो वे इस श्रेय को प्राप्त करने के अधिकारी किसी प्रकार से साबित नहीं होंगे।

कुछ दिनों पहले धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अजीब बात कही थी। अजीब ही नहीं; किन्तु एक गंभीर, बात कही थी! धौलपुर और यू. पी. और राजस्थान की सीमा के बीच तस्कर व्यापार होता है। पुलिस के अधिकारियों को ७०-७० हजार रुपया दिया गया। इस तरह से पुलिस अधिकारी इन्कम करके तस्कर व्यापार को चलाते हैं। उन तस्कर व्यापारियों की शिकायत करने पर ७०-७० हजार रुपया उनसे खा पी कर उनको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न विधान सभा में आया था कि किशनगढ़ में तस्कर व्यापार करनेवालों का ट्रक कन्ट्रोल कॉमोडिटीज़ लेकर जा रहा था। शिकायत करके पुलिस को गिरफ्तार कराया गया। लेकिन उसको पुलिस ने छोड़ दिया। यही नहीं, भीलवाड़ा में चद्दरों का ट्रक गिरफ्तार कराया गया। वे तस्कर व्यापार करने के लिए ट्रक में लादे गये थे। पुलिस को जाकर बताया। वहां तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उनके सामने, लेकिन बाद में पैसा लेकर उस ट्रक को छोड़ दिया। जब शिकायत करनेवालों को इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने कलेक्टर को जाकर शिकायत की और उन्होंने पुलिस को कहा और फिर पुलिस से जाकर निम्बाहेड़ा के आसपास किसी तरह से व्यवस्था करके उसको उन्होंने गिरफ्तार कराया। इस तरह से पुलिस ने राजस्थान में तस्कर व्यापार को मौका दिया। प्रमाण इससे अधिक और क्या हो सकते हैं! इसके लिए यह कहा जा सकता है कि तस्कर व्यापार को रोकते नहीं उसमें वह हिस्सा लेते हैं। जहां पुलिस तस्कर व्यापार में हिस्सा लेती हो, उसको प्रोत्साहन देती हो उसको और ३,३६,०००) रुपया दिया जाना चाहिये या नहीं; यह प्रश्न उठता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक और निवेदन करना पड़ेगा कि आज राजस्थान की जनता का इस पुलिस में कोई विश्वास नहीं रहा। माननीय गृह मंत्रीजी कहें कि कोई विश्वास है तो वह जबरदस्ती का विश्वास है। आज विरोधी दल में ताकत नहीं है कि आज जैसी पुलिस व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाने के लिए जनतन्त्रीय उपाय का प्रयोग कर सकें। यह बदकिस्मती है। आये दिन हम घटनायें देखते हैं कि आज पुलिस के द्वारा लोगों को मार डाला गया है; लोगों को आये दिन मारा जाता है, पीटा जाता है, आये दिन शिकायतें सुनते हैं कि स्त्रियों का अपहरण किया गया, आये दिन सुनते हैं कि आज युवतियों का शील नष्ट किया गया, आये दिन सुनते हैं कि पुलिस अधिकारी लोगों को मार कर कुएं में डाल देते हैं, आये दिन सुनते हैं कि पैसा खाने के लालच से पुलिसवाले लोगों को थाने में बुला उनकी इज्जत को लूटते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। आये दिन इस प्रकार की घटनायें राजस्थान की पुलिस द्वारा होती रहती हैं। फिर उसको तीन लाख, छत्तीस हजार रुपया देकर उसकी मिट्टी क्यों करना चाहिये? आज की जो पुलिस क

(श्री भैरोंसिंह)

व्यवस्था है, जो पुलिस का ढांचा है, चाहे २५ चौकियां बनाइये, ६० बनाइये, चाहे ३,३६,०००) की जगह ३ करोड़, ३६ लाख भी इसके लिए रख दें आपकी आज की पुलिस के ढांचे में सुधार नहीं होगा, तस्कर व्यापार नहीं रुक सकता। इसके मूल में हमको विचार करना पड़ेगा कि पुलिस का ढांचा सुधर क्यों नहीं पाता? मैं यह समझ पाया हूं कि विधान सभा का फ्लोर है वह एक पवित्र फ्लोर है। विधान सभा में यदि कोई बात कही जाती है तो वह जिम्मेवारी से कही जाती है और जिम्मेवारी से ही विधान सभा में प्रश्न उठाये जाते हैं। जब जिम्मेवारी से विधान सभा में प्रश्न उठाये जायं और प्रश्न को एवज में जो सरकार की ओर से लताड़ पड़ती है, यह कह कर मामला गलत है, जांच कर रहे हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि जिन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विधान सभा में शिकायतें होती हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उसको सरकार की नाक का प्रश्न बनाते हैं कि पुलिस अधिकारी को सजा मिलती है तो पुलिस का डीमोरेलाइजेशन होगा। पुलिस तो डीमोरेलाइज़ है, पुलिस का डीमोरेलाइजेशन तो और होगा, इस तरह से आप उनको प्रोटेक्शन देते जाओगे तो, उनका धीरे धीरे डीमोरेलाइजेशन होगा ही।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के हनुमानगढ़ थाने में एक साधु को थाने में इसलिए बुलाया कि कुछ व्यक्तियों ने शिकायत की थी। थानेदार ने कहा कि साथ चलो, उसने कहा कि मैं चल नहीं सकता। थानेदार ने कहा कि चलना पड़ेगा। उसने कुछ रेज़िस्ट किया तो उसको जबरदस्ती बुला कर थाने में लाया गया। उसके बाद थानेदार ने उस साधु को ठोकरें मारी। वे ठोकरें उस साधु के गुप्तांगों में लगी जिससे वह ज़मीन पर धराशायी हो गया। उसकी शिकायत माननीय गृह मंत्रीजी को की। उस दिन गंगानगर में आई० जी० पी० थे। उनके पास डेपुटेशन गया और शिकायत की। चीफ मिनिस्टर को शिकायत की। वे डेपुटेशन लेकर दुनिया भर में घूम गये लेकिन उस सब–इन्सपेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं हुई। कारण क्या? सब–इन्सपेक्टर मालदार है, कार्यवाही करने वालों को पैसा देकर उसने उनका मुंह बन्द कर दिया। आज लोगों को मार कर कुंए में डाल दिया जाय राजस्थान की पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया जाता, गृह मंत्रीजी द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता। गृह मन्त्रीजी भले ही कहें लेकिन आज राजस्थान में कोई सुरक्षा का राज्य नहीं।

सुजानगढ़ में एक आदमी को पकड़ कर बुलाया गया, उसको पुलों में रख कर उन पुलों में आग लगा दी और उस व्यक्ति को उसमें जिन्दा ही जला दिया। डी. वाई. एस. पी. ने उस मामले में पैसा लेकर उस मामले को खराब कर दिया। चुरू के एस० पी० का नोट है। उसने डी. वाई० एस० पी० के लिए लिखा है कि उसने पैसा लेकर मामला खराब कर दिया। झुन्झुनूं में १४ आदमियों को मार दिया गया। हिस्ट्री ट्रेस कर लें। ड्यु प्रोटेक्शन जो मिलना चाहिये था वह उनको नहीं मिला और उन सब को मौत के घाट उतार दिया गया। बिलाड़ा में भी यही हुआ। कोई सा अखबार उठा कर पढ़ लें! राजस्थान में क्या लॉ एन्ड ऑर्डर है? क्या

(श्री भैरोंसिंह)

कानून व्यवस्था इसमें है कि कोई महिला को इस प्रकार थाने में बुलाया जाय, जबरदस्ती की जाय, शिकायत करने आवे और उसके साथ हराम करने के लिए उतारू हो। पुलिस अधिकारी और जब वह महिला हराम करने के लिए तैयार न हो तो उसको उठा कर जंगले में ठोक दिया जाय और माननीय गृह मन्त्रीजी कहें कि कोई कुसूर नहीं किया। कोई कुसूर नहीं किया तो पुलिस नहीं राक्षस है और पुलिस व्यवस्था को कायम रखने के लिए जिम्मेवार माननीय गृह मन्त्रीजी, मनुष्य नहीं XXX है....।

(विरोधी पक्ष द्वारा शेम शेम की आवाज)

एक पाई भी नहीं देनी चाहिये। एक पाई भी देते हैं तो उससे पाप बढ़ेगा, राक्षसी मनोवृत्ति बढ़ेगी, लोगों की इज्जत को लूटा जायगा, स्त्रियों की इज्जत को ठगा जायगा, युवतियों के शीलों को भंग किया जायगा! इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जिन महिलाओं की इज्जत लूटी गई, जिन महिलाओं के मांग के सिन्दूर को लूटा गया, उनकी आत्मा कहेगी पुलिस के दुर्व्यवहार के बारे में। मैं केवल एक बात कहूंगा कि इन सारी परिस्थितियों के अन्दर हमें आज यह देखना है कि आज पुलिस विभाग को पैसा इस प्रकार की व्यवस्था बने रहने पर देना चाहिए या नहीं।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था से काम चलनेवाला नहीं है। एक मामला जो गृह मन्त्री महोदय को भी मालूम है, वे इन्कार नहीं करेंगे इन्कार करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे और अगर वे इन्कार करते हैं तो सदन के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है उसको नहीं निभायेंगे। कुछ दिनों पहले राजस्थान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की जीप द्वारा एक महिला को उड़ाया गया जिसके बारे में शिकायत हुई। उससे मन्त्री महोदय भली प्रकार परिचित हैं। लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ; वैसी हालत में आखिर हम किसके पास जायं? शिकायत लेकर कहां जायं? रूलिंग पार्टी है जिसकी पार्टी की जीप के अन्दर महिलाओं को उड़ाकर ले जाया जाता है और महिलाओं के लिये शिकायत करने पर उनको गिरफ्तार न किया जाय, यह इस बात की पराकाष्ठा है। आज की पुलिस प्रोटेक्शन के लिये नहीं है, बल्कि जनता को खाने के लिये है और उस पर भी रूलिंग पार्टी उन पुलिसवालों को प्रोटेक्शन देती है। वैसी हालत में आप यह चाहें कि यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक प्रकार की रहे, यह कैसे हो सकता है? मैं इन सारी बातों की व्यवस्था के लिये कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों को पुलिस में किस प्रकार का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, पुलिस के लोग अधिक से अधिक किस प्रकार का बर्ताव जनता के साथ कर रहे हैं। उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जब पहलेवाले आई० जी० पी० बम्बई से आये थे उन्होंने सब थानों के आगे एक प्रकार की तख्ती लगवा दी थी: 'मेरे योग्य सेवा।" इस प्रकार का बोर्ड सब जगह लगवा दिया था। उस समय जनता ने यह सोचा था कि अब पुलिस वास्तव में जनता की सेवा करना चाहती है। कुछ दिनों तक जब तक वे रहे उसके अनुसार कार्य होता रहा। लेकिन जब

XXXअध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री भैरोंसिंह)

वे चले गये, उसके बाद पुलिस की हालत दिन प्रति दिन गिरने लगी। जिस समय वे थे उस समय भी राजस्थान के गृह मन्त्री ये ही थे। लेकिन उस समय के हालात में और आज की हालात में बहुत अन्तर हम देखते हैं। आज हम देखते हैं कि एस० आई० (थानेदार) और डी० आई० जी सब अपने आपको ऑटोनोमस समझ कर चलते हैं। आज इन्सपेक्टर समझता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़नेवाला नहीं। थानेदार भी यही समझता है : मैं जो कुछ भी कर देता हूं वह सही है डीवाई० एस० पी० यह समझता है कि मुझे कोई नुकसान पहुँचानेवाला नहीं है।

मैं तो इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकाल पाया हूं कि आज यह जो मनोवृत्ति आ गई है उसका मुख्य कारण है आई० पी०० एस० और आर० पी० एस० में आनेवाले लोग। डाइरेक्ट आई० पी० एस० की जगह पर आते हैं उनका सबोर्डिनेशन यहां के ऑफिसर मानने के लिये तैयार नहीं होते। राजस्थान सर्विस से जो एस० पी० प्रमोशन पाते हैं और जो सीधे आई० पी० एस० सर्विस से आते हैं वे अपने आपको आर० पी० एस. ऑफिसर्स से सुपीरियर समझते हैं, लेकिन यहां के ऑफिसर उनकी सबोर्डिनेशन मानने को तैयार नहीं हैं। आई० पी० एस० में जो प्रमोशन कोटा से आये हैं वे लोग ऐसे हैं जिनको यदि एग्ज़ामिनेशन लिया जाकर लिया जाता तो वे कभी भी इन पोस्टों पर आ नहीं सकते थे। इसीलिए पुराने जो लोग हैं वे नये इन्टेलीजेन्ट लोग के काबू में नहीं आते हैं। इसके कारण जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लैक्स की भावना यहां के अधिकारियों में घर करती जा रही है उसके कारण पुलिस के आचरण में बहुत गिरावट आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी पुलिस के बारे में शिकायत करने का मौका आता है तो मेरा यह मानना है कि उसके लिये गृह मन्त्री महोदय से शिकायत करना एक तरह से नहीं के बराबर है। गृह मन्त्री को शिकायत करने में कोई सेन्स नहीं। प्रत्यक्ष में जाकर कोई माल पकड़ावें और उसकी शिकायत करें तो भी बेकार है। सन् १९५६ के जून में हमने एक डीवाई० एस० पी० से कुछ सामान को गिरफ्तार करवाया। उसके लिये मैं ही नहीं चार एम० एल० एज़० गये और सामान सहित उनको पकड़वाया। किन्तु उस पर भी गृह मन्त्री महोदय द्वारा कहा जाता है कि जांच हो रही है। आखिर ऐसी हालात में शिकायत करें तो किससे करें ? जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिये उनको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता, जिन लोगों के बारे में सूचनायें देते हैं उनके बारे में किसी प्रकार का एक्शन नहीं। एक ड्राइवर को पुलिस द्वारा पीटा गया; उसके लिये कहा गया कि पीटा नहीं गया। कांग्रेस के आपके अध्यक्ष श्री मथुरादास माथुर ने उस व्यक्ति को बुला कर देखा। कान से उसके रक्त बह रहा था, चोट के कई निशान थे। लेकिन आप जिनके नीचे बैठते हैं उनके कहने को आप कहते हैं कि नहीं पीटा गया। इसके सम्बन्ध में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जिस एस० पी० ने इस मामले की जांच की क्या उसने उसकी पिटाई की गई, यह बात नहीं लिखी ? सबसे बड़ी बात जो आपने कही वह यह कि उसने रिपोर्ट नहीं की। रिपोर्ट एस० पी० की मौजूद है। किसी की थाने में पीटाई होती है तो

(श्री भैरोंसिंह)

वह कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आखिर उस केस को पुलिस को चलाना चाहिये था। कल ही जब फाइल के गुम होने का सवाल आया तो उसमें कहा कि untraced or for want of file और फायल गायब हो गई; उसमें क्या अन्तर है? बदकिस्मती से इस प्रकार की बातें जब सदन में आती हैं तो पुलिस पर उसका किस प्रकार का असर पड़ता है। पुलिस वाले यहां तक कहते हैं कि अगर विधान सभा में एक हैड कॉन्सटेबल को सवालों का जवाब देने के लिये बैठा दिया जाय तो वह इनसे कहीं अच्छा जवाब दे सकता है! मैं हैड कॉन्सटेबल और होम मिनिस्टर की तुलना करना नहीं चाहता। लेकिन आज जो स्थिति इस पुलिस विभाग की है वह उनके वश का रोग नहीं है। वे मुझसे नाराज हो सकते हैं लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं जो राजस्थान की जनता आज उनसे चाहती है। आज वे इस स्थिति में नहीं हैं कि इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, करप्शन आदि को वे मिटा सकें। आपसे मेरा यही कहना है कि आप इस विभाग को छोड़ दें। आप नहीं छोड़ते हैं तो आपको मज़बूर होकर यह विभाग छोड़ना पड़ेगा! आपको जनता छुड़ायेगी। आप इस विभाग को इसलिये नहीं संभाल सकते कि आप में दैविक कमजोरी है। आप इस विभाग के लायक नहीं हैं। आप, अच्छा हो, वॉलेन्टियरिली इस विभाग को छोड़ दें। नहीं तो, दूसरे तरीके से लोग आपसे छुड़ायेंगे। आप दूसरा विभाग ले लें, कोऑपरेटिव है, लोकल सेल्फ है, इनमें से किसी विभाग को ले लीजिये और जितना जल्दी हो सके इस विभाग को छोड़ दें तो राजस्थान की आपकी ओर से बहुत बड़ी सेवा होगी। आप जिस नीति से इस विभाग को चला रहे हैं एक दिन वह जरूर आयेगा जब आपको यह विभाग छोड़ना होगा; नहीं तो छुड़वाया जायगा।

एक माननीय सदस्य : तो और किसको दिया जाय?

श्री भैरोंसिंह : और बहुत हैं। वे छोड़ देने के लिये तैयार हैं तो मैं अभी बांट देता हूं।

ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ यही निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत कुछ कह दिया, अब समाप्त करें तो ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। जो यह मांग रखी गई है इससे तस्कर व्यापार रुकेगा नहीं। यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि १.३६ लाख का जो खर्चा मांगा गया है उससे तो यह होगा कि पुलिस इस रुपये से और ज्यादा तस्कर व्यापार में संलग्न होगी। इसलिये मेरा गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मांग से तो वे लोग तस्कर व्यापारियों से मिल कर और ज्यादा तस्कर व्यापार करने और कराने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि तस्कर व्यापार रुके तो यह पुलिस विभाग से कभी भी रुकने वाला नहीं। आज ईमानदारी से कोई भी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि पुलिस द्वारा तस्कर व्यापार रुक सकता है। पुलिस वालों पर इल्जाम लगाये जाते हैं तो उनकी इन्क्वायरीज़ रोकने की चेष्टा की जाती है। सदन से यह निवेदन करूंगा कि पुलिस में जो इस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

का प्रबन्ध करने की चेष्टा की गई है कि जिससे तस्कर व्यापार बढ़ेगा ही, घटने वाला नहीं है। आज हम देखते हैं कि राजस्थान में तस्कर व्यापारियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। आज उस पुलिस द्वारा आप यह चाहते हैं कि वह तस्कर व्यापार को रोक दे, यह कदापि संभव नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं फिर से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पुलिस विभाग को छोड़ दें तो उनका भी भला है और जनता का भी भला है। मैं समझता हूं इससे और बड़ी सेवा और कोई होने वाली नहीं कि वे जितना जल्दी हो सके इस विभाग से अपने को हटा लें और जितना जल्दी वे अपने को इस विभाग से अलग कर लेंगे उनकी ही जबरदस्त सेवा वे राजस्थान की करेंगे और साथ साथ जनता की भी बड़ी भारी सेवा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव "मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक २६—पुलिस के सम्बन्ध में है कि १) रु० की कटौती की जाय (खाद्यान्न के तस्कर व्यापार को रोकने में असफलता पर बहस करने हेतु)"

(२ म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले इस आशय का एक विधेयक भी सदन के समक्ष आया था और उस समय भी मैंने कुछ सूचनाएं इस सम्बन्ध की दी थीं। मैं समझ नहीं सका कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने उन पर कहां तक ध्यान दिया और कहां तक उन पर अमल किया।

यह जो इस समय मांग रखी है वह इस प्रकार की रखी है कि उस पुलिस विभाग में ही कुछ विशेष और लोग जोड़े जायें जिससे कि तस्कर व्यापार रोका जा सके और उसमें उन्होंने पचास चोकी, २५ चलते फिरते दस्ते, पचास हैड-कॉन्स्टेबल, और २५० कॉन्स्टेबल यानि उन्होंने अपनी कुछ शक्ति बढ़ाने के प्रयोजन से यह मांग रखी है। लेकिन जैसा कि मैंने उस समय भी कहा था कि हमको अपनी नीति पर ही विचार करना चाहिये। यह निश्चित है कि हमारे राज्य में तस्कर व्यापार चलता है और यह दुतरफा चलता है। इससे आयात भी होता है और निर्यात भी। यह तस्कर व्यापार एक तरफा ही नहीं है। राजस्थान से ही हमारा गेहूँ या अन्य खाद्यान्न बाहर जाता है यह नहीं; बल्कि हमारे राज्य में भी बाहर से चोरी से खासतौर से यू० पी०, मध्य भारत से चावल और दूसरी चीजें आती हैं और यह भी निश्चित है कि हमारे कानूनों के होते हुए और हमारी पुलिस और दूसरे अधिकारियों के होते हुए, हमारी सारी व्यवस्था के होते हुए भी वह तस्कर व्यापार जोरों से चल रहा है। दोनो ही ओर की सरकारें यद्यपि घोषणाएं करती हैं, कुछ अपनी शक्ति भी बढ़ाती हैं पर इस तमाम प्रयत्न के बावजूद तस्कर व्यापार रुकता नहीं है। यह चीज बहुत दिनों से चली आ रही है। मुझे स्मरण है कि सन् ५८ में भरतपुर में जिस वक्त में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी उसके कुछ दिन बाद ही भरतपुर शहर में यह स्थिति पैदा हो गई थी कि अन्न का खाने को एक दाना भी बाजार में नहीं

Page No.66

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

मिलता था। यह कहा जा सकता है कि शहर में अन्न का अभाव होगा, बाहर से आता नहीं होगा इसलिये वहां पर अनाज की कमी आई। जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं वह डीग एक कस्बा है, अच्छा कस्बा है। वहां भी यही हालत हो गई थी कि अन्न का भाव वहां २१), २२) मन से २८), २६) और तीस रुपया मन तक भी पहुँच गया था और इस पर भी बड़ी ही कठिनाई से वह उपलब्ध होता था। यह भी कहा जा सकता है कि शायद उस कस्बे में बाहर से अन्न नहीं आता होगा। पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि यह भरतपुर शहर के अन्दर या डीग कस्बे के अन्दर अन्न का अभाव यों नहीं था कि वहां पर अन्न आया न हो। वहां बहुत काफी अन्न आता है, बड़ी बड़ी मंडियां हैं अन्न की वे और इतना अनाज वहां आता है कि जो उस कस्बे के लिये ही नहीं पर आसपास तक दूर दूर तक पहुंचाने के लिये पर्याप्त होता था। पर फिर भी कमी का कारण क्या था? वहां पर अन्न का जो जखीरा था उस वक्त यू० पी० में अन्न के भाव कुछ तेज थे। इसलिये वहां का बहुत सा अन्न यू० पी० साइड को चला गया। डीग से भी और भरतपुर से भी गया और यह पुलिस और अधिकारियों एवं सरकार की ओर से जो भी व्यवस्था की गई थी वह मौजूद थी, उन के सामने, उनकी नाक के नीचे से जाता रहा और यह सिलसिला लगभग डेढ़, दो महीने तक चालू रहा और इस तरह करीब करीब सारा अन्न वहां से चला गया। जब काफी चला गया और जनता में रोष बढ़ने लगा तो उस वक्त पुलिस ने थोड़ी अपनी मुस्तैदी दिखाई। दो, चार गाड़ियों को पकड़ा और पुलिस ने जैसे अपने को बिकुल्ल धुली हुई साबित करने के लिये यह कहा कि देखो इन व्यापारी लोगों की ये करतूतें हैं, ये ही कई तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं और शहर को भूखों मारने की चेष्टा कर रहे हैं। हम तो अपनी ड्यूटी ऐसे समय भी अदा कर रहे हैं और मानो हम इतना कुछ कर रहे हैं कि शहर को भूखों मारने से बचा रहे हैं। यह उन्होंने किया। ऊपर से और दूर रहनेवाले लोग समझ भी सकते हैं कि कि पुलिस ने ड्यूटी अदा की है और इसमें तो व्यापारियों का ही हाथ है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं वहां एक स्थानीय निवासी होने के नाते से, लोगों के सम्पर्क में आने के नाते से कह सकता हूँ कि पुलिस बहुत देर से अपनी ड्यूटी अदा करने में लगी और तब लगी जब कि उसकी नाक के नीचे से हजारों मन अन्न निकल चुका था और लोगों में इसके अभाव में काफी बातें होने लगी थी। शुरू शुरू में कोई कार्यवाही इस तरह की पुलिस ने नहीं की। लोगों में हाय तोबा मचने लगा तो पुलिस ने अपनी कारगुजारी बताई।

तो इसलिये मैं समझता हूं कि केवल पुलिस या आपकी यह बावर्दी पुलिस इसके ऊपर ही यदि हमारी सरकार निर्भर रहती है और उन्हीं के हाथ में इन्तजाम सौंपती है तो मैंने जैसे उस दिन भी कहा था कि उस में राज्य सरकार सफल नहीं हो सकेगी। यह मनुष्य का स्वभाव है। हमारे मन्त्री महोदय का या गृह मन्त्रीजी का या अन्य अधिकारियों का दोष हम इसलिये मान सकते हैं कि आखिर डेमाक्रेसी में जिम्मेदारी तो इन पर

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

ही है । पर यह मनुष्य का स्वभाव है, मेरा भी स्वभाव हो सकता है, आप में से भी कइयों का स्वभाव हो सकता है कि हम भी यह चाहते हैं कि यदि कोई हमें भी देखता रहे तो हम ठीक चलें, कुछ हमारा नैतिक आचरण ही ऐसा हो गया है कि हममें से हर एक व्यक्ति इस तरह अभ्यस्त है कि यदि कोई दूसरा देखता है तो मैं शायद बुराई न करूं । हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि हमें कोई दूसरा या पुलिस पीछे से देखता रहे जिससे मैं किसी दूसरे की चीज़ न उठाऊं, नहीं तो उठा लूं । कुछ नैतिक आचरण ही हमारा इस तरह का हो गया है कि मुझे सुपरवाइज करने के लिये दूसरा आदमी हो । हमारा यह नैतिक स्तर ही ऐसा गिर चुका है, यही मानना चाहिये । यही मुझे कुछ कहना चाहिये कि क्या कॉन्स्टेबल, और क्या हैड-कान्स्टेबल और क्या ये छोटे-बड़े अधिकारी, कहूं तो यह भी कहा जा सकता है कि बड़े लोग भी ऐसे कारनामों में आपस में मिल जाते हैं और यह कुछ हद तक ठीक भी है । पहले जो कस्टम हमारे यहां अलग अलग लगा था उसमें कस्टम के नाके होते थे और चोरियां होती थी कस्टम की तो उस वक्त राज्य सरकार उन नाकों के नाकेदारों के साथ साथ पुलिस को भी लगाती थी और मुझे तो मालूम है भरतपुर और संयुक्त मत्स्य राज्य बनने के बाद हमने इस काम के लिये रिटायर्ड फौजी आदमियों को रखा था । उनका नैतिक स्तर ऊंचा होता है । इसमें कहां तक हम सफल हुए, यह तो दूसरी बात है पर बहुत कुछ हद तक जो ये नाकेदार और पुलिसवाले मिल कर गड़बड़ियां करते थे उन फौजी लोगों के पहुंचने से यह चीज कुछ रुकी थी ।

तो मेरा यह अनुभव है, पर यह सुझाव नहीं है कि आप भी इन फौजियों को रखें ही । आप चाहे कॉन्स्टेबल रखिये, चौकियां रखिये, हैड कान्स्टेबल रखिये, चलते-फिरते दस्ते रखिये, कुछ भी रखिये पर सुपरविज़न के लिये दूसरी मशीनरी और रखिये । दूसरे महकमे के आदमी इसके लिये रखिये । एक जमाने में हम देखा करते थे, राजनैतिक आन्दोलन के समय पर उस समय की दुतरफा व्यवस्था के बारे में कि रियासतों में इसके लिये काफी ध्यान और प्रावधान रखा जाता था । जो हम भाषण देते थे तो एक तो पुलिस का आदमी हमारी स्पीच लिखा करते थे और एक रेवेन्यू का पटवारी भी लिखता था और दोनों रिपोर्ट करते थे । उच्च अधिकारी उन दोनों की रिपोर्ट देखकर यह ध्यान रखते थे कि कहीं पुलिसवाले गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं । तो उनकी व्यवस्था ऐसी होती थी कि कोई भी काम पूरी तरह से एक ही महकमे पर नहीं छोड़ते थे । उसमें दूसरे को भी लगा देते थे ताकि एक दूसरे पर सुपरविज़न रख सके । तो यह जो तस्कर व्यापार है यह वास्तव में एक घोर पाप है । जिस चीज़ का राज्य सरकार अपने राज्य के अन्दर नियन्त्रण करना चाहती है स्थानीय लोगों की सुख सुविधाओं के लिये तो उसके लिये चाहे तो अपने लाभ के लिये ये व्यापारी लोग या अपने स्वार्थ के लिये जो रक्षा के निमित्त से रखे जाते हैं वे पुलिसवाले उसको सफल नहीं होने देते । यह हर दृष्टि से एक घोर अपराध है; जघन्य अपराध है । इसे हर तरह से रोका जाना आवश्यक है । पर इसके लिये जो व्यवस्था की जाती है उसे सोच

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

समझ कर करना चाहिये । खाली यह कि दस, पांच साल से एक ही प्रकार से जो हम काम करने का ढर्रा पकड़े आये हैं उसे ही आज भी चलाते जावें तो इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है और तब जब हम उसकी निष्फलता साफ देख रहे हैं और देखते चले आ रहे हैं, अनुभव करते चले आ रहे हों तब ऐसे समय हमें उसे बदल देने में बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिये । हमें हर चीज़ में, हर ऐसी व्यवस्था में तुरन्त सही परिवर्तन करने के लिये तैयार रहना चाहिये । यह सरकार का काम है । इसमें जो सरकार जितनी चुस्ती दिखाती है वह उतनी ही अधिक सफल गिनी जाती है और सफलता को देखकर ही जनता भी अच्छी धारणा बनाती है । तो मैं समझता हूं कि हमारी राज्य सरकार और गृह मन्त्रीजी इस बात पर गौर करेंगे और यही आग्रह नहीं रखेंगे क्योंकि उनके अन्तर्गत पुलिस विभाग है इसलिये वे उसकी सेवाओं से भले ही सन्तुष्ट हों इसलिये इसको ही देना या इसकी शक्ति और बढ़ा देना जिससे कि तस्कर व्यापार रोका जा सके और यह समझना कि इससे तस्कर व्यापार रुक सकेगा सही नहीं होगा । यहां लोग भिन्न भिन्न स्थानों से आते हैं और उनका अपना अपना निजी अनुभव है जो वे यहां प्रकट करते हैं । उसे ऐसा ही नहीं मानना चाहिये कि यहां सब लोग गैर जिम्मेदारी की बातें करते हैं या बढ़ा–चढ़ा कर कोई बात करते हैं । हो सकता है कुछ घटनाओं के बारे में कि वे अतिरंजित हों, पर यह तो निश्चित है कि उसमें तथ्य अवश्य कुछ न कुछ है ।

वास्तव में अगर देखा जाय तो पुलिस बहुत उपयोगी विभाग है । मुझे स्मरण है इंग्लैंड के एक लेखक तथा विचारक जॉन-रस्किन ने पुलिस की बड़ी तारीफ की है– वहां की पुलिस की । वे कहते हैं कि पुलिस समाज का वह अंग है कि जब हम रात को खुर्राटें लेते सोते रहते हैं हमारा पुलिस का यह कान्सटेबल अपना सिर फुड़वाता है चोरों और डकैतों से यह हमारी इनसे रक्षा करता है । और वहां की पुलिस के बारे में तो सभी सराहना करते हैं । चीज किसी की कहीं रास्ते में पड़ी भी रह जाती है तो पुलिस का काम वहां यह होता है कि उसे उसके मालिक तक पहुंचा दे । वहां के लोग पुलिस से प्रेम करते हैं । पुलिस के प्रति उनके बहुत ऊंचे भाव हैं । आज हमारे यहां अपना राज्य हो जाने के बाद, स्वराज्य हो जाने पर पुलिस का यह कहना कि हम आपके सेवक हैं, हमारे योग्य सेवा, केवल इस तरह के मोटो बनाने से काम नहीं चलेगा । आचरण से उसे सिद्ध करना होगा कि वास्तव में एक स्वराज्य में, एक राष्ट्रीय सरकार के शासन में जिस प्रकार की पुलिस सेवा की आवश्यकता है उस तरह की सेवा–भावी पुलिस यह बने ।

तो इसलिए मैं समझता हूं कि उनको अधिकाधिक कर्त्तव्य परायण बनाने के लिए, अधिकाधिक लोगों के प्रति सेवा परायण बनाने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था हमारी राज्य सरकार को करनी चाहिए । इसके साथ साथ ही मैं तस्कर व्यापार की ओर माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । आपने कानून बनाया है कि तस्कर व्यापार के लिए जो भी ट्रक काम में लाया जायेगा वह सरकार अपने कब्जे में कर लेगी, उसको जब्त कर लेगी और नीलाम कर देगी, ऐसी व्यवस्था की है तस्कर व्यापार में काम में आनेवाले ट्रकों के लिए । लेकिन उस

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

दिन भी मैंने कहा था उसका जवाब मुझे नहीं मिला था आज फिर कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार के वाहन चाहे वह बस हो, लॉरी हो, ट्रक हो, चाहे गधा हो, ऊंट हो, या बैलगाड़ी हो उनको तो सरकार जब्त करने की व्यवस्था कर सकती है लेकिन जैसा मैंने बताया जयपुर से आगरा को जाते हुए खड़ली मण्डी में बहुत सी बोरियां गाड़ी में चढ़ती हैं। यह पता नहीं वह किसकी हैं, गेहूँ की हैं या चावल की हैं। वहां के लोगों ने तो उसे मैदा की बताया। लेकिन मैंने अपनी आंखों से लोगों को बोरियां रेलगाड़ी में चढ़ाते हुए देखा है। इस तरह से यहां का बहुत सा माल बाहर जाता है। तो मुझे पता नहीं ऐसी स्थिति में सरकार क्या कर सकेगी ? मैं नहीं समझ सका कि क्या हमारे वित्त मंत्री महोदय को अधिकार है कि रेलगाड़ी को भी जब्त कर सकते हैं ? पता नहीं कौनसी व्यवस्था करेंगे। तस्कर व्यापार को रोकने के लिए इतनी बड़ी धनराशि–३ लाख, ३६ हजार–रखी है। हम इस बात की तनिक भी चिन्ता न करें कि इतनी बड़ी धनराशि हमारे कोष से जाती है बशर्ते कि जिस प्रयोजन के लिए यह व्यय की जा रही है उसकी सिद्धि हो सके। यदि उसकी सिद्धि हो सकेगी, हमारे गृह मंत्रीजी सदन में यह विश्वास दिलायेंगे, तब तो मैं समझता हूं कि यह जो मांग है यह सर्वथा उचित है। लेकिन यदि इस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है तो मैं फिर अपने शब्दों को दोहराऊंगा कि गृह मंत्री महोदय आग्रह नहीं करें कि पुलिस के दस्तों से ही तस्कर व्यापार को रोक सकेंगे, उसके लिए कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(कुछ मा ीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था यह रही है कि समय को बचाने के लिए कट मोशन्स को जल्दी निपटा लिया जाये।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बहुत बोलना है और अवसर दिया जाना चाहिए। मुझे भी कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने जो कटमोशन रखा था वह तो नहीं रखा गया। आप मानें या नहीं मानें, लेकिन माननीय भैरोंसिंहजी ने जो कटमोशन रखा है उसके समर्थन में मैं बोलूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुन: स्मृति दिला दूँ कि समय कम देना चाहूंगा क्योंकि पहले ऐसा समझौता हो चुका है। नहीं तो फिर आखिर में गुलेटिन लगेगा और समय नहीं मिलेगा।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल पुलिस का रवैया जनता की मिल्कियत की रक्षा करना नहीं है। उनको तस्कर व्यापार को रोकने के लिए और अधिकार देकर फिर से लोगों से भ्रष्टाचार कराने की नीति हमारी सरकार की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं यह डिमाण्ड भी हमारी सरकार

(श्री हीराभाई)

ने रखी है, यह डिमाण्ड जनता के लिए बिल्कुल अहित की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद्यान्न के व्यापार का सवाल है उसका मतलब यहां तक हो जाता है कि किसी भी दूसरे प्रान्त में राजस्थान से मंहगा अनाज बिकता है और यहां के किसान वहां बेचने के लिए जाते हैं तो उसके लिए पुलिस का डंडा पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत साल अनाज को बाहर भेजने की रोक लगा दी गई थी। तब साल, गेहूं और मक्का के बारे में कुछ प्रतिबन्ध लगाये थे। तब पुलिस ने उसकी आड़ में बहुत भ्रष्टाचार किया। साल मध्यप्रदेश को नहीं जा सकती थी तो मध्यप्रदेश से पुलिसवालों ने सिफारिश करके राजस्थान के सेठ के नाम से साल का परमिट करवा कर बम्बई राज्य की पुलिस को मदद दी! माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजाय इसके कि पुलिस इस भ्रष्टाचार को रोके उल्टे इसके अन्दर सहयोग देती है और उन पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए मिनिस्टर महोदय का भी हाथ रहा है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े साहूकारों से यह रिश्वत ले लेते हैं।

मैं आपको बताऊं, एक पन्नालाल नाम का बनिया था। उससे रिश्वत लेकर साल का परमिट दिलाया और बाद में एक आदमी कोई १५ सेर गेहूं पिसाने के लिए एक चक्की पर ले जा रहा था जो कि बम्बई प्रान्त के अन्दर थी उसको पकड़ लिया। उसका कोर्ट में अभी तक केस चल रहा है। उससे ५८ रुपये मांगे थे और २ रु० चाय-पानी के लिए मांगे थे और पुलिसवालों ने कहा कि खुलासा करा देंगे। वह ५८) रु० नहीं देने के बजाय उसके १५०) रुपये तो कोर्ट में खर्च हो चुके हैं और वह वकीलों के भी खर्चे में डूबा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक डिमाण्ड और हमारे कानून पेश होते हैं वह तो कम से कम सोच समझ कर होने चाहिए। गांव के अनपढ़ लोगों को मालूम नहीं है कि कौन से प्रान्त में खुलासा है और कौन से प्रान्त में पाबन्दी है। इससे पुलिसवाले हमेशा भ्रष्टाचार करेंगे और जिनको किसी के साथ दुश्मनी होगी उसका बदला लेलेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले पुलिस द्वारा अजीतगढ़ का कैम्प लगा था। वहां के बारे में शायद सबको मालूम होगा कि पुलिसवालों ने वहां के मीणों के साथ कितना अत्याचार किया है। वह सवाल यही था कि चोर चोरी करे, चोर को गिरफ्तार किया जाये और सजा दिलाई जाय लेकिन वहां पर हजारों आदमियों की पिटाई की और उनका अदालत में चालान भी पेश नहीं किया और टाइम पर रिमाण्ड भी नहीं लिया। उनको आठ-आठ, पन्द्रह-पन्द्रह दिन रखा गया और पीटा गया और बहुत कम लोगों की संख्या थी जिनका कि चालान पेश किया गया। मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे महिलायें डाका डालने गई थी, क्या उन्होंने आदमियों को छिपा दिया था, क्या महिलाओं ने कार में या ऊंट में जाकर डाका डाला था? अगर ऐसा किया हो तब तो मैं मान लूं कि वे महिलायें चोर थीं और उनको गिरफ्तार करना अनिवार्य था। लेकिन आज हमारे राजस्थान की महिलाओं के लिए जो

(श्री हीराभाई)

चोरी करना कभी जानती भी नहीं हैं, जिनको एक दिन के लिए मेहमान की तरह जाने का टाइम नहीं है उन्हीं महिलाओं को वहां उस कैम्प में पकड़ पकड़ कर लाए, उनकी धोती खोल दी, उनके कपड़े खोल दिए, उनको नंगा करके उनके बिजली का करेन्ट लगाया गया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है ? उनको बन्द करने के लिए ही यह कैम्प लगा कर यह व्यवस्था की गई है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस का रवैया है वह ऐसा है कि औरतों को नंगा करके बिजली का करेंट लगाती है और हमारे गृह मंत्रीजी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं । हमारी पुलिस का रवैया यह है कि इस तरह से लोगों से भ्रष्टाचार कराती है और गृह मंत्रीजी उनको भ्रष्टाचार करने के लिए खुला छोड़ दें तो यह ठीक नहीं हो सकता है ! इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, कितने ही लोगों को गांवों में रिश्वत ले लेकर छोड़ दिया । यह तो अलग बात है । लेकिन जब इस तरह से हजारों आदमियों को पकड़ते हैं तो वहां हजारों, करोड़ों का माल बरामद किया जाना चाहिए था लेकिन वहां पर कोई माल बरामद नहीं हुआ । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अर्ज करूं कि यह मांग तो खाद्यान्न के तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में है, खाद्यान्न का तस्कार व्यापार तो सारे जिले में होता है और उसको रोकना पुलिस का काम है । लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का आज जो काम है वह यह न करके लोगों के साथ अत्याचार करना, भ्रष्टाचार करना ही रह गया है । इसलिए यह बहुत जरूरी है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके सामने आपकी सीमाएं रख दूं । यह कटौती प्रस्ताव खाद्यान्न के तस्कर व्यापार से सम्बन्धित है। इसी के सम्बन्ध में अगर आप कहें तो ठीक है । इससे बाहर आप कोई बात कहते हैं तो मंत्री महोदय उसका खुलासा नहीं कर पायेंगे । इसलिए आपका भाषण कटौती प्रस्ताव के प्रसंग में ही होना चाहिए । हां, शुरू कीजिए ।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह जितने अनाज के ट्रक पकड़े जाते हैं उनको शाम को पकड़ा और सुबह छोड़ दिया जाता है । तो उसके लिए हमारी सरकार क्या करना चाहेगी ? उसके लिए कोई कानून होना चाहिए कि जिससे जो रात को ट्रक पकड़ा और सुबह छोड़ दिया तो इस तरह का जो पुलिस का रवैया है वह रुक सके ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह पुलिस हमारी मालियत की रक्षा करने के लिए नहीं है और सिर्फ हमारे शासन को सम्भालने के लिए है, जो हमारे मिनिस्टर और हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं उनको सम्भालने के लिए ही पुलिस है और जनता को लूटने के लिए, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा जिसे जनता बड़ी मुश्किल से पैदा करती है उसको पुलिस इस तरह से बर्बाद करे तो यह न्यायोचित नहीं है । अगर यह आपकी पुलिस जो कि बिल्कुल नाकामयाब बन चुकी है, आपको मालूम है कि यह नाकामयाब कैसे बन चुकी है ? अभी एक महीने पहले बीकानेर के एक माननीय सदस्य श्री मुरलीधर

Page No.72

(श्री हीरा भाई)

व्यास को पुलिसवालों ने बुरी तरह से पीटा और चोटी–पट्टा पकड़ कर ऑफिस से नीचे उतार दिया। उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप इसको सीमा से बाहर जाना कहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कहने की बात कह रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आप सीमा से बाहर जा रहे हैं।

श्री हीराभाई : मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आज पुलिस का रवैया किस तरह से हो रहा है। उनको मारा–पीटा ही नहीं गया। यह भी कहा कि तुम्हारे जैसे सैकड़ों एम. एल. एज. देखे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस जो है वह तस्कर व्यापार को रोकने के लिए है उसको तो न रोके....

श्री उपाध्यक्ष : इसे कानून में सुनी-सुनाई शहादत कहते हैं। हां, आप आरम्भ रखिए।

श्री हीराभाई : जब अखबारों में यह बात आती है, हिन्दुस्तान में जो ये बातें आती हैं तो पाकिस्तान में भी जाती हैं। वहां की बातें भी यहां आती हैं। यह राजस्थान का ही सवाल नहीं है सारे हिन्दुस्तान का सवाल है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जनता के प्रति, जनता के चुने हुए आदमियों के प्रति इस तरह के अप शब्द बोले जाते हैं....

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने बारबार आपको व्यवस्था दे दी है कि आप अपनी सीमा में चलें।

श्री हीराभाई : मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह पैसा इस तरह से पुलिस पर न लगाकर और दूसरे ऐसे काम में जैसे फार्म बना दिया जाय और वहां पर अन्न पैदा किया जाय तो अधिक अन्न पैदा हो सकता है अधिक आमदनी हो सकती है और उस पैसे का भी सदुपयोग हो सकता है; लेकिन इस प्रकार की पुलिस पर पैसा खर्च न किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनराय नागर।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव यहां पर हमारे माननीय मित्रों ने पेश किए हैं मैं उनका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह ठीक बात है कि सदन में पुलिस के विरुद्ध बहुत सारी बातें कह कर एक वातावरण बना रहे हैं और उस वातावरण को इस सदन के बाहर भी हम ले जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस प्रकार का वातावरण बनाने की हमारी कोशिशें स्वयं राजस्थान पुलिस के विकास के लिए और उसके उत्थान के लिए, मैं समझता हूं, ठीक नहीं है। आप यह मांग करते हैं कि गृह मंत्रीजी पुलिस विभाग छोड़ दें तो ऐसा करके वे इस सदन की और राजस्थान राज्य की और जनता की बड़ी सेवा करेंगे। मैं समझता हूं कि इस मांग के बारे में हमें

(श्री जनार्दनराय नागर)

स्पष्ट रूप से मालूम है कि यह मांग उस तरह की मांग नहीं है जिसको हम इस सदन की मांग कह सकते हों। सच बात तो यह है कि कुछ मुद्दे हम लोग ले लेते हैं और उनको बराबर इस सदन में दोहरा कर एक फिज़ां उत्पन्न करना चाहते हैं जिससे ऐसा मालूम हो कि सारे राजस्थान में इस समय पुलिस की जो ज्यादतियां हैं।वे काबू के बाहर हैं। हमारे माननीय मित्र यहां यह चित्रित करना चाहते हैं कि राजस्थान में न कोई कानून की व्यवस्था है, न कोई उनकी दृष्टि में समाज में कानून से उपयोगी व्यवस्था हो सकती है। गृह मन्त्रीजी को जो उनका विभाग छुड़वाने के लिए कहा गया है, माननीय सदस्य के इस आग्रह को माना नहीं जा सकता,उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि उनका आग्रह यहां चल नहीं सकता। गृह मन्त्रीजी, मैं समझता हूं कि उनके बनाए हुए नहीं हैं। वे गृह मन्त्री बने हुए हैं और इसीलिए इस आसन पर हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं, यह पार्टी चाहती है जिसके हाथ में कि आज राजस्थान का शासन है। यह पार्टी चाहती है कि वह गृह मन्त्री की तरह से काम करें तो वह काम करेंगे और पुलिस का विभाग उनके पास रहेगा। इसलिए इस सदन के अन्दर इस तरह की मांग करना और इस तरह का वातावरण बनाना कोई महत्व नहीं रखता है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी उनकी मांग बढ़ती जायेगी कि गृह मंत्री इस विभाग को छोड़ दें गृह मंत्री महोदय के प्रति हम लोगों का विश्वास बढ़ता जायेगा। पुलिस का अच्छा इन्तजाम करने का, पुलिस के द्वारा राजस्थान की जनता की अधिक से अधिक सेवा हो, इसके लिए न केवल उन्हें सदैव सुविधा दी जानी चाहिए बल्कि इस बात का विश्वास भी दिला देना चाहिए कि वे निर्भय होकर पुलिस का अच्छा इन्तजाम करें, उसको देखें और राजस्थान की जनता में कानून और शांति बनाए रखें। मैं यह मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस पार्टी के सदस्य के नाते भी और व्यक्तिगत रूप से भी कि राजस्थान पुलिस के प्रबन्ध के लिए, उसके विकास के लिए, हमारी सरकार ने और विशेष कर हमारे गृह मंत्रीजी ने हर सम्भव प्रयत्न किये हैं। आप तस्कर व्यापार और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि तस्कर व्यापार और भ्रष्टाचार क्या केवल राजस्थान की पुलिस के अन्दर ही है, राजस्थान के पुलिस विभाग के अन्दर ही है और बाहर दूसरे राज्यों में नहीं है? यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं और कहते हैं तो यह बिल्कुल गलत है....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): आप किस पर बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : He is controverting the arguments advanced by one of the members on this side.

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मित्र इंग्लैंड की पुलिस का उदाहरण देंगे। मैं उनके साथ सहमति प्रकट करते हुए भी कहूंगा कि आप अमेरिका की पुलिस को लीजिए जहां पर कि दुनिया के सब साधन हैं, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक साधन हैं, लेकिन फिर भी आप वहां की स्थिति को लीजिए। हमारा यह ख्याल बिल्कुल गलत होगा, उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम यह समझ लें कि इंग्लैंड के अन्दर चोरियां नहीं होतीं, इंग्लैंड के अन्दर हत्याएं

(श्री जनार्दनराय नागर)

नहीं होतीं या अमेरिका में चोरियां और हत्याएं नहीं होतीं। अमेरिका में इतनी व्यवस्थित पुलिस होते हुए भी वहां गड़बड़ होती है। तो वहां के लिए यह मान कर चलना कि वहां कोई बात होती ही नहीं है तो यह बिल्कुल गलत धारणा होगी।

इस समाज के सारे ढांचे में, इस समाज के व्यवहार में, मैं समझता हूं, अपराध है, और वह अपराध, समाज चाहे किसी भी स्तर पर व्यवस्थित होगा, निस्संदेह रूप से वह अपराध वहीं का वहीं बना रहेगा ! सवाल इतना सा है कि अपराध और अपराध करने की स्थिति और अपराधी को पकड़ने, रोकने के लिए कितनी कोशिश कर सकते हैं ? जब से बड़ा राजस्थान बना तब से आज तक इस राजस्थान में अपराध की जो परिस्थितियां थीं, कानून और शान्ति की जो समस्या थी, उसको सुलझाने के लिए बहुत कुछ किया गया है। केवल विरोध के लिए विरोध करना चाहें तो वह कर सकते हैं। उस विरोध का असर, मैं समझता हूं, किसी पर नहीं पड़ता है। असर केवल इतना पड़ सकता है, मेरे ख्याल से, कि अखबारों की हैड लाइन्स में विरोध आपका छप जाय और संतोष हो जाय। लेकिन पुलिस की थोड़ी बहुत खराबियों के साथ सदन में यह बात भी बताएं कि पुलिस के द्वारा राजस्थान में शान्ति और अमन की व्यवस्था के लिए काफी काम हुआ है; बड़ा राजस्थान बना है तब से, मैं समझता हूं, इस सदन के प्रति और जनता के प्रति हम न्याय नहीं कर पायेंगे।....

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : तस्कर व्यापार कितना रुका है ?

श्री जनार्दनराय नागर : तस्कर व्यापार पर मैं आ रहा हूं, आप अधीर न हों। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बना तब उस अन्तरिम काल में कानून की व्यवस्था हमारी एक समस्या थी। सबसे बड़ी डाकुओं की समस्या थी। आज निरन्तर रूप से इन दोनों समस्याओं में विकास होता चला जा रहा है। हमारी पुलिस ने इन मामलों में काफी हद तक ऐसा काम किया है जिसकी तुलना अच्छे अच्छे भारतीय राज्यों की पुलिस के साथ कर सकते हैं। मेरा भी एक खास मामले से पुलिस का सम्बन्ध हुआ है। उदयपुर के अन्दर सरस्वती भंडार के अन्दर से काफी चित्रों की चोरी हुई। उसमें मुझे मालूम है कि उदयपुर की पुलिस ने कितनी बहादुरी से काम किया, और मैं उस काम की तुलना स्कॉटलैण्ड यार्ड की पुलिस से कर सकता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो राजस्थान में डाकुओं की समस्या को राजस्थान पुलिस धीरे धीरे हल कर रही है बहादुरी से और अपनी जान दे रही है, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री अनूपसिंह : कौन से डाकुओं को ?

श्री जनार्दनराय नागर : मैं मानता हूं कि इतने बड़े पुलिस विभाग में ५, ७, १० पुलिसमैन ऐसे भी होंगे जो नालायक होंगे, जो अपराधियों को थाने में बुलाकर मारते-पीटते होंगे, लेकिन १०० पुलिसमैनों में से ९० पुलिसमैनों के बारे में, उनके अधिकारियों के बारे में यह कहें कि सब के सब नालायक हैं, सब के सब जालिम हैं, सब के सब जनता का खून चूसनेवाले हैं, मैं समझता हूं, बिल्कुल

Page No.75

(श्री जर्नादनराय नागर)

उचित बात नहीं है और राजस्थान की जनता में अमन शान्ति की दृष्टि से अच्छे काम नहीं किये हों, ऐसी बात नहीं है। मैं भावुकता से नहीं कह रहा हूं। क्यां हम सारी बातों की तुलना नहीं करना चाहते हैं? क्यों हम सारे हालात पर विचार करने की शक्ति नहीं रखना चाहते हैं? ऐसी छोटी मोटी बातों पर, मैं मानता हूं कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो शंका पैदा करनेवाली हैं। जो घटनाएं ऐसी हैं उनके मामलों की जांच होनी चाहिए। यदि उनमें कोई नुक्स है, कोई जुल्म हुआ है तो उनके साथ न्याय होना चाहिए और उनको दूर किया जाना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के जो अधिकारी दोषी हैं और सजा पाने के काबिल हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ५, ७, १० का नहीं है, १५, २० इन्क्वायरीज़ चल रही हैं उन १५, २० इन्क्वायरीज़ का सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि राजस्थान की पुलिस कुल मिला कर अच्छी है या नहीं है; वह जनता की सेवा करने के योग्य है या नहीं?

यह कहा गया कि ३,३६,०००) रु० हम राजस्थान की मौजूदा पुलिस को नहीं दे सकते हैं, मौजूदा राजस्थान के गृह मंत्री के हाथ में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अयोग्य हैं। सारे के सारे पुलिस विभाग के अधिकारी, सारे पुलिसमैन, सारा पुलिस तन्त्र भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है, सारे का सारा जुल्मी तन्त्र है। यह कोई दलील है! इसको दलील कहने में संकोच होता है। इतने डाकू राजस्थान के अन्दर समाप्त हुए, कितनों को पकड़ा भी गया। अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया है। इस बात को क्यों आप महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं? किन्तु आप महत्व इस बात का मानते हैं कि किसी को थाने में पीटा गया। मैं मानता हूं कि उस मामले की जांच होनी चाहिए। उस मामले में अपराधी को सजा दी जानी चाहिए। किसी को मार कर एक जगह कुंए में फैंक दिया गया, मैं समझता हूँ, उसके बारे में सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन १०–५ हत्याएं होती हैं, कहीं चोरी होती है और पुलिसवाले मिले हुए हैं, तस्कर व्यापार में पुलिस और दूसरे लोगों का गठबन्धन मालूम होता है तो इससे यह नतीजा नहीं निकल सकता है कि सारी पुलिस नालायक है और इसका इन्तजाम करने वाले ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में विश्वास नहीं किया जा सकता है। यदि वे स्वयं गृह मंत्री होकर यहां आकर बैठें तो मेरी यह चेतावनी है कि उनके गृह मंत्री काल के अन्दर भी हत्याएं होंगीं, चोरियां होंगीं और इस तरह की वारदातें होंगीं जिनकी वजह से उनके लिए भी कहा जा सकता है कि आप भी कुर्सी छोड़ दें! आज क्या बड़े बड़े देशों के अन्दर क्राइम नहीं होते हैं? क्या अमेरिका में क्राइम नहीं होते हैं? आपने कहा कि पाकिस्तान में मिलिट्री शासन कायम हो गया तो मिलिट्री शासन ने तस्कर व्यापार को वाइप आउट (wipe out) कर दिया। वाइप आउट कर दिया, वह तो आपके सामने है। मैं नहीं कह सकता कि वहां बिल्कुल ही समाप्त हो गया है क्या जनरल अय्यूब के शासन के अन्दर तस्कर व्यापार नहीं होता है, लेकिन यदि वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होता तो मिलिट्री शासन कैसे आता? डिक्टेटरशिप उस देश के

(श्री जनार्दनराय नागर)

अन्दर आती है जहां की जनता का स्तर बिल्कुल नीचा हो जाता है, जहां सारा इन्तजाम समाप्त हो जाता है, जहां ऐसे फेजेज़ आते हैं उसी देश में डिक्टेटरशिप कायम होती है। आज पाकिस्तान में, सारे देश में, मैं मानता हूं, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, तस्कर व्यापार को समाप्त करने के लिए प्रयत्न हो रहा है और उसका असर हम-पर भी पड़ रहा है। लेकिन हमारे सामने यह भी एक समस्या है कि सारे राजस्थान के इतने बड़े बोर्डर पर तस्कर व्यापार को कैसे रोकें? यह जो निरन्तर सीमा पर माल इधर उधर चोरी से आता जाता है उसको कैसे रोकें? उसको रोकने के लिए धन चाहिए। उसके लिए हम साधन व्यवस्था बढ़ाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि साधन व्यवस्था नहीं दी जाय, तो फिर आपका मकसद क्या है? एक तरफ आप कहते हैं कि तस्कर व्यापार बन्द होना चाहिए। तो यह तस्कर व्यापार गृह मंत्री का पैदा किया हुआ नहीं है। आज इस सरकार ने उसको पैदा नहीं किया है। भ्रष्टाचार हमारे समाज में होता है, गलतियां हमारे समाज में होती हैं, हत्याएं हमारे समाज में होती हैं। उनको रोकने के लिए, उनको दूर करने के लिए बात है तो आपकी दलील इस प्रकार की है कि अस्पताल खोलने की क्या जरूरत है? दिन प्रति दिन रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो स्वास्थ्य मंत्री हैं वे लायक नहीं है इसलिए अस्पताल खोलने के लिए उन्हें धन नहीं देना चाहिए। इस तरह की वाहियात दलीलें हमारे सामने आती हैं। हम मानते हैं कि राजस्थान में तस्कर व्यापार होता है, हम मानते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है, हम मानते हैं कि राजस्थान में हत्याएं होती हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए धन चाहिए।

यह भी कहा गया कि हमारे यहां बॉम्बे-वाले (आई० जी० पी०) आये तो काम बहुत अच्छा चला। उनके जाने के बाद पुलिस में निरन्तर कमी आती गई है, पुलिस गिरती चली जा रही है। इसके मायने यह है कि राजस्थान के जो हमारे राजस्थानी भाई हैं, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं वे उस जिम्मेवारी के लायक नहीं हैं, वे दूसरों के सामने अयोग्य हैं। आज जो आई० जी० पी० हैं और जो पुलिस के दूसरे ऑफिसर्स हैं वे काबिल नहीं हैं? मैं समझता हूँ कि यह उलझनवाली बात है। हमें राजस्थानी भाइयों पर विश्वास करना पड़ेगा। हमारे ऑफिसर्स पर विश्वास करके चलना पड़ेगा, यह दलील कि हम इनका प्रोटेक्शन करते हैं, तो पुलिसवालों के प्रोटेक्शन करने का कोई सवाल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, उन पर विश्वास रख कर हमें चलना है। पुलिस विभाग के अन्दर जो इन्तजाम करनेवाले हैं उन पर विश्वास करना है....

श्री उपाध्यक्ष (श्री अनूपसिंह द्वारा (क्रम भंग पहुँचाने पर) : The same liberal view has been taken in respcet of some of the members on this side. I think, you should have some patience.

श्री जनार्दनराय नागर : तो मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मेहरबानी करके इस तरह का वातावरण इस सदन में फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पुलिस के अन्दर जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। तस्कर व्यापार पर कन्ट्रोल

(श्री जनार्दनराय नागर)

करना चाहिये, भ्रष्टाचार है उसको दूर करने का प्रयत्न हो रहा है उस प्रयत्न को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिये। यह न करके सारी पुलिस को कन्डेम करके फेंक देते हैं। तो मैं समझता हूं कि उससे आप सफल होनेवाले नहीं हैं, न हम सफल होनेवाले हैं। पुलिस का इन्तज़ाम ठीक चल रहा है। पुलिस का इन्तज़ाम अधिक मजबूत होता चला जा रहा है। जो डाकू दल राजस्थान में घूमते फिरते थे वह कम हुये हैं। तस्कर व्यापार का मामला आगे बढ़ा है उससे आपको गुस्सा आता है और सदन में कहते हैं कि पुलिस के तमाम लोग अन्यायी हैं, जुल्मी हैं, नाजोगे हैं। आपका गुस्सा ही इस बात का सुबूत है कि गृह मंत्री और पुलिस का इन्तजाम बदस्तूर ठीक है। यह उसके बारे में प्रमाणपत्र है। विरोधी इसी प्रकार से प्रमाणपत्र दिया करते हैं। उनसे फूल की आशा नहीं करनी चाहिये। उनसे इस बात की कैसे उम्मीद करें कि वे कहें कि गृह मन्त्री और उनकी पुलिस ने अच्छा काम किया है ? मैं मानता हूं कि कुछ खराबियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ उलझनें हैं। केवल १०० में से १० की उलझनों को लेकर हमारे जैसे लोग यह कहने को तैयार नहीं हैं कि सब खराब हैं। कुछ बातों की खराबियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करनी चाहिये। लेकिन वह संख्या बहुत नगण्य है। उनका कोई महत्व नहीं है। इसलिये मेरी दख्र्वास्त है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सदन के अन्दर पुलिस का टोटल कन्डेमेशन छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूं कि यहां स्वस्थ विरोध हो। स्वस्थ विरोध में आप अच्छी बातों को रखें और जो प्रयत्न हुए हैं उनको मानें। जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं उनको सामने रखें। टोटल कन्डेमेशन से आपके विरोध में शंका होती है। आपकी बातें बायेस नज़र आती हैं, आपकी बातों में खून लगा हुआ मालूम होता है। ऐसा मालूम होता है कि आप नाराज हैं, कुछ पीछे पड़ गये हैं। तस्कर व्यापार को दूर करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए और जो पुलिसवाले मिले हुए हैं उनको पुलिस फोर्स से निकाला जाना चाहिये। यदि कोई अधिकारी उनसे मिला हुआ हो तो उसको तुरन्त हटा देना चाहिये। मैं मानता हूँ कि इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिये अधिक धनराशि मांगी गई है। मेरा मतलब यह नहीं है कि पुलिस वाले सब के सब देवता ही हैं, मुझे यह भ्रम नहीं है। पुलिस के लिये स्वतन्त्रता संग्राम के दिन से हमारी राय अच्छी नहीं है। उन दिनों से हमारे जो मित्र इधर या उधर बैठे हैं उनको इन लोगों से कुछ परेशानी महसूस हुई हो और वह बात अब तक उनके दिल में बैठी हुई हो। लेकिन यह कहना कि पुलिसवाले राक्षस हो गये और हमारे गृह मन्त्रीजी भीXXXX हो गये, ठीक नहीं है। मैं समझता हूँXXXX से अभी उनका मुकाबला हुआ नहीं है। कहीं अन्धेरे में किसी चीज़ कोXXXX समझ लिया होगा। कहींXXXX सामने आ गया तो बड़ी कठनाई आ जायगी। इसलिये किसी आदमी को XXXX कहना उचित नहीं है। जो आदमी ईमानदारी से काम करता है उसको इस तरह के शब्दों से संबोधित करना कहां तक ठीक है। हमारे गृह मन्त्रीजी ठंडे हैं, शान्त हैं, धीरे धीरे कदम उठाते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा आई. जी. पी. बड़ी बड़ी मूछों

XXXXअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री जनार्दनराय नागर)

वाला, रोबदौबवाला हो और दनादन अपराधियों पर चाबुक फटकारता रहे, पर भाई, यह कानून का राज्य है। हमको विश्वास के साथ चलना पड़ेगा, पुलिस वाले अपराधियों को पकड़ेंगे और उनकी इन्क्वायरी भी होगी। हमारे आज के गृह मन्त्री और राजाओं के जमाने के गृह मन्त्री में फर्क है। हमारे आज के गृह मन्त्री कानून से बंधे हुये हैं। उनको उन बंदिशों के साथ चलना पड़ेगा आपके कहे रास्ते से उनको नहीं चलना है। अमेरिका में एक समय केवेलियर्स का जमाना था। वे घोड़ों पर चलते थे और साथ में कोर्ड्स रखते थे जिसको वे अपराधियों पर दनादन चलाते थे। आप शायद उस केवेलियर की कल्पना करके चल रहे हैं कि हमारे यहां के आई. जी. पी और गृह मन्त्री उनके जैसे होने चाहिये। आज आप पुलिसवालों को अधिकार दे दीजिये कि अपराधियों को पकड़ पर वे ही दंड दे दें तो शायद आपसे ज्यादा अपराधियों को पकड़ पायेंगे। हमारा अनुभव है कि पुलिसवाले अपराधियों को पकड़ते हैं लेकिन वे अदालतों में जाकर छूट जाते हैं। उनके पीछे वकीलों की फौज जो लगी हुई होती है। हमारे समाज में इन लोगों की रक्षा करने वाले कितने ही लोग हैं।

आज हम पुलिस को दोष दें तो यह उचित नहीं है क्योंकि वह कानून से बंधी हुई है। इसलिये सारे समाज की परिस्थितियों को देखकर उनके साथ न्याय करने का तरीका होना चाहिये। पुलिस को इस तरह से बनाना है कि वह समाज का विश्वास प्राप्त करके आगे बढ़ सके। मैं यह मानता हूँ कि ऐसे पुलिसमैन भी हैं जो अभी भी समाज का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाये हैं। लेकिन कुल मिलाकर इसको गलतफहमी में डालना गलत बात है। पुलिस विभाग ठीक तरह से काम कर रहा है। गृह मन्त्रीजी यदि उनके प्रति हमदर्दी नहीं रखेंगे तो काम पूरा नहीं हो सकेगा।

मैं फिर कहता हूं कि तस्कर व्यापार को बन्द करने के लिये जो छोटी सी राशि गृह मन्त्रीजी ने मांगी है वह दे दी जाय। यदि आप नहीं देंगे तो हम दे सकते हैं क्योंकि इसको मिटाने के लिये पुरजोर कोशिश की जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी : उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव, खासकर तस्कर व्यापार को समाप्त करने के लिये धनराशि चाही है उस सम्बन्ध में आज बहस चल रही है। मैं समझता हूं, जो भी अधिकार या धनराशि के रूप में लेकर पुलिस को दें उसके बारे में देखना यह है कि जो धनराशि या अधिकार दे रहे हैं वाकई उनका उपयोग होगा या नहीं? यह सबसे बड़ा सिद्धान्त है कि एक पैसा भी जो डेमोक्रेसी में खर्च करते हैं उसका उपयोग होता है या नहीं और धन के साथ जो अधिकार मिलते हैं उनका भी उपयोग होता है या नहीं, यह देखना है। मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा कहना चाहूंगा।

पुलिस के हाथ में आज भी जो अधिकार दिये हुए हैं और वह जो धनराशि खर्च कर रहे हैं वह धन मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिये खर्च होता है या नहीं? आज जनता की सेवा के लिये पुलिस है। हर

(श्री मुरलीधर व्यास)

पुलिस स्टेशन पर ये शब्द लिखे रहते हैं, "जनता की सेवा के लिये"। ये लफ्ज बड़े अच्छे लगते हैं कि पुलिस भी जनता की सेवा के लिये खड़ी है और यदि उसके खिलाफ हम कहें कि पुलिस उसके लिये नहीं है तो आश्चर्य होता है कि क्यों ऐसा कहा जाता है ? इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा । जो जनता की सेवा के लिये है वह जनता की सेवा करती है तो अच्छी चीज़ है । अगर जनता की सेवा नहीं करती है तो कहा जायगा कि सेवा नहीं करती है । आज यह कहा जाता है कि यह सरकार जनता की सेवा के लिये है और इस सरकार के सम्बन्ध में एक बहुत बड़े व्यक्ति ने जो गवर्नर जनरल रह चुके हैं, श्री राजगोपालाचारी ने कहा कि यह कांग्रेस की सरकार राक्षस सी है । "राक्षस" शब्द आया उनकी जुबान से । हमारे जैसा अदना आदमी कह दे तो बात अलग है....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): दक्षिण वाले तो रामचन्द्रजी को भी राक्षस कहते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : उन्होंने उदाहरण दिया कि राक्षस देवताओं के नाम पर जीते हैं और आज की कांग्रेस महात्मा गांधी के नाम पर जीती है, लेकिन उसमें महात्मा गांधी जैसा चरित्र नहीं है, उनके जैसे गुण नहीं हैं । यहां पर एक माननीय सदस्य ने गृह मन्त्रीजी के लियेXXXX शब्द का प्रयोग किया लेकिन वह उनके व्यक्तिगत रूप से ताल्लुक नहीं रखता है । सवाल पुलिस कर्मचारियों या पुलिस विभाग का है । पुलिस विभाग सेवा के लिये खड़ा है कि लेकिन वह वाकई सेवा करता है या नहीं ? यदि वह सेवा करता है तो इस लफ्ज की जरूरत नहीं है । लेकिन यदि वह सेवा नहीं करता है और उसके कारण जुल्म और अन्याय बढ़ता है तो यह कहा जाय कि वहXXXX है, सरकार के लिये या गृह मन्त्रीजी के लिये कहा जाय तो उसे पार्लियामेन्टरी तौर से बुरा नहीं समझना चाहिये । व्यक्तिगत जीवन के लिये उनका चरित्र ऊंचा हो सकता है । लेकिन जो व्यवस्था है, यदि पुलिस राज्य की जो स्थिति है उसके बारे में हो सकता है कि आपका दिमाग स्पष्ट हो कि आज का पुलिस विभाग अच्छा है इसलिये आप उसकी तारीफ करें लेकिन यदि मैं समझता हूं कि यह आपके और हमारे तारीफ के काबिल नहीं है; इसके लिये तारीफ की जरूरत नहीं है । आप किसी गांव में या किसी कस्बे में चले जाइये और वहां पर किसी साधारण आदमी से पूछिये तो आपको पता चलेगा कि आज जो पुलिस की व्यवस्था है वहां सेवा के दृष्टिकोण से नहीं कार्य चल रहा है; किन्तु आज दुरुपयोग ज्यादा बढ़ता जा रहा है । यह बात ठीक है या नहीं; इसको आप देखिये । सही मानें में जो अधिकार पुलिस को देते हैं, जो धनराशि उस पर खर्च करते हैं, हममें से बहुत से लोग कहते हैं कि पुलिस का जीवन-स्तर ऊंचा उठाना चाहिये; लेकिन साथ साथ यह भी कहते हैं कि पुलिस के अन्तर्गत जो बुराइयां हैं वे दूर होनी चाहिये और इस विधान सभा में यदि हम यह बात कहें तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिये ; बल्कि यह समझना चाहिये कि वाकई ऐसी बात है या नहीं । मैं तो यह मानता हूं कि आज कोई कहे कि पुलिस का काम बहुत अच्छा है और अच्छी व्यवस्था है; जहां

XXXXअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

नाना प्रकार के भ्रष्टाचार, अपहरण, महिलाओं की इज्जत लूटी जाय इस प्रकार की घटनाएं रात-दिन सुनते हैं वहां अगर इस तरह की बात कही जाय तो शोभा नहीं देती है, इससे नुकसान होता है डेमोक्रेसी में। आज हम अधिकार देते हैं उनका उपयोग ठीक तरह से होता है या नहीं ?

मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं !एक सिपाही है जिसको वर्दी लगाने का अधिकार है। वर्दी पुलिस पहिनती है। उसको देख कर साधारण आदमी यह सोच कर उसके पास जाये कि वर्दीवाले के पास चलो, मेरी कुछ न कुछ सेवा होगी, मदद होगी ; यह सोच कर जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस वाला जो वर्दी पहिन कर चलता है, तो उस वर्दी में भ्रष्टाचार छिपा रहता है। उससे आदमी डरता है कि पुलिसवाला आदमी है। वह यह सोच कर चला जाय कि चलो कुछ मदद मिल जायगी, लेकिन वह उससे डरता है। हमारे मुल्क में जनतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई। हम दूसरे दूसरे देशों के उदाहरण देते हैं कि इंग्लैंड और अमेरिका में भी जुल्म होते हैं, हमारे यहां कुछ ज्यादा हो सकते हैं। मुझे यह सुन कर ताज्जुब होता है। यह कैसे कहते हैं ? मैं समझता हूं कि इन बातों के कहने से देश का लाभ नहीं हो सकता। सवाल यह है कि हम जो कुछ दे रहे हैं, उससे कुछ लाभ होता है या नहीं ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुलिस अधिकारी कहीं जाता है तो उसको वर्दी में देख कर लोग डरते हैं। लेकिन उसको वर्दी पहिनने के साथ हवालात में ले जाने का अधिकार देते हैं, हथकड़ी लगाने का अधिकार देते हैं, एक डंडा उसके पास होता है वह इन सारी चीजों का दुरुपयोग करता है। यदि एक पुलिसवाले आदमी को एक गांव से दूसरे गांव जाना है, तो वह वर्दी पहिन कर जायगा, वर्दी पहिन कर इसलिए जायगा कि मोटरवाला उसे मुफ्त में बैठा लेगा, रेल से कहीं जाना होगा तो वह रेल में भी वर्दी पहन कर जायगा। कई दफा वर्दी इसलिए पहिनते हैं कि वर्दी पहिनने से भ्रष्टाचार का काम ठीक चलेगा। इतना ही नहीं, आप छोटी मोटी चीजें देखिये। हथकड़ी का दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं ? मान लीजिये कि किसी आदमी को बुलाने जाना है तो वे साथ में हथकड़ी लेकर जायेंगे। हथकड़ी लेकर इसलिए जायेंगे कि हथकड़ी के डर से साधारण आदमी उसको कुछ न कुछ दे दिलाई और कहे क्यों मेरी बेइज्जती करते हैं ? इसके अलावा जो व्हिशल होती है वह बजाने के लिए होती है और लोगों को बचाने के लिए होती है, लेकिन उस व्हिशल का ट्रैफिक पुलिसमैन इस तरह उपयोग करता है कि कोई तांगा हो, कोई गाड़ीवाला हो, रिक्शा वाला हो, उनको व्हिशल बजा कर रोक लेते हैं जिससे वह शराब के लिए कुछ दे दे, उसके लिए कुछ दे दे। आपने जो छोटी छोटी चीजें दी हैं, जो साधारण हैं, मैं समझता हूं कि छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक आज कल पुलिसवाले करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक आदमी शिकायत लिखाने आता है, कानून के अनुसार, तो वे इसी प्रकार की शिकायत लिख देते हैं। अगर उसने कुछ दे दिया, तो ठीक बात है, वह ठीक प्रकार शिकायत लिख देता है, नहीं तो किसी और ढंग से लिख देता है, जिससे राहत नहीं मिले। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि गृह मंत्रीजी ऐसा डिपार्टमेंट बैठायें,

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि जो पुलिस के थाने आदि बने हुए हैं उनका हैड ऑफिस की तरह हो, इसमें कुछ अच्छे लोग, चुने हुए लोग हों। तो मैं समझता हूं कि उससे कुछ लाभ होगा और इस तरह की बातें कम होंगी। इसी सम्बन्ध में एक मेरे से सम्बन्धित बात कह दी थी, अभी केन्द्रीय सरकार का एक ऑर्डिनेन्स बना और उसमें गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया था। ठीक बात है, परिस्थितियां ऐसी थीं, सरकार ने इस बात को ठीक समझा। लेकिन उस अधिकार के देने के बाद उसका उपयोग ठीक तरह हुआ या दुरुपयोग हुआ? थोड़े समय में उसका इतना दुरुपयोग हुआ कि मेरे साथ भी पुलिस ने मार-पीट की, मेरे साथ छीना-झपटी की। खैर, मुझे उसका रंज नहीं। मैं इस सम्बन्ध में इतना निवेदन करूं कि एक सभा में भाषण देने के लिए मैंने पर्चा निकाला कि मैं बोलने वाला हूं, रतन बिहारी के आसपास बोलनेवाला हूं। रतन बिहारी के बाहर १४४ धारा लगी हुई थी, किसी को भीतर नहीं जाने दिया गया। खैर, एक ऑफिस की गैलेरी से बाहर जाकर जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई। मैं अगर अपनी गिरफ्तारी की खिलाफत करता, या मैं गिरफ्तार नहीं होता, मैं हरेस करता, तो ठीक बात है, पुलिस मेरे साथ मारपीट कर सकती थी; लेकिन मैं गिरफ्तार होने को तैयार था, लेकिन पुलिस ने लाउड स्पीकर गिरा दिया, मेरे साथ छीना झपटी की, मार पीट की, दो, चार पुलिसवालों से कहा और वह भी साधारण पुलिस नहीं, वाई० एस० पी० श्री मानसिंह वहां थे। और पत्रकारों के सामने मुझे नीचे गिरा दिया। पुलिस वालों से कहा, डंडे मारो। मैंने कहा, वाई०एस०पी० हैं, पांच-दस दिन आये हुए इनको हुए हैं, मेरे साथ कोई दुश्मनी तो नहीं, मैं शिकायत क्यों करूं? लेकिन आम लोगों ने देखा और एक तार गृह मंत्री को दिया कि एम० एल० ए० के साथ ऐसा हुआ है। जो पत्रकार वहां थे उन्होंने कहा कि एम० एल० ए० के साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती है। इस तरह की मेरे साथ नहीं, और एम० एल० एज़० के साथ घटनायें हुई हैं। एक ऑर्डिनेन्स राष्ट्रपतिजी ने निकाला, उनको जो पॉवर दी है कि वे गणतंत्र की रक्षा करें, उस पॉवर के अनुसार एक ऑर्डिनेन्स निकाला....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): On a point of information, Sir, whether that Ordinance gives powers to the Police to man-handle any individual, to catch him by the hair and drag him or pull him?

श्री उपाध्यक्ष: That is what he is stressing.

श्री पी० के० चौधरी: If that power was not given, then when a statement is given in the House by an Hon'ble Member that he was pulled by the hair and dragged, I think it is a serious matter and the House should be seized of it and an enquiry should be made in this matter whether the M. L. A. concerned was dragged. A serious note should be taken of this thing. I don't think we should treat it so lightly when it is announced in the House. It is a shameful

(श्री पी. के. चौधरी)

incident and an enquiry should be conducted into this matter.

श्री उपाध्यक्ष : Well, Hon'ble Minister will make a clartificaion when he replies.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मैं कह रहा हूं मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना मेरे साथ हुई। एक ऑर्डिनेन्स राष्ट्रपतिजी का था, उसके अन्तर्गत मुझे पकड़ सकते थे और कह सकते थे तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। मैं गिरफ्तार नहीं होता तो मुझे खींच भी सकते थे। बिना किसी बात के मेरे साथ जो व्यवहार किया और मेरे साथ जिस प्रकार से छीना-झपटी की गई वह भी छिपा नहीं है। यह सब कुछ उन लोगों के सामने घटना हुई जो वहां मौजूद थे। हमारे गृह मंत्रीजी को एक तार भी दिया गया। मैं पूछता हूं कि गृह मंत्री ने सदन के एक सदस्य के बारे में जानकारी होने के बाद आज तक क्या किया? आज वे अपने आपको जागरूक कहते हैं, परन्तु ऐसी घटनायें होती हैं और ऐसी घटनायें और भी हो सकती हैं, और लोगों के साथ में। मैं कहना चाहता हूं कि मैं उस वाई० एस० पी० की शिकायत क्यों करूं, क्या मेरे से उनका कोई झगड़ा था? मैं कई दफा जेल जाता हूं, आता हूं। जाता हूं, उन वाई० एस० पी० की क्यों शिकायत करूं? मैंने उस दिन जेल जाते ही एक पत्र लिखा और इस भावना से लिखा कि इसमें गृह मंत्रीजी कुछ करें। लेकिन मुझे दुःख है कि उन सारी बातों के बावजूद भी, घटना के घटने के बाद भी गृह मंत्रीजी ने कुछ नहीं किया। क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत मामला था, इसलिए मैं अपनी तरफ से प्रेस नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि दूसरे माननीय सदस्य ने कह दिया, इसलिए इसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक हो गया; और मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ बातें कही हैं, उनमें बिन्दुमात्र भी कोई अतिशयोक्ति की बात जाहिर कर दी हो, तो कह सकते हैं कि इतनी बात बढ़ा कर कही है। इस सदन में मैं जो कुछ कहता हूं उसके लिए बड़ी से बड़ी सजा मुझे मिल सकती है अगर मैंने कुछ बढ़ा-चढ़ा कर कहा हो। जिस किसी व्यक्ति ने ऐसा किया उसको कहना चाहिए था कि तुमने एक एम० एल० ए० के साथ जबरदस्ती की, उसको कितने ही पत्रकारों ने देखा है। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके कारण आज पुलिसवालों के लिए लोगों का क्या थिंकिंग बनता है? मैं इतनी बात कह रहा हूं, आप कह सकते हैं कि ठीक बात है, मैं कह रहा हूं, लेकिन पत्रकारों के सामने जो कुछ बातें कही गईं, जो कुछ घटना हुई, उस सारी घटना के बाद भी कुछ नहीं होता है तो क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अन्दर पुलिस अधिकारी सोचने लग गये हैं कि जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर उनके पक्ष में कुछ कर दिया तो सत्ता में बैठनेवाले उनकी मदद करेंगे। यह आम धारणा आज पुलिस के हर अधिकारी की, साधारण से साधारण आदमी की हो गई है। इस प्रकार की कई घटनायें होती हैं। मैंने एक मामला सुनार की मौत के बारे में बताया था। हमने सारे अधिकारियों को शिकायत की कि इसकी जांच की जाय। आखिर एक २१-२२ वर्ष के सुनार के बालक की हत्या कर दी गई;

(श्री मुरलीधर व्यास)

लेकिन उसमें लोगों को बचाने की कोशिश की गई।

(घंटी)

तो इस दृष्टिकोण से पुलिस को दिये गये अधिकारों के दुरुपयोग की बात मैंने कही। इसी आधार पर जो नया अधिकार दे रहे हैं, पुलिसवालों को तस्कर व्यापार को रोकने का; मैं कहना चाहता हूँ कि जो तस्कर व्यापार अनाज के सम्बन्ध में होता है, जब कि हमारे प्रान्त की अनाज की स्थिति ऐसी है,

(३. म० प०)

आप इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं और उधर पाटिल साहब यू. पी. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इन तीनों का एक जोन बना रहे हैं। आप इस सम्बन्ध में क्या समझते हैं; मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि जोन्स बनने से हमें नुकसान ही होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार जोन्स को मंजूर नहीं करेगी। अगर केन्द्रीय मंत्रालय ने ऐसा कर दिया और ऊपर के प्रेशर से यह जोन्स थोप दिये गये तो फिर इन चोकियों का जो खर्चा आप करते हैं वह क्या काम आवेगा और आपकी ये चोकियें किस काम की रहेगी? इसके अलावा आप चौकियां रखेंगे वहां पर पुलिस कर्मचारी लगातार रहेंगे और कोई भी गाड़ी आएगी चाहे वह कोई ट्रक हो या बस या गाड़ी वे तो उन सब को रोकेंगे और उनको उन्हें रोकने का अधिकार होगा। अधिकार-तहत वे रोक सकते हैं। यह एक बड़ा भारी पॉवर हम उनके हाथों में और देते हैं। जो कोई भी बस या ट्रक उधर होकर जाएगा पुलिस उसकी जांच करेगी इससे जनता को तकलीफ होगी। इस प्रकार ये चोकियें जनता को आराम देने के बजाय तकलीफ की चीज़ बनेंगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस की आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि आप यह चाहते हैं कि पुलिस चौकियां बना कर तस्कर व्यापार को रोक लें तो हर्गिज उसको आप नहीं रोक सकेंगे। मैं एक बार नहीं दस बार कह सकता हूं कि इस प्रकार का प्रबन्ध करके आप तस्कर व्यापार करनेवालों को कभी भी नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि तस्कर व्यापार करनेवाले बहुत होशियार होते हैं और पुलिस के अधिकारियों से मिले हुए होने के कारण उनको किसी प्रकार का भय भी नहीं रहता है। आप तीन लाख की जगह अगर ५० लाख रुपया भी इसको रोकने के लिये चौकियां बनाने में लगा दें तो भी आप इन तस्कर व्यापार करनेवालों को नहीं रोक सकेंगे।

मैं यह कहूंगा कि आप चाहे इस खर्चे को जायज़ समझते हो लेकिन जिस प्रकार से यह खर्चे होते है और काम चलते हैं, चाहे आप पुलिसवालों के लिये लाख इस बात की दुहाई दें कि उनका काम बहुत अच्छी तरह से चलता है, आपकी व्यवस्था पुलिस को बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह सब गलत है और यह भी साथ साथ कहूँगा कि होम मिनिस्टर साहब की वहां पर कुछ चलती नहीं है। हमने कई बार बताया और बताने की आगे भी कोशिश करेंगे कि माननीय गृह मन्त्री के कार्यकाल में पुलिस की व्यवस्था बहुत बिगड़ी है और उनके काम में बहुत शिकायतें हैं। यह सब गृह मंत्री-जी की ढिलाई की वजह से है और जिस

Page No.84

(श्री मुरलीधर व्यास)

महत्वपूर्ण पद पर वे बैठे हुए हैं उस पद के महत्व को देखते हुए वे इस पद को संभालने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं और ऐसी स्थिति में अगर कोई मांग करे कि माननीय गृह मंत्री को अपना त्यागपत्र इस पद से दे देना चाहिये तो मैं कहूँगा कि जनता के हित के लिये उन्हें अपने इस पद से त्यागपत्र दे देना चाहिये। यह जनता के हित में होगा। मुझे अच्छी तरह मालूम है और मैंने जितने मामले रखे सब मामले सारे प्रमाण के साथ रखे लेकिन उन पर कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक कि पारीक की मृत्यु का कारण भी यह था कि उसकी इतनी मारपीट की गई कि उसकी मृत्यु हो गई और फिर उसको लेजाकर तालाब पर डाल दिया

श्री उपाध्यक्ष : Let us be relevant now, I will request the Hon'ble member to be relevant.

श्री मुरलीधर व्यास : उसकी मृत्यु पुलिस की पिटाई के कारण ही हुई। लेकिन आपने पुलिस के किसी भी अधिकारी को मोअत्तिल नहीं किया या किसी को किसी भी प्रकार की सजा तक नहीं दी। मैं यह निवेदन करूंगा कि जितने भी पुलिस के मामले सदन में रखे जावें तो माननीय गृह मंत्री का यह फर्ज होता है कि उन पर जांच करें और उचित कार्यवाही करें क्योंकि एम० एल० ए० भी जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मगर किसी पर ध्यान नहीं दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस के मामले दिनों दिन बढ़ते गये और आज इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है कि माननीय गृह मन्त्री यदि इसी पद पर बने रहेंगे तो जनता की किसी प्रकार से भलाई नहीं हो सकेगी और उनका इस पद पर रहना जनता के हित के लिये अच्छा नहीं है। इसलिये जनता के हित के लिये माननीय गृह मंत्रीजी को इस पद को छोड़ देना चाहिये। मैं मानता हूं कि वे बड़े हैं लेकिन समाज के दृष्टिकोण से कोई बड़ा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि जिन्होंने इनसे त्याग-पत्र देने की मांग की है वह वाजिब है और माननीय गृह मन्त्रीजी को अपना त्यागपत्र दे देना चाहिये जिससे देश और जनता का भला हो।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामचन्द्रजी को तो कई बार बोलने का अवसर दिया जाता है, मगर मुझे नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : कई बार दिया जाता है, इस प्रश्न पर तो आप आपत्ति नहीं करें।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : The Hon'ble Member from Nokha constituency has tried to catch your eye, Sir. I think being a new member he should be allowed the chance.

श्री उपाध्यक्ष : I will see to it just after this. I never knew that the Hon'ble Member newly elected has come in.

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि राजस्थान में इन्हीं दिनों अनाज का तस्कर व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया है और इस विषय पर माननीय सदस्य इस प्रकार की बातें सदन के सामने लाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसका इन्तजाम करने के लिये राजस्थान सरकार ने विशेष कदम उठाने के लिये प्रोग्राम तैयार किया है और इसको अमल में लाने के लिये ३ लाख ३६ हजार रुपयों की मांग की है। यह सब जानते हैं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात के लिये तत्पर हैं कि अनाज का तस्कर व्यापार बन्द होना चाहिये। लेकिन इतनी आवश्यक बात होते हुए भी मैं देखता हूं कि प्राय: सभी माननीय महानुभावों ने, चाहे वे इस तरफ के बैठने वाले हों या उस तरफ के हों इसका विरोध किया है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): आप पक्ष में बोलने की और एप्रिसियेशन लेने की बात करना चाहते हैं....

श्री रामचन्द्र : आप धीरज रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपने धीरज छोड़ दिया है।

श्री रामचन्द्र : इतना घोर विरोध किया है, इससे यह मालूम होता है कि माननीय सदस्यों ने ही नहीं बल्कि उनको जिन जिन लोगों ने वोट देकर यहां भेजा है वे सभी लोग समस्त राजस्थान की पुलिस में अपना विश्वास खो बैठे हैं।

(विराम)

उनके पुलिस में विश्वास खो बैठने की वजह से ही आज प्रतिदिन आवश्यक मांग होते हुए भी उसका घोर विरोध किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसी मांग के बारे में आप कह रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : ३ लाख १६ हजार की मांग के बारे में।

एक माननीय सदस्य : जो मांग चल रही है उसके बारे में।

श्री रामचन्द्र : अनाज के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये चौकियें आदि के लिये जो मांग की गई है उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। इस प्रकार की मांग कोई नई मांग नहीं रखी है। इस प्रकार की मांग गृह मंत्री कई बार ला चुके हैं और इस प्रकार की हमने कई बार मंजूरी दी है। लेकिन हर बार जनता की भलाई के लिये हमने पैसा मंजूर किया, मगर उसका नतीजा उल्टा ही नजर आया; हमेशा नतीजा उल्टा ही निकला।

एक समय वह था जिस समय डाकुओं का आतंक फैल रहा था उस वक्त भी गृह मंत्रीजी ने लॉ एन्ड ऑर्डर के प्रबन्ध करने के लिये मांग रखी और ऐसी मांग एक बार नहीं कई बार रखी जा चुकी है और सदन ने उसे मन्जूर की है और नतीजा यह निकला कि आज राजस्थान में उन डाकुओं का बहुत हद तक दमन हो चुका है। लेकिन कई मामले ऐसे आये कि जैसा आज अनाज के तस्कर व्यापारी का है, अफीम का भी तस्कर व्यापार होता है, उसको भी रोकने के लिये, विशेष प्रबन्ध के लिये राजस्थान पुलिस को विशेष अभियान करना पड़ता है। लेकिन मैं अपने

Page No.86

(श्री रामचन्द्र)

अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि राजस्थान में फैली हुई बुराई को दूर करना चाहिये। वह किस हद तक दूर होती है इसको देखना है। मैं यह कहूंगा कि पुलिस ने इसकी आड में कितना नाजायज फायदा उठाया है इस बात को कोई नहीं देखता है। इसीलिये आज माननीय सदस्यगण इसके लिये शंका करते हैं कि मुमकिन है यह ३ लाख ३६ हजार की मांग को मन्जूर करने पर जो नतीजा निकले वह जिस प्रकार अफीम के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये किये गये अभियान में निकला उस तरह से न होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं अभी कुछ दिन पहले जोधपुर-पाकिस्तान के बोर्डर पर सोने का तस्कर व्यापार हुआ

(विराम)

और राजस्थान सरकार ने उसको रोकने केलिये कोशिश की और काफी खर्चा किया लेकिन उसका परिणाम यह निकला कि तस्कर व्यापार किसने रोका और किसको लाभ मिला और इसके अन्दर जिन पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों ने काम किया उन्होंने इससे कितना नाजायज फायदा उठाया।

तो उपाध्यक्ष महोदयजी, यह बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार की बुराइयों को राजस्थान में मिटाना चाहिये और इन बुराइयों को मिटाने के लिए जितनी अधिक से अधिक धनराशि खर्च हो वह खर्च करनी चाहिये। लेकिन उसकी आड़ में पुलिस एक नाजायज फायदा उठाती है। उसको रोकने के लिए माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे सचेत रहें कि आइन्दा ऐसा न हो। उपाध्यक्ष महोदयजी, तस्कर व्यापार के केसेज़ मेरे जिले में प्राय: आते रहते हैं और उनको किस प्रकार से पुलिस हैन्डल करती है और किस प्रकार से लोगों को तंग करके अपनी इच्छा की पूर्ति करती है, वह मैं ही जानता हूं। झालावाड़ का जिला तीन ओर मध्य भारत से घिरा हुआ है। राजस्थान की तहसील पिडावा के बीच में कुछ हिस्सा ऐसा आ गया है जो मध्य भारत का है। पिड़ावा से कोटा जाते समय सोयत होकर आना जाना पड़ता है। यह मध्य प्रदेश का भाग सात-आठ मील का टुकड़ा है। जब राजस्थान से पिडावा का व्यापारी सोयत के रास्ते होकर कोटा माल ट्रक में ले जाता है तो बीच में पुलिस द्वारा यह कहा जाता है कि मध्य भारत की टेरीट्री से यह अनाज आया, होगा यह राजस्थान का अनाज नहीं होगा। इस प्रकार का उन व्यापारियों पर लांछन लगा कर ट्रक को पकड़ लेते हैं। उन लोगों को पुलिस परेशान करती है, उनका चालान करती है। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि जो मामला चालान लायक हो उसका चालान न करें लेकिन उनको बेजा तरीके से परेशान न किया जाय। जब ट्रक को गिरफ्तार किया तो ट्रक के अनाज और ट्रक की वेल्यू की जमानत ले ली जाय और आदमी जिसने ऑफेन्स किया है उसकी भी जमानत ले ली जाय। लेकिन महीनों तक उनको रोक रख कर तंग करना उचित नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गृह मन्त्रीजी ने जो मांग रखी है वह वास्तव में बहुत उचित है और उसको एक बुराई को दूर करने के लिए स्वीकार करना चाहिये।

(श्री रामचन्द्र)

साथ ही साथ गृह मन्त्रीजी को भी यह देखना चाहिये कि बुराई को दूर करना है, कहीं बुराई और न बढ़ जाय, इसके लिए भी उनको सचेत रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Rawat Mal Pareek, the Hon'ble member from Nokha-newly elected.

श्री रावतमल पारीक (नोखा) : आज की हमारी बहस खाद्यान्नों के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए कुछ रकम गृह मन्त्रीजी द्वारा मांगने पर हो रही है। इस विषय में मेरी जो तुच्छ राय है यह है वह कि यह केवल कुछ खाद्यान्नों के तस्कर व्यापार को रोकने मात्र के लिए न रहें। मैं हिन्दुस्तान के ऐसे इलाके में निवास करता हूं जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है और वहां पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की दोनों सीमाओं के दोनों तरफ काफी चीजों का तस्कर व्यापार होता है लेकिन उस तरफ कोई इन्तजाम करने की जरूरत क्यों नहीं समझी गई, यह बात आश्चर्य में डालनेवाली है। आप देखेंगे कि थोड़े दिनों पहले सोने का काफी तस्कर व्यापार जोधपुर और पाकिस्तान बोर्डर इलाके पर हुआ है। केसर पाकिस्तान से आती है, कपड़ा, काली मिर्च बीड़ी, कत्था, और इलायची आदि हिन्दुस्तान से तस्कर व्यापार के जरिये से पाकिस्तान को मुहैया होती हैं। जहां यह कहा गया कि पाकिस्तान में श्री अय्यूब का शासन होने के बाद से तस्कर व्यापार में कमी आयी है लेकिन मेरी मान्यता उसके विपरीत है। अय्यूब के शासन द्वारा तस्कर व्यापार में कमी हुई है, ऐसा मैं नहीं मानता। सोने के भावों में पीछे तेजी कर दी गई। फलत: यहां पर पड़ता न होने से सोना और चांदी यहां पर नहीं आता है। यदि भावों में पड़त रहे तो मैं आपको दिखाऊं कि कल ही वहां तस्कर व्यापार उसका शुरू हो जाय। केवल खाद्यान्नों के तस्कर व्यापार को रोकने का महत्व नहीं है जो हिन्दुस्तान से हिन्दुस्तान में आता जाता है। उसको रोका जाय यह दुरुस्त है लेकिन एक देश से दूसरे देश में जो तस्कर व्यापार होता है उसको सख्ती से न रोका जाय, खुला छोड़ दिया जाय, यह चीज़ अखरनेवाली है। इसलिए मैं इस मांग के अन्दर ही यह मांग करूंगा सदन मे उपाध्यक्ष महोदय की मार्फत कि जहां तक तस्कर व्यापार को रोकने का प्रश्न है वह खाद्यान्नों तक ही सीमित न रहे किन्तु दूसरी चीजों का जो तस्कर व्यापार हमारे देश से दूसरे देश के बीच में होता है उसको भी सख्ती से रोका जाय।

एक बात मुझे नहीं कहनी चाहिये थी लेकिन एक माननीय सदस्य द्वारा सदन में वह रखी गई है। उन्होंने बताया कि मुझे पीटा गया, केस खींचे गये, पकड़ा गया हालांकि पकड़े जाने के लिए तैयार था। उनके इस कथन से सदन में एक भ्रम फैला है, उसको दूर करने के लिए मैं एक-दो तथ्य सदन के सामने रखूंगा। माननीय सदस्य गिरफ्तारी से बचना चाहते थे। मकान के अन्दर कूंडा ठोक कर बैठ गये। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार करना चाहते हैं। वे तैयार नहीं थे। जबरदस्ती लात मार कर फाटक को तोड़ कर पुलिस मकान में दाखिल हुई और पकड़ने का विरोध करने पर उनको जबरदस्ती पकड़ा गया। इसमें कोई अनियमितता हो गई हो तो उसके लिए

Page No.88

(श्री रावतमल पारीक)

पुलिस जिम्मेदार कैसे हो सकती है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): माननीय सदस्य यह कहते हैं कि फाटक तोड़ कर अन्दर गई, पकड़वाना नहीं चाहते थे तो आप क्या उस समय हाजिर थे ! आपने यह किस हैसियत से कहा !

श्री उपाध्यक्ष : Order Please !

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अहमियत इतनी सी है कहने की कि चुनावों में उन्होंने आपका विरोध किया था ।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! Will continue.

श्री रावतमल पारीक : कहें तो हरकत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समझ गये हैं ।

श्री रावतमल पारीक : इस तरह से यह बताना साबित करता है कि बात कितनी बढ़ाचढ़ा कर कही गई है ।

श्री चन्दनमल बैद (सरदार शहर) : Hear ! Hear !! Hear !!!

श्री रावतमल पारीक : मैं मौजूद होऊं अथवा न होऊं । फोटो की [illegible] यहां प्रतिलिपि पेश नहीं की गई है । मैं उस शहर का रहनेवाला हूं । उसकी जानकारी रखना मेरे लिए असाध्य नहीं है । मेरी जानकारी के अनुसार जो मैं मालूम कर सका हूँ यह वाका है, जो सदन के सामने तथ्य रूप में मैंने प्रकट किया है । उपाध्यक्ष महोदय की मार्फत मैं निवेदन करूंगा कि जो भी बातें रखी जायं वे भ्रामक नहीं होनी चाहिये और स्पष्ट चीजों को ही सामने लाया जाय ताकि सदन में सही परम्परा बने ।

(करतल–ध्वनि)

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल मुझसे सम्बन्धित था, अतः मुझे कहने का मौका दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई क्लेरिफिकेशन नहीं होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अगवाल : Personal Point ofE xplanation के तौर पर माननीय सदस्य कह सकते हैं । स्वयं के साथ यह बात बीती हुई थी और उसके आधार पर माननीय सदस्य ने वह रखी थी और अन्य माननीय सदस्य की सुनी सुनाई बात पर उनको सदन में कहने का पूरा अधिकार है ।

श्री पी० के० चौधरी : On a Point of Information, Sir, now there are two statements from two Hon'ble Members and both are contrary to each other. I think Fa act Finding committee of this House may be appointed to find out the truth.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes, yes.

श्री उपाध्यक्ष : This is a question which may be taken into considera-

(श्री उपाध्यक्ष)

tion after Hon'ble Minister has replied.

श्री मोहरसिंह (चुरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की डिमान्ड के सम्बन्ध में साथी माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसके समर्थन में दो शब्द कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में पुलिस का महकमा राजस्थान की पौने दो करोड़ जनता की रक्षा का महकमा है। यह विभाग जिस जिम्मेदारी-युक्त होना चाहिये उसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। अभी तक, उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने भाव व्यक्त किये उनके अन्दर करीबन सभी माननीय सदस्यों ने वर्तमान पुलिस का जो ढांचा है वह करप्टेड ढांचा और भ्रष्टाचार युक्त ढांचा है, इस विषय में अपने अपने विचार प्रगट किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में और सही ढंग से विचार करके हम देखे तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि जिस पुलिस पर राजस्थान की पौने दो करोड़ जनता की सुरक्षा का भार है वह उससे अलहदा जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में आज की पुलिस जिन नक्शे कदम पर चल रही है वह एकतंत्री हुकूमत में हुआ करता। थाउपाध्यक्ष महोदय, उस समय की पुलिस दमन और भ्रष्टाचार की प्रतीक हो सकती थी, बेईमान और दमन प्रिय प्रतीक हो सकती थी, लेकिन आज जब आजाद हुए हमें १४ वर्ष हो गये तो पुलिस से हम यह आशा कदापि नहीं कर सकते कि पुलिस अभी तक उन्हीं कदमों पर चलेगी जिस प्रकार ब्रिटिश शासन–काल में चलती थी। पुलिस के ऊपर इस समय दो प्रकार के इल्जाम लगाये गये हैं। वास्तव में वे सही हैं। यह भी बताया गया कि पुलिस आज किस प्रकार से जनता पर अत्याचार कर रही है और दूसरा यह कि उसका दमन–चक्र किस तरह से लोगों पर चलता है; इस बारे में एक नजीर भी माननीय सदस्य ने बतलाई उसका विपक्षी साथी ने यानि सरकारी पक्ष के एक साथी ने कॉन्ट्राडिक्शन भी कर दिया। इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है कि आखिर सचाई कहां है। इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि सदन के चार, पांच सदस्यों की एक कमेटी बैठा दी जाय जो इस बात की इन्क्वायरी करे। उसके बाद में ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। मैं तो इस बात पर ज्यादा वजन देता हूं कि हमारे यहां के एक सदस्य श्री रामकिशन के साथ में पुलिस ने किस प्रकार का व्यवहार किया। जिस समय जमीन नीलामी की बोली चल रही थी उस समय तो उनको गिरफ्तार किया गया। वहां के एक थानेदार, महावीर जिसका नाम है, वह गिरफ्तार करके श्री रामकिशन को भरे मजमे के अन्दर गन्दे–गन्दे अल्फाज से सम्बोधित करता है और उसके सामने टट्टी का टोकरा तक रख दिया गया। गन्दे अल्फाजों से उनको सम्बोधित किया गया; जो बयान उन्होंने दिये उसी के ऊपर मैं कह रहा हूं। एक हमारे साथी के साथ जो हुआ वास्तव में वह सही है तो वैसी हालत में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसमें भी सन्देह करने की गुंजाइश नहीं है। वास्तव में आज राजस्थान पुलिस का बर्ताव इसी प्रकार का हो रहा है। मैं समझता हूं होम मिनिस्टर साहब खुद भी इस बात को महसूस करते हैं, वे इन्कार

(श्री मोहरसिंह)

नहीं कर सकते कि आज की पुलिस भय, दमन, और भ्रष्टाचार की प्रतीक होती जा रही है; इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता ।

यह मांग तस्कर व्यापार को रोकने के सम्बन्ध में चाही गई है। मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस सर्वथा तस्कर व्यापार रोकने में असमर्थ है। आज किस प्रकार का व्यापार राजस्थान में नहीं हो रहा है ? आपने कभी बोर्डर के इलाके को जाकर देखा है ? मेरा होम मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि वे बोर्डर के इलाके में जाकर देखें। उनको पता चल सकता है कि किस किस प्रकार का व्यापार हो रहा है। जिन राजा-महाराजाओं के जमाने में, जिसे आज हम एक तन्त्री हुकूमत कहा करते हैं वे राजा–महाराजा भी कभी कभी खुफिया वेष धारण करके जनता में बोर्डर के इलाकों में जाया करते थे और वहां की हालात को देखा करते थे। यह तो हमने भी उनके राज्य-काल में अनुभव किया था कि वे भी खुफिया वेष में जनता की तकलीफों को, हालातों को देखा करते थे–किसी प्रकार का उनको दुख तो नहीं है। लेकिन आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के १४ वर्ष के बाद भी आज हम तस्कर व्यापार की, लड़कियों की अपहरण की बातें हैं सुनते तो यह हमारे लिये बड़ी शर्म की बात है। आज पुलिस किस प्रकार से जनता का दमन कर रही है, पुलिस से मिल–जुल कर किस प्रकार से लोग तस्कर व्यापार करते हैं ? यहां खाद्यान्न का ही तस्कर व्यापार नहीं, लड़कियों का व्यापार भी होता है और अब भी हो रहा है और वह भी इन्हीं की मिली-भगत से होता है। आज बोर्डर के इलाके में जाकर देखिये खाद्यान्न का तस्कर व्यापार, लड़कियों का व्यापार, सोने की सिल्लियों का व्यापार बराबर चल रहा है । गत सेशन में भी हमारे साथी श्री तनसिंहजी ने इस बारे में काफी सुबूत के साथ तस्कर व्यापार के बारे में बताया था।

कुम्भेर बीकानेर डिवीजन में वहां के एस० पी. बड़े ईमानदार थे लेकिन वहां के जो थानेदार थे वे व्यापारियों से मिले हुए थे; इसलिये वहां पर एस. पी. साहब की कुछ नहीं चलती थी। इन सब के होते हुए भी आखिरकार इस सब की जिम्मेदारी हमारे होम मिनिस्टर साहब पर आ जाती है । वे इस विभाग के मालिक हैं। आखिर इस विभाग में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता या भ्रष्टाचार होता है तो उसकी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर साहब पर आती है। यदि आप इस विभाग को मजबूत हाथों से संभालते तो किसी प्रकार की गड़बड़ी आ नहीं सकती ! अगर मिनिस्टर महोदय केबिनेट लेवल पर यह विचार कर लें कि राजस्थान से तस्कर व्यापार को बिल्कुल हटा देना है और उसके लिये सख्त से सख्त कदम उठाने के लिये तैयार हो जायं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तस्कर व्यापार नाम की चीज़ ही नहीं रहे और इसके साथ साथ जो चन्द पुलिस के अफसर इन व्यापारों में फंसे हुए हैं उनके साथ सख्ती से व्यवहार किया जाय तो इनका आचरण भी सुधर सकता है। आज जो गन्दे कारनामों में मशगूल हैं, जो आज लड़कियों के व्यापार में अपना हाथ रखते हैं, तस्कर व्यापार में जो पुलिसवाले मिले हुए रहते हैं उनसे हम किसी भी प्रकार से आशा नहीं कर

Page No.91

(श्री मोहरसिंह)

सकते कि तस्कर व्यापार रोकने में हम सफल हो जायेंगे। आखिर इन सब की जिम्मेदारी होम मिनिस्टर पर आकर पड़ती है क्योंकि वे ही अपने विभाग के सबसे बड़े हाकिम हैं, जिम्मेदार हैं। इसलिये उन्हीं पर यह जिम्मेदारी आयत होती है। तस्कर व्यापार का जहां तक ताल्लुक है आपको सीमा के ऊपर जाकर देखने से मालूम हो सकता है। रोजाना ट्रक्स बाहर से अनाज-चांवल आदि भर कर लाते हैं। आज यह व्यापार बदस्तूर चालू है। इसको रोकने में पुलिस सर्वथा असमर्थ रही है और जहां तक मैं कह सकता हूं कि पुलिस के सहयोग से यह व्यापार बड़े जोरों से चल रहा है।

आज पुलिस द्वारा पब्लिक का दमन डेमोक्रेसी के होते हुए भी चल रहा है। आज भी पुलिस का भय उसी तरह से लोगों के मन में व्याप्त है। आज पुलिस के आचरण को हम यहीं से पता लगा सकते हैं। आप आज भी देखिये पुलिसवाले किसी भी बस में आपको आगे की सीट पर बैठे हुए मिलेंगे। टिकट लेना तो वे समझते ही नहीं और जो आगे की सीट के लिये टिकट लेता है उसको भी वंचित रह जाना पड़ता है। आज भी पुलिस का आचरण इसी प्रकार का बना हुआ है। इन सब बातों की जिम्मेदारी जो इस विभाग के आला हाकिम हैं होममिनिस्टर साहब-उन पर आयत होती है। आज इसीलिये उनकी आलोचना होती है। [illegible] का व्यापार बदस्तूर चालू है इसमें पुलिस का बराबर सहयोग रहता है। [illegible] ये सब बातें जो कही जाती हैं उनमें [illegible] है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। आप यदि इस चीज को रोक नहीं सकते तो खड़े होकर सही तौर से कह दीजिये कि यह मेरे वश की बात नहीं है। आपको इस प्रकार सेतस्लीम करना चाहिये और सदन के सदस्यों से जिनकी संख्या १७६ है उनसे निवेदन करना चाहिये कि आप सब मिलकर इस बारे में सुझाव दें। हम सब इसके लिये पार्टिसिपेट करने के लिये सहर्ष तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पुलिस की शह पाकर ही इस प्रकार के व्यापार हो सकते हैं। पुलिस की मदद के बिना तस्कर व्यापार, जो इतना बड़ा हुआ दिखाई देता है, हो नहीं सकता। इसलिये जो मेरे साथी श्री भैरोंसिंहजी ने कट मोशन रखा है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करता हूं कि आप इस विभाग को संभालिये और जो डेमोक्रेसी में सही रास्ता है उसके अनुसार इस विभाग को चलाइये। आज हम देख रहे हैं कि जहां हम स्वतन्त्र हुए वहां हम अखलाखी तौर पर वापिस पीछे जा रहे हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मन्त्री महोदय ने ३,३६,००० की जो यह मांग रखी है वह तो हमें मंजूर करनी ही है, पर इसके साथ साथ अभी कई माननीय सदस्यों ने माननीय गृह मन्त्री महोदय को बहुत बहुत दोषी ठहराया और वह इसलिये ठहराया कि माननीय गृहमन्त्री महोदय पर सारे प्रदेश की जिम्मेदारी है। इसलिये सारा दोष उनके मत्थे मढ़ा जाता है, नहीं तो वे कोई तस्कर व्यापार करने थोड़े जाते हैं। समुद्र की एक मछली जो

(श्री भैरालाल 'कालाबादल')

गन्दी है वह सारे पानी को गन्दा कर देती है। यह सही है कि वे बुजुर्ग हैं, लायक हैं, बैठे बैठे सुन लेते हैं और पुलिस में कहीं भी भ्रष्टाचार होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी वे अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस जिस प्रकार की आदर्श पुलिस होनी चाहिये वैसी राजस्थान में अगर पुलिस बन जावे तो मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा मांग पर वे माननीय सदस्य भी कोई आपत्ति नहीं करेंगे बल्कि सहर्ष स्वीकार करेंगे। मगर राजस्थान की पुलिस ऐसी वास्तव में है नहीं।

कुछ दिन पहले जब महात्मा गांधी थे, उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान की पुलिस जिस समय इस प्रकार का सुन्दर व्यवहार करने लग जावेगी उस समय हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा उसे प्यार करने लग जावेगा। और उस समय देश सही माने में स्वतन्त्र हो जावेगा। इस समय बच्चा तो क्या उसे प्यार करे, दूर से देख कर ही डर जाता है; वही क्या डर जाते हैं बड़े बड़े उसे दूर से ही आते देख कर डर जाते हैं। हमारे गृह मन्त्री प्रयत्न कर रहे हैं कि गांधीजी का वह सपना पूरा हो।

अभी थोड़े दिन पहले तस्कर व्यापार को रोकने के लिये, यहां तस्कर व्यापार का मतलब मैं यह समझ लेता हूं कि किसी की चीज़ पर अनधिकार कब्जा करने की चेष्टा करना; यह भी एक प्रकार का तस्कर व्यापार है।

(विराम)

तो इस तरह किसी की चीज पर अनधिकृत कब्जा करनेवाले चोरों और डकैतों को रोकने के लिये पुलिस का एक अभियान दल चला। यह खबर सुन कर मुझे भी प्रसन्नता हुई। जब मैंने अखबार देखा कि ७०० पुलिस के आदमियों ने इसमें भाग लिया है और जिसमें ६ एस. पी., ६ डी. एस. पी. और २० थानेदार और डी. आई. जी. भी उसमें थे। पर जब अभियान शुरू हुआ और उसका हाल जाना तो ताज्जुब हुआ। छोटे से छोटे पुलिस कर्मचारी ने गांव गांव की अबलाओं पर घोर अत्याचार किया। अगर बड़ों की शह न हो तो छोटे कर्मचारी की हिम्मत नहीं हो सकती थी इस प्रकार के अत्याचार करने की। पर मैं तो समझता हूं कि बड़े बड़े अफसर मौका पड़ने पर खुद तो बच निकलते हैं, साफ बरी हो जाते हैं और सारा दोष इन छोटों पर डाल देते हैं। दोष मढ़ा जावे तो छोटों पर जो जो जान से अपने देश की रक्षा के लिये बाजी लगाते हैं और अत्याचार भ्रष्टाचार और व्यभिचार करते हैं ये बड़े बड़े पुलिस अधिकारी।

तो, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं गृह मन्त्रीजी से नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि मैं इसका विरोध नहीं करता, पर आज जहां कहीं भी ऐसे अत्याचार और भ्रष्टाचार का काण्ड होता है सही तरह से आपको उसकी इनक्वायरी करानी चाहिये और खुद को सन्तोष करा लेना चाहिए। पर वह भी ऐसी बातों का बड़ी शान्ति से इस प्रकार जबाव देते हैं जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं उनको यह बताऊंगा कि इन अधिकारियों ने इस अभियान में अजीतगढ़ के गढ़ में ८ अबलाओं के साथ बलात्कार किया और

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

उनको नंगी करके उनके स्तनों पर बिजली का करेन्ट लगाया। यह सही घटना है। मैंने हाउस के सामने पहले भी इसे रखा था, पर कोई सही उत्तर नहीं दिया गया। बताया गया कि इस अभियान में १॥ लाख की चोरी बरामद हुई। १६ गांवों की डेढ़ लाख की चोरी बरामद हुई तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस डेढ़ लाख की चोरी का माल किस अदालत में जमा हुआ। है इसका मतलब यह है कि पुलिसवाले ही इस चोरी के माल को खा गये और आपने कुछ नहीं किया और चोरों को बरी कर दिया। अब अखबारवालों ने गलत छाप दिया तो उन पर केस चलाना चाहिये कि गलत कैसे छाप दिया ?

तो यह जो व्यभिचार और अत्याचार का काण्ड हुआ है अजीतगढ़ के गढ़ में, मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से कहूंगा कि वे इसकी जांच करें। इसकी इन्क्वायरी करनी चाहिये।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

मैं नहीं चाहूंगा कि वे पद छोड़ दें। उस पद पर बैठाये रखते हुए भी जो इस तरह के आरोप लगाते हैं उनको वे कुछ ही दिनों में यह साबित करके दिखा दें कि वे ये आरोप नहीं लगने देंगे। यह मैं आशा करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के सम्बन्ध में श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस सदन में अनेकों माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये और जहां तक पुलिस की हरकतों का सवाल है, मैं समझता हूँ सिवाय दो सदस्यों के, लगभग सभी सदस्यों ने एक स्वर से और सम्भवत: उनके हृदय की अंतरंग जो भावना है उसको प्रकट करते हुए पुलिस के प्रति अपना रोष प्रकट किया है। इस रोष का कितना प्रभाव गृह मन्त्रीजी पर पड़ा है, यह तो मैं नहीं कह सकता यद्यपि वे बड़ी गम्भीरता मुद्रा में सारे वाद-विवाद को सुन रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि वे गम्भीर से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सदन में जो कुछ कहा जा रहा है वह बड़ा गम्भीर है; हांला कि उनके दिमाग में एक-दो बातें वे हों जो दो सदस्यों ने कहीं, जो उनके पक्ष में समर्थन में कही जा सकती हैं, यह अलग बात है। नोखा से आनेवाले माननीय सदस्य के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उनकी यह पहली स्पीच है और किसी प्रथम भाषण के सम्बन्ध में कुछ कहना उनके उत्साह को भंग करना होगा। इसलिये उनके बारे में कुछ नहीं कहते हुए एक बात जो मावली से आनेवाले माननीय सदस्य से सुनी उससे उन्होंने जो यह कोशिश की पुलिस की प्रशंसा करने की उसके लिये मैं समझता हूँ कि सम्भवत: पुलिस का कटु अनुभव उनको शायद नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो वे इस तरह से प्रशंसा नहीं करते। अगर उनके साथ कुछ घटनाएं घटतीं, अगर वे पुलिस की ज्यादतियों के शिकार हुए होते, ज्यादा बर्बर, नृशंस और जघन्य व्यवहार के वे शिकार हुए होते तो सदन में कभी भी इस तरह से नहीं कह सकते थे। मैंने अभी थोड़े दिनों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हहले ही अखबार में पढ़ा कि मावली के जंकशन पर एक हरिजन लड़के के साथ पुलिस के एक हैड कॉन्स्टेबल ने अप्राकृतिक व्यभिचार करने का आफेन्स किया। मैं समझता हूँ, जिसके साथ यह अत्याचार किया गया क्या वह पुलिस की तारीफ कर सकता है ? क्या पुलिस की इस बर्बरता का इस नृशंस बर्ताव का समर्थन करेगा कोई ? आप कर सकते हैं। आपको इन बातों की जानकारी नहीं, आपको इन घटनाओं से कोई लेन-देन नहीं, क्योंकि उस व्यभिचार का शिकार आपको नहीं होना पड़ा। आपके साथ कुछ होता तो आप कुछ कहते, आपके साथ नहीं हुआ तो आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। बलात्कार की घटनाएं; व्यभिचार, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की कई सारी बातें सदन में प्रस्तुत की गईं। उस पुलिस के लिये आज ३,३६,००० रुपये देने की बात कही जाती है। जब इस सदन में अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था तब धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक तथ्य प्रकट किया था कि पुलिस इस मामले में भ्रष्टाचार करती है, उसके एक उच्चाधिकारी ने काफी पैसा इसमें खाया है और इ[illegible] तस्कर-व्यापार में खाया है और उन्ह[illegible] यह भी कहा कि वे इसे साबित कराने को तैयार [illegible] कि किस तरह से यह पुलिस और [illegible] उच्चाधिकारी तक स्मग्लिंग में सहयो[illegible] हैं और उससे अपनी जेब भर रहे हैं [illegible] वे माननीय सदस्य इस पक्ष के न[illegible], जनसंघी नहीं हैं, विरोधी दल में से [illegible] आपके ही पक्ष के एक माने हुए म[illegible] सदस्य हैं, माने हुए कांग्रेसी नेता हैं। उनकी बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पर उपाध्यक्ष महोदय, यह सब करने के बाद भी, सुबूत पेश करने के बाद भी होता क्या है ? होता यह है कि जैसे प्रतापगढ़ में हुआ। एन्टी-करप्शन विभाग ने घी के पीपे पकड़े और पकड़ कर मामला पुलिस के हवाले कर दिया। एन्टी स्मग्लिंग फोर्स ने बड़ी मेहनत की, जांचा, केस तैयार किया, पकड़ा और आगे कार्यवाही करने के लिये थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। अब आप आगे चलिये। पुलिस का अपना काम शुरू हुआ। इधर उधर सरगर्मी हुई, जेब में पैसा पहुंचा। मामला अब किस तरह से पल्टा गया, आप सुन कर ताज्जुब में होंगे, हैरत में पड़ जावेंगे कि जब मामला कोर्ट में चला तो घी के पीपे में गोबर निकला। अब या तो कहना चाहिये कि एन्टी स्मग्लिंग फोर्स खराब है जो गोबर के पीपे पकड़ कर ले आई या पुलिस खराब है जिसने अपनी जेब में पैसा पहुँचते ही सारा मामला उलट दिया; घी के सुबूत को नष्ट करने के कारण गोबर भर दिया। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कुछ दिन पहले सूचना दी गई कि कहीं अफीम पकड़ी गई। मुकदमा अदालत में चलने लगा। वक्त आया जुर्म को साबित करने का तो अफीम अफीम नहीं रही। गुड़ के डले हो गये, खल हो गई। एन्टी स्मग्लिंग फोर्स ने इसमें भी सफलता नहीं पाई। राजस्थान-उत्तर प्रदेश के तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में, बीकानेर-गंगानगर के तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में अनेकों माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। जहां तक तस्कर-व्यापार का सम्बन्ध है, धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य जो आज विरोधी दल के नहीं हैं, मेरे साथ साथ मेरे दल के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

साथ बैठनेवाले नहीं हैं, कांग्रेस के सदस्य है। विशिष्ट अधिकारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने पत्र लिख कर पुलिस के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया कि आज उत्तर प्रदेश और भरतपुर-धौलपुर के इलाके में तस्कर व्यापार होता है। पर पुलिस अधिकारियों ने उसे रोका नहीं, रोकने की उनको कोई चिन्ता भी नहीं; तस्कर व्यापार करनेवालों को पकड़ा नहीं और इसलिये मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता का आज पुलिस पर विश्वास नहीं, पुलिस के मन्त्री पर विश्वास नहीं। राजस्थान की जनता, जब कभी उनकी तारीफ करती रहती है ! पत्रों में मैंने समाचार पढ़ा। लिखा था चांवल का जो तस्कर व्यापार होता है उसके लिये उत्तर प्रदेश के श्रीत्रिपाठी जिम्मेदार नहीं, राजस्थान के गृह मंत्री श्रीरामकिशोर व्यास जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं, अगर वे इस तरफ जरा भी ध्यान देते तो यह परिस्थिति आज पैदा नहीं होती। आज पुलिस के अधिकारी तस्कर व्यापार को रोकने के लिये कहते हैं। कोई भी सदस्य इससे इन्कार नहीं करेगा कि तस्कर व्यापार रुकना चाहिये और मैं समझता हूँ कि तस्कर-व्यापार को रोकने की दृष्टि से कोई भी धन राशि देने की आवश्यकता हुई तो यह सदन सहर्ष स्वीकार करेगा; यह तीन, साढ़े तीन लाख ही नहीं, अगर दस लाख की भी आवश्यकता पड़ी तो देने में नहीं हिचकिचावेगा; पर आज जो परिस्थिति है, आज जो पुलिस का मोरेल है, जो आज उसका करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आज जो उसका कन्डक्ट है उसने इस सदन के सदस्यों को इस बात के लिये मजबूर किया है यह तथ्य सदन में प्रस्तुत करने के लिये और इस मांग का विरोध करने के लिये। हम तस्कर-व्यापार का विरोध करते हैं। पर यहां जो अपने विचार सदन में प्रस्तुत किये और इस मांग का जो विरोध किया यह इस कारण किया कि आज जो हालत है पुलिस की वह सबसे ज्यादा बदतर है, पुलिस का मोरेल आज सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। उसमें सबसे अधिक दुराचार, भ्रष्टाचार, करप्शन और बर्बरता है। हो सकता है, गृह मन्त्रीजी कई बार लाचारी महसूस करते होंगे कि आज पुलिस के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जिस प्रकार उनको हावी होना चाहिये था वे नहीं हो सके। जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की बात उनको करनी चाहिए थी वह नहीं कर सके।

पुलिस को सीधे रास्ते पर लाने की बात सदन में कई बार कही गई और इसके बारे में कई एश्योरेन्सेज़ दिए कि वह इन बातों की जांच करेंगे। मैं समझता हूं कि राजस्थान में आये दिन घटनायें होती हैं। आखिर लोगों का विश्वास क्यों उठता है ? अभी अभी एक माननीय सदस्य ने बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य के बारे में कहा कि पुलिस के अधिकारियों ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार वह कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बतायें कि कौन से कानून में लिखा है कि आप किसी आदमी के केशों को खींच सकते हैं और बुरी तरह से पीट सकते हैं ? इसके अलावा जोबनेर से आनेवाले माननीय सदस्य के बारे में यहां सदन में विचार प्रकट हुए थे। हो सकता है कि यह विरोधी दल के लोगों के साथ ही व्यवहार हो और जो माननीय सदस्य उधर बैठे हुए हैं और जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले भाषण दिया उनको

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कटु अनुभव न हुआ हो। अगर आज पुलिस वालों को लत पड़ गई और उनको आदत पड़ गई और उनके इस बर्बरता पूर्ण व्यवहार को रोका नहीं गया तो हो सकता है कि आज जो इधर के लोगों के साथ व्यवहार हुआ है कल वही उनके साथ हो सकता है। हम आज विरोधी दल में हैं और कल आप भी विरोधी दल में हो सकते हैं, या आज आप सत्ता के अनुकूल कार्य कर रहे हैं, कल को आपके विचार उनसे मेल नहीं खाते हों और अगर आप विरोध में नहीं तो बीच में रहें तो भी आपके साथ कल इस प्रकार का व्यवहार हो सकता है, कोई इस प्रकार की चीज़ हो सकती है जिस प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, आजकल जो यह फोर्स बैठी है, जो इस प्रकार का समर्थन करने की कोशिश करती है उसके ऊपर भी इस प्रकार के धक्के लग सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब तो इस बात का होता है कि आज पुलिस की जो हालत है उस कारण जब सदन के माननीय सदस्यों के साथ भी ऐसा व्यवहार होता है तो शायद साधारण जनता के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आज कितने ही दृष्टान्त हैं। कितना नृशंसता का व्यवहार होता है ! मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अनेक घटनायें और उदाहरण इस सदन के सामने आये हैं कि किस प्रकार आदमियों को मारा जाता है, पीटा जाता है और कभी कभी तो जान से मार कर राजस्थान में और राजस्थान में नहीं तो उसके आसपास बोर्डर पर फेंक दिया जाता है और कुओं में फेंक दिया जाता है और उसके अन्दर पुलिस के अधिकारियों का हाथ होता है। इसका उदाहरण हमारे सामने हटीला काण्ड है, निम्बाहेड़ा का है और सरदारशहर में हुई घटनायें हमारी आंखों के सामने घूमती हैं। इसलिए जो माननीय सदस्य जनता में घूमते हैं जन-जागरण का काम करते हैं वे सदन के माननीय सदस्य कभी भी इस प्रकार से केवल गृह मंत्रीजी की तारीफ करने के लिए कोई इस प्रकार के विचार सदन में प्रकट नहीं कर सकते और कम से कम माननीय गृह मंत्रीजी मुझे क्षमा करेंगे, मैं व्यक्तिगत उनके लिए इज्जत रखता हूं लेकिन चारणों और भाटों के किसी प्रकार के गुण मेरे पास नहीं हैं। मैं उनके बड़ाई के पुल नहीं बांध सकता। इसलिए मैं कटु अनुभवों के आधार पर कहने पर मजबूर हुआ हूं कि राजस्थान का पुलिस का विभाग है, मैं समझता हूं, वह सबसे ज्यादा वीक विभाग हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज जो पुलिस विभाग की मशीनरी है उसकी कोई तारीफ नहीं कर सकता और इसी कारण इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने इसके प्रति अपना अविश्वास प्रकट किया है। यद्यपि सदन के सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि तस्कर व्यापार बन्द हो; पर माननीय गृह मंत्रीजी मजबूती के साथ इस प्रकार का आश्वासन दें कि तस्कर व्यापार करने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, जो भी तस्कर व्यापार करता पकड़ा जायेगा उसको कड़े से कड़ा दण्ड दिया जायेगा। लेकिन विश्वास नहीं होता है कि गृह मन्त्रीजी के हाथ इतने मजबूत होंगे। ऐसा मालूम होता है उनके हाथ इतने मजबूत नहीं हैं। शारीरिक वह मजबूत हैं लेकिन दिल से वह मजबूत नहीं हैं। इसलिए वह मजबूती के साथ कदम उठाते नहीं हैं। उनके आदेश जारी नहीं होते हैं उनके खिलाफ कि जो उनसे परिचित

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं, जो लोग व्यापारी हैं और शायद कानून उन लोगों के खिलाफ जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में राजस्थान में छपने वाले समाचार हैं, वे समाचार इस बात की ओर संकेत करते हैं कि तस्कर व्यापार होता है और मंत्रीजी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते। मैं कहता हूँ कि वे तस्कर व्यापार करनेवाले चाहे बीकानेर के लोग हों, बीकानेर डिविज़न में रहनेवाले हों, जैसलमेर के हों, बाड़मेर के हों और चाहे धौलपुर के हों सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सारे तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में शायद उनके दल के लोग भी सम्मिलित होंगे, उनके साथी, बन्धु या रिश्तेदार तस्कर व्यापार में बंधे हो सकते हैं और इस प्रकार के समाचार आये दिन पढ़ने को मिलते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की परिस्थिति में उनके हाथ मजबूती के साथ उनके खिलाफ उठने चाहिए और उनको इस बात का विचार नहीं करना चाहिए कि यह व्यक्ति हमारे दल का है और इस आदमी के खिलाफ कदम उठाना कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल है। जिस प्रकार के समाचार हमारे सामने आते हैं कि कई बार हमारे मन्त्री महोदय को किसी के खिलाफ कदम उठाना मुश्किल हो जाता है। शायद गृह मंत्रीजी यह कह देंगे कि जो दोषी होता है उसके खिलाफ हम हमेशा कदम उठाते हैं, पर यह गलत है। शायद वह चेलेन्ज करेंगे। उनके चेलेन्जों का उत्तर देने का अवसर इस समय नहीं है। लेकिन मैं उनको उदाहरण दे सकता हूं, कुछ दृष्टान्त दे सकता हूं कि एक आदमी ने गलत बातें की, सरकारी धन का दुरुपयोग किया, एक आदमी ने तस्कर-व्यापार में भाग लिया उनके बारे में रिपोर्ट की गई—पुलिस को कम्पलेन्ट लॉज की गई—एफ० आई० आर० दायर की गई और पुलिस के गृह मंत्री का टेलीफोन पहुंच जाता है पुलिस के डी० आई० जी० और एस० पी० के पास कि तुम इस पर कार्यवाही मत करना क्योंकि यह कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट है। मैं समझता हूं कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। इसलिए कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, सरकारी धन का गबन करता है, धोखा देता है तो उसके खिलाफ ४२० का मुकदमा दायर कर सकते हैं। आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि कोई प्रेसीडेन्ट है तो उसके खिलाफ कदम कैसे उठायें। पर अक्सर देखा गया है कि उस समय कुछ पौलिटिकल कन्सीडरेशन्स आ जाते हैं, पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो जाता है। अतः यह मैं दावे से कहता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सके हैं और इसी कारण श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा और सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं और वह केवल इसी आधार पर किये हैं कि पुलिस जनता का विश्वास पैदा करने में सफल नहीं हुई है और मेजोरिटी ऑफ दी मेम्बर्स, चाहे वे इधर के हों या उधर के हों, जहां तक पुलिस के कारनामों का सवाल है उन्होंने उनको बताया है। आज पुलिस काफी बदनाम है। पुलिस का हम भी पक्ष लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आप आध्यात्मिक भूमिका बनाकर वास्तविक प्रश्न को मोड़ने का प्रयत्न करें।

Page No.98

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मुझे आशा है कि सदन की भावनाओं के अनुकूल माननीय गृहमंत्रीजी पुलिस विभाग को सुधारने की कोशिश करेंगे। जो कटौती का प्रस्ताव श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य की ओर से प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन में मैं अपने ये विचार रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Mr. Deputy Speaker, Sir, while I rise to oppose the Hon'ble Members who have criticised the Police wholesale, my intention is not to protect those offending officers in the Police Department who have brought this wholesale criticism on the Police Services. Just now the Hon'ble Member, who spoke before me, spoke in a manner as if he is the only exponent of truth. But there is other side of everything and the Hon'ble Member should appreciate that side also. The Rajasthan Police Force consists of about 32,000 persons, but the instances that are cited here hardly amount to 10, 30 or say, 100. On the basis of these 10, 30 or 100 instances, should we condemn all the Police Personnel? The criticism here meant that here in Rajasthan there is nothing but lawlessness and chaos. The way we criticised the Police force, the Hon'ble members will excuse me, was not very responsible. We will have to change our attitude and realise that the personnel of the police force are as much citizens of this country as we are or anybody else. And if their standard of morality or their values is less, then let me tell you, and let us admit frankly that they also reflect the prevalent standards of morality and values in the Society. If in our Society, our moral values are not high, we cannot expect better persons in the police also. Let us improve the society and only then we will have better persons in the police. If because of these ten instances cited in the House we sack all these 32,000 persons, then from where we will make the new recruitment ? They will be found again from the people and citizens of this State. And if they also become bad after recruitment, then what shall be the alternative ? The only alternative is nothing but anarchy. Though we have become independent, our views regarding the Government, our views regarding the administrative personnel and our views regarding the police have not changed. We still view them with suspicion, as if they are aliens. We view the police as something maintained by the Government to curb the liberties of the individuals and to harass them. But such should not be the case in an independent State. The police is there to safeguard the rights and liberties of the people and we should view them as such. This should be our approach.

Of course, I don't say that the police has changed completely. They have yet to change a great

Page No.99

(श्री श्रीमानसिंह)

deal. But the way the things are put in the House that everything is wrong in the police, is not correct. Everything may not be all right. but everything is not wrong at the same time. We have to change our approach and the police also has to change it's attitude. They have to respect the honour and liberties of the individuals and they have to safeguard the rights and liberties of the people. This consciousness should come in the police. On the other hand, the citizens and the Hon'ble members should also treat them as guardians of law and order, and they should not criticise them without appreciation. If they are criticised always without appreciation, they will lose their morale. The whole police force will lose their morale, which is not our object at all.

I don't want to take the House to those instances where they have safeguarded the lives and properties of the public; they have fought with the Dacoits at the risk of their own lives and have also lost their lives. Then if one Sub-Inspector at Nim; bahera becomes bad and commits rape, that is not the responsibility of the Home Minister. He cannot be held responsible for the behaviour of any of those 32,000 persons in the Police Department. Let any Hon'ble Member fromopposition come forward and guarantee the behaviour of 32,000 people. Some people will behave properly and some people will misbehave. Those who mis-behave will be punished. The Hon'ble Minister has given a guarantee that whenever these cases of misbehaviour were brought to his knowledge, he has instituted enquiries and, if they are found guilty, punishment is meted out to them. They have not been excepted. After all, to say that everybody is being mishandled and nothing is being done by the Government, is strange. It is said that one day Congress will sit in the opposition benches. Ofcourse, we will sit in the opposition benches, but we still expect that whatever party may sit in the opposition, the State has to rest on the police, and by wholesale criticism, there will be only anarchy and chaos and we will not develop economically. Therefore, we must give due regard to those police personnel who have given their lives for the safety and the life and liberty of the people of this State.

In conclusion, I will say only one thing. From all this criticism, one thing is established and it is that there is something wrong with the Police Department. Either there is laxity or want of Disciplinary Rules. Police people behave in a manner which cannot be conducive to good administration or inspiring confidence in the citizens. So this lacuna should be removed and certain strictness must come in the police. I also feel that the police must change their

Page No.100

(श्री श्रीम

attitude, because as yet the police have failed, even after 12 years of independence, to inspire that confidence in the people which they should have done. They should have been viewed as one of the people, but the people still fear the police. The fear complex is still there in the minds of the people. They still regard the police as something different, as not one of them who are going to safeguard their rights and liberties. Why this ? I cannot say what it is, but there is some reason somewhere that the police has not taken the public into so much confidence as they should have done. On this point the police has not succeeded.

But the attitude of the House was wholesale criticism. One Hon'ble Member criticised the Police because in Neem Ka Thana the police has only succeeded in arresting people who were wanted in notional thefts. When these peopleare arrested, then to say that the police are not behaving properly, as the Hon'ble Member from Jana Sangha pointed out, is not correct. The criticism then is not on firm ground.

Therefore, my request to the House is that our approach to the criticism of police should be that those of the personnel who are honest and are serving the people faithfully, we should appreciate their actions, and on the other hand those who are really bringing a bad name to the police, they should be singled out and the process of law should be allowed to give them proper punishment. So my request to the House is that these people who have committed crimes whether they are high officers or low they must suffer the consequences of their actions.

So, just because there has been a sentimental demand that the Home Minister should resign, a demand with high publicity, there will be captions that there was a demand of resignation of the Home Minister in the House, the Home Minister should not run away with this impression that every member of this House wants his resignation. I want him to stay, to remain there and to improve the police force. Whatever ideas he has in his mind, they should be made practicable in the police force of Rajasthan.

With these words, I take my seat.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ५ मिनट बोलना चाहूंगा ।

(४. म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास अब समय नहीं है ।

श्री चन्दनमल वैद : मैं ५–७ मिनट लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ७ मिनट नहीं होंगे, ५ होंगे, क्योंकि आधा घन्टे में गृहमन्त्री जवाब देंगे ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता था कि इस विषय पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जौहरी बाजार से आनेवाले माननीय सदस्य ने कुछ ऐसी बातें कहीं कि जिससे मजबूर होकर कुछ लोगों को बोलने के लिए खड़ा होना पड़ा । उन्होंने कुछ यह कह दिया कि चूंकि पुलिस विभाग के पक्ष में कोई बोला नहीं और क्योंकि सदन में उन्हीं की तरफ बैठनेवाले सदस्य बोले और जो पुलिस ने कार्यवाही की है इस वास्ते यह इनफरेन्स निकाल दिया कि सारा सदन पुलिस की कार्यवाही के विरुद्ध है और यहां तक कह डाला कि गृह मंत्री को रिज़ाइन कर देना चाहिए । बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने गिनती के ५, ७ किस्से कहे और बे समय समय पर कहते आये हैं, और गिनाते चले आ रहे हैं, एकाध कोई नया भी हुआ हो, होगा । वे ५, १० कहानियां दे सके हैं, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि १० पुलिस के सिपाही या सब-इन्सपेक्टर बुरे हो गये तो क्या उनकी वजह से ३०,००० पुलिस के सिपाही, सब-इन्सपेक्टर, एस. पी. आदि सारे के सारे, जिन्होंने डाकुओं से लड़ कर अपनी जानें दे दी हैं, वह कुल ३३,००० की फोर्स बुरी हो गई किन्हीं १० आदमियों के बलात्कार, चोरी आदि के करने से ? मैं कहता हूं कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए । जो १० आदमी खराब काम करते हैं उनकी वजह से उन आदमियों को जो डाकुओं से लड़े हैं जिन्होंने डाकुओं का पता लगाया है उनको भूल जायं तो हम बड़े नाशुक्रगुजार होंगे । मैं समझता हूं कि श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जबकि हम पहले पहले सन् ५२ में मीट कर रहे थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि राजस्थान में डाकू बहुत बढ़ गये हैं उनका दमन करना चाहिए । क्या वही स्थिति जो कि सन् ५२-५३ में थी; वही स्थिति आज है ? जो कम से कम ड्यू क्रेडिट है वह तो देना चाहिए । खराब है तो उसको खराब बताना चाहिए । उन बातों का मैं समर्थन नहीं करना चाहता हूं—पुलिस के जिन कर्मचारियों ने, जिन आदमियों ने ज्यादतियां की हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए । मैं समझता हूं कि मिली है बहुत सी जगह और जरूर मिलेगी, लेकिन हम यह सोचते हैं कि होलसेल पुलिस फोर्स को बदनाम करें कि सारी राजस्थान की जनता में निराशा फैली हुई है, जनता भयभीत है, इतनी भयभीत है कि सदन के बाहर जाते ही उनको पकड़ लिया जायगा, बलात्कार कर दिया जायगा; अगर यह बात होती तो श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य जो ७-८ साल से पुलिस का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वे शायद यहां नहीं होते, वे मार दिये गये होते, लेकिन ऐसी बात नहीं है ।

सरदारशहर के बारे में बार बार माननीय सदस्य कोशिश करते हैं । सरदारशहर के बारे में उनकी चिन्ता ज्यादा है और जो मैं सरदारशहर का सदस्य हूँ, जो वहां से चुनकर आया हूं उसको वैसी चिन्ता नहीं है । लेकिन मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि सरदारशहर के बारे में जो बातें बतलाई गई है वे एक तरफ की बातें बतलाई गई हैं । वे सारी बातें बतलाते नहीं हैं जिसमें रामजस और पोस्टल क्लार्क को पीटा गया है । उसके

(श्री चन्दनमल वैद)

सिर में चोट आई है और ७ टांके लगे हैं। पुलिस पर केस चलाने की बात कहते हैं लेकिन जनता पर केस चलाने की बात नहीं कही। उसको सजा मिली है, ऐसी मेरी इन्फॉर्मेशन है। उसको सस्पेन्ड कर दिया गया है। चोटें आई हैं जो बराबर दिखती हैं। रामजस को भी चोटें आई हैं। दोनों तरफ से न्याय की कार्यवाही होनी चाहिए। उसके चोटें आई हैं तो जिस आदमी ने चोट दी है उस पर भी केस चलना चाहिए। पोस्टल क्लार्क को चोटें आई हैं। पुलिस की तरफ से जो कुछ हुआ है उसको आप कन्डेम करते हैं लेकिन पुलिस के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको छिपाते हैं जिससे यह मालूम हो जाय कि पुलिस की तरफ से सारी की सारी खराबियां हैं। हो सकता है कि जयपुर में आपकी यह नीति हो कि गृह मंत्री से बार बार इस्तिफा मांगें तो जयपुर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े और आगे आनेवाले चुनावों में सफलता मिल जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह तो, इसी सदन में आपने मांग की थी।

श्री चन्दनमल वैद : यह पोलिटिकल स्टन्ट इस सदन में नहीं करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि ये बातें सदन में नहीं आनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : I think the Hon'ble Member has changed his attitude.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! गृह मंत्री।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : But you have not.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order !! I will not allow any interruptions please.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो मांग सदन के सामने रखी थी उसके ३ अंग है। ३,३६,०००) रु. चेक पोस्ट के लिए हैं, १,३०,०००) रु. वायरलेस सेट्स के लिए हैं और ३५,०००) रु. की राशि सामूहिक ट्रेनिंग के बारे में है। इसमें से ३,३६,०००) रु. की जो रकम चाहते हैं वह चेक पोस्ट कायम करने के बारे में है। उनके बारे में इस सदन में बहुत कुछ बहस मुबाहसा रहा। इसकी इब्तदा मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने कुछ जोन्स कायम किये थे। ५ जोन्स बनाये थे, जिसमें कि अनाज का मुवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने की बात थी। उसी सिलसिले में राजस्थान का भी एक जोन था और यहां का जो डिपार्टमेंट है वह इस बात को चाहता था कि इस तरह की चेक पोस्ट कायम की जायं उन जिलों में जो कि बोर्डर पर हैं ताकि इस प्रकार का काम करें उनको चेक किया जा सके, उनकी निगरानी की जा सके, देखभाल की जा सके। और गवर्नमेंट ने इस वजह से डिसीज़न लिया कि बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पर इस तरह के चेक पोस्ट्स कायम किये जायं। उनका नियन्त्रण वहां के लोकल कलेक्टर और एस. पी. की निगरानी में रखा ताकि कलेक्टर आसानी से इस बात को देख सकें कि काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनको चेकिंग का भी अधिकार रहा। मतलब मेरा कहने

(श्री रामकिशोर व्यास)

का यह है कि कलेक्टर और एस. पी. को पूरा अधिकार दिया है कि लोकेल्ली मालूमात रखें कि किस तरह से काम हो रहा है।

अब सवाल यह सामने आया कि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है कि जिसको यह ३ लाख रुपया नहीं दिया जाना चाहिये; और नहीं दिया जाना चाहिये उसकी दलील बड़ी खस्लत के साथ जितने अल्फाजों में हो सकता है, जितना शब्दों में जोर हो सकता है, उसमें बतलाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस के महकमे ने इतना जुल्म किया, इतना अत्याचार किया, इतना दुराचार किया, इतना भ्रष्टाचार किया कि ३० हज़ार इन्सान नहीं, राक्षस हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है। मुझे इस लेजिस्लेटिव असेम्बली में १५, २० साल से मौका मिल रहा है। सन् ५२ में जब से कि राजस्थान बना है मैं इस असेम्बली का मेम्बर हूं। उससे पहले भी मुझे असेम्बली और पार्लियामेंट में रहने का मौका मिला है, लेकिन यह पहला मौका मेरे सामने है कि अब तक मैं इन्सान की तकरीर सुनता आया हूं, आज मैंने एक देवता की तकरीर सुनी। इन्सान की तकरीर नहीं वह फरिश्ते की तकरीर थी और अपनी फरिश्तागिरी में इस देश के रहनेवाले ३० हज़ार नागरिकों कोXXXX बतलाया है। मैं समझता हूं कि आज इस हाउस मेंXXXXकौन है? वह इन्सानXXXX है जो कि ३० हज़ार इन्सानों को राक्षस बताता है या वहXXXX हैं जो कि मुल्क के लिए कुर्बानी करते हैं? उन ३० हज़ार इन्सानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां की हैं। जिन लोगों ने कुर्बानियां की हैं क्या वेXXXXहैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान की पुलिस ने इतनी बड़ी कुर्बानियां की हैं कि देश के और किसी प्रान्त की पुलिस ने नहीं की है। मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि आप एक भी मिसाल बताएं सारे हिन्दुस्तान की किसी भी स्टेट की जहां कि ६३ आदमियों ने कुर्बानी दी है उसका मुकाबला कर सकें? आप किसी भी स्टेट में यह मिसाल बता दें जहां कि पुलिस के एस. पी. डाकुओं से एन्काउन्टर में मारे गये? क्या वह दे सकते हैं कोई एक भी मिसाल इस तरह की और रियासतों की जैसा कि मैंने बताया कि जहां ६३ पर्सनल्स ऑफ दी पुलिस ने अपने नागरिकों के प्रति फर्ज अदा करने के लिए, अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी? उनको आप XXXXकहते हैं। यह कहने से पहले आप को अपने पहलुओं को सोचना चाहिए कि वे क्या हैं। जो ऐसे आदमियों को, ऐसी संस्था को जिन्होंने इतनी कुर्बानियां की हैं, देश को उठाने में मदद की है, जो अव्यवस्था फैली हुई थी सन् ५१, ५२ में, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा था उसको व्यवस्था में लाये हैं, देश के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है ऐसे ३० हज़ार आदमियों को आप इन्सान नहीं समझते हैं तो क्या कहनेवालों को समझते हैं? ऐसे आदमी XXXX होंगे तो इन्सान कौन होगा वह इस सदन को अपने निर्णय से सोचना चाहिए....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): गरीब लोगों की औरतों को उठा ले जाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, तो वेXXXX नहीं तो क्या हैं?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!!

XXXXअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): (कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !! Mr. Vyas to resume his seat.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Which Vyas ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बहुत तसल्ली के साथ आपको सुना है, तो आपमें इतनी जब्त होनी चाहिये दूसरों को सुनने की। आप सुनाने में होशियार हैं तो सुनने में भी होशियार होना चाहिये। उसके बाद नसीहत दें। मैं खूब समझता हूं कि देने की क्या वजह है; वे किसलिए हाउस के सामने आती हैं। मैं खुद समझता हूँ कि मैं गृह मन्त्री रहूं या न रहूं और मेरे साथी भी अच्छी तरह से समझते हैं लेकिन मैं आपके कहने से कुर्सी नहीं छोड़ सकता हूं। आपने मुझे गृह मन्त्री नहीं बनाया है। सदन ने मुझे गृह मन्त्री बनाया है। जब सदन की यह राय होगी कि मैं गृह मन्त्री न रहूँ तो मैं तो क्या १० मन्त्री बदल सकते हैं, लेकिन आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता है। मैं जानता हूं कि क्या दलील है आपकी ? मैं उन बातों को जानता हूं....

श्री भैरोंसिंह : (कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री रामकिशोर व्यास : क्या दलील दी जाती है कि पुलिस विभाग राक्षस है। क्यों राक्षस है ? इसलिए कि फलां जगह चोरी हो गई, वह हो गई, यह हो गई। किसी ने यह कर दिया, किसी को मार कर कुंए में फैंक दिया। मैं कहना चाहता हूं कि ३० हजार आदमी जहां हों तो एक छोटा सा नगर होता है। शहरों को देखेंगे तो ३०,००० की आबादी का एक शहर बन जाता है, एक कस्बा बन जाता है तो क्या इस शहर में चोरियां नहीं होती हैं, हत्याएं नहीं होती हैं ...

श्री भैरोंसिंह : तालाब को एक मछली गंदा कर देती है।

श्री रामकिशोर व्यास : तो ३० हज़ार की आबादी में, आप क्या समझते हैं कि जुल्म नहीं होते हैं ? क्या आप समझते हैं कि वहां पर कोई बुरा आदमी नहीं होता है ? क्या सब के सब अच्छा काम करनेवाले होते हैं ? मेरा दावा है कि राजस्थान पुलिस में मेजोरिटी अच्छे आदमियों की है। मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूं, हो सकता है कि १० पर्सेन्ट खराब हों, लेकिन मेजोरिटी अच्छे आदमियों की है। मैं कह सकता हूं कि पुलिस के पर्सोनल्स की मेजोरिटी ने कुर्बानी की है, वे चरित्र के अच्छे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि १०० में से १०० ही आदमी ऐसे हो सकते हैं जो बुरे हों। आपके पास कुछ मिसालें चुनी हुई हैं। उन मिसालों को ही आप बार बार दोहराते हैं। उनका एक तरफा बयान करते हैं। उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है, उसकी बात नहीं करते हैं। अधूरी बात कह कर आप सदन को गुमराह करना चाहते हैं तो सदन गुमराह नहीं होने वाला है। जिन मामलों को आप कई दफा रिपीट कर चुके हैं उन पर एक्शन हो चुका है। क्या एक्शन लिया है वह मेरे लिए अभी कहना

Page No.105

(श्री रामकिशोर व्यास)

संभव नहीं है लेकिन मैं कह सकता हूं कि जितने मामले सदन में कहे गये हैं उन पर एक्शन लिया है, और एक्शन लेकर कार्य-वाही हुई है। अब आप यह चाहें कि कायदे कानून के मुताबिक एक्शन नहीं लेकर जो आप चाहें वही हो जाय तो यह मुमकिन नहीं है। हमारे साथ सम्बन्ध है, आपके साथ सम्बन्ध नहीं है, हमको प्रशंसा करनी पड़ती है। हमारे साथ कायदे हैं, हमारे साथ कानून हैं, हमारे साथ विधान है, हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ता है, डिस्मिसल करना पड़ता है तो मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसको निकाल दिया जाय। मुझे उसकी इन्क्वायरी करनी होगी, मुझे उसको नोटिस देना होगा, सारे प्रोसीजर को फोलो करना होगा। यह गवर्नमेंट डिक्टे-टोरियल नहीं है, यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हम कायदे-कानून से बंधे हुए हैं। आपके जुबानी कहने से ही किसी को सजा नहीं दी जायगी। सारी बातें किसी के खिलाफ साबित होंगी तो उसको सजा दी जायगी।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी मामला पुलिस के खिलाफ है तो मैं उसको बेजा मानता हूं और अपने आपके लिए बेजा मानता हूं; लेकिन जो कानूनी शिकंजे में नहीं आते हैं उनको सजा कैसे दी जा सकती है ? जो बात आप कहें उसको सही मान लें और बाकी को गलत मान लें, यह कैसे हो सकता है। आप फरमावें वह सही मान लें और जो इन्क्वायरी हुई है उसको गलत मान लें, पी. एस. सी. कहती है उसको गलत मान लें, यह कैसे हो सकता है ? हम कायदे-कानून से बाध्य हैं, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जिनके खिलाफ एक्शन लेना होगा उनके खिलाफ कायदे से एक्शन लिया जायगा। यदि मैं आपके जबानी कहने से सेटिस्फाई हो भी जाऊं तो भी अगर लीगल नहीं है तो एक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर कोई एक्शन लिया जायगा तो स्टे ऑर्डर हो जायगा। जो मामले इस तरह के मेरे सामने आये हैं उनमें बरा-बर एक्शन लिया है। इन सब को बताने का आज मौका नहीं है। बहुत से फीगर्स आपके सामने रख सकता हूं कि इस पीरियड में क्या क्या किया गया। आप सदन में फरमा देते हैं : क्या होता है, होम मिनिस्टर साहब कहते हैं इन्क्वायरी होगी लेकिन इन्क्वायरी वगैरह कुछ होने-जाने की नहीं है। मौका मिलेगा तो मैं कभी हाउस में बताऊंगा कि कितने लोगों को सजाएं हुई हैं, कितनों का डिस्मिसल हुआ है; मौका मिलेगा तब सदन में कहूँगा। यह कह देने से कोई फायदा नहीं कि क्या नतीजा निक-लेगा। नतीजा आपकी राय के माफिक निकलेगा नहीं। नतीजा निकलेगा एविडेन्स आयेगी उसके बेसिस पर। शहादतों के आधार पर असर पड़ेगा, जुबानी कहने से नहीं।

अब कुछ बातें स्मगलिंग के बारे में कही गईं। स्मगलिंग का मामला इतना खराब है, इस तरह की बातें कही गईं। मैं निवेदन करूं कि स्मगलिंग है, इसमें दो राय नहीं। यदि स्मगलिंग नहीं होता तो न तो पुलिस की जरूरत थी और न कायदे-कानून की जरूरत थी। स्मगलिंग है, उसको रोकने के लिये

Page No.106

(श्री रामकिशोर व्यास)

पुलिस की जरूरत है, चैक पोस्ट की जरूरत है। आपने बाड़मेर की मिसाल पेश की और कहा कि उसमें पुलिस ने क्या काम किया। मैंने फैक्ट्स आपके सामने रख कर बताया कि पुलिस ने बहुत काम किया। पुलिस ने हजारों तोला सोना पकड़ा और बहुत से लोगों के चालान हुए, कई लोगों को सजाएं हुईं। मैंने सदन के सामने रखा है कि कितने हजार तोले पकड़ कर लोगों का चालान कराया है; कितनी अफीम पुलिस ने पकड़ी है? हो सकता है कि स्मगलिंग में पुलिस पर्सोनल्स भी इन्वोल्व्ड हों और कुछ हैं जो मेरे नोटिस में हैं। उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, कइयों को सजाएं दी गई हैं। यह कहना कि स्मगलिंग साइड में पुलिस काम नहीं करती है बगैर फैक्ट्स को देखे; यह कहना उचित नहीं होगा। मुझे मौका मिला तो मैं आपके सामने रखूंगा कि कितना सोना पकड़ा है, कितनी अफीम पकड़ी है।

एक केस में लैंड कस्टम्स के मामले की आपने जानकारी रखी। कहते हैं कि केस पकड़ा था, लेकिन उसका क्या हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह कॉग्निजेबल ऑफेन्स लैंड कस्टम्स का है। उसकी ट्राइल वे ही लोग कर सकते हैं। इस बारे में जितने भी केस थे, they were all handed over to them। शायद २२ मामले थे। इसमें आपको ऐतराज है कि पकड़े तो क्या किया? असल बात यह है कि पुलिस अच्छा काम करे तो वह आपको पसन्द नहीं है। कोई तर्क लाना चाहिये। ऐसा गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि उनका दिल बैठ जायगा, कलेजा ठंडा पड़ जायगा। आप यह बात चाहते हैं कि पुलिस तरक्की न करे। जो तरक्की की जा रही है वह आपको पसन्द नहीं है। यदि आप अच्छी बात चाहते हैं तो आपके उनको डीमोरेलाइज़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह विभाग जो धीरे धीरे तरक्की कर रहा है वह आपको पसन्द नहीं है। यदि आपकी यह मंशा है कि वह तरक्की करे तो आपका एटिट्यूड डिफरेन्ट होता। लेकिन शायद आपको इस बात की नाराजगी है कि पुलिस क्यों तरक्की कर रही है, क्यों ऊंची उठ रही है। यदि यही बात है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको बढ़ने दीजिये और इसके बढ़ने में आप इसकी मदद करिये। आपसे हम आशा करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे, हमारी गलतियें और रचनात्मक सुझाव देंगे। इन्डिविजुअल केसेज़ ५-७ हों तो बतावें। लेकिन जनरल बात कहने में आप कोई मौका चूकते नहीं है। ८-१० साल से आप पुलिस की बुराई करते आ रहे हैं। यदि आपकी मंशा यह होती कि यह इम्प्रूवमेंट करे तो आप इसका इस्तकबाल करते, स्वागत करते। लेकिन आपकी नुक्ते-नजर दूसरी है और वह यह है कि राजस्थान की पुलिस निकम्मी है, कुछ काम नहीं करती, भ्रष्टाचार करती है। लेकिन इसका निर्णय आप नहीं दे सकते, एक व्यक्ति नहीं दे सकता। इसका निर्णय देनेवाली जनता है। वह जानती है कि राजस्थान की पुलिस ने क्या काम किया है और क्या नहीं किया है....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आप मेरे साथ चलिये, राजस्थान के किसी भी गांव में चल कर देखिये कि राजस्थान की जनता आपको और आपकी पुलिस को चाहती है या नहीं ...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : यह तो आप चुनावों के समय देखते ही हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप जिस गांव को पसन्द करते हैं उस गांव में चलिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! I will request the Hon'ble Members please to maintain the decorum of the House.

श्री रामकिशोर व्यास : इसी तरह की आपने कई बातें कही। आपने खुद के मामले की एक मिसाल पेश की। एक शख्स को पीटा गया। मेरे पास एप्रोच किया, मैंने ऑर्डर दिया, उसका चालान किया। इस पर भी कहा गया कि पुलिस ने उसको पीट दिया। पीट दिया तो ठीक है, पीट दिया तो उसको सजा होगी। ससपेन्शन का ऑर्डर दिया है। आप जो आधी बात आपको अच्छी नहीं लगती है वह तो कह देते हैं और अच्छी अच्छी बातों को चबा जाते हैं। आप इस सदन के एक जिम्मेदार सदस्य हैं, आपको इम्पार्शियली जज करना चाहिये और हमारी गल्ती हो तो हमें बतावें और आपकी गलती हो तो आप मानलें। लेकिन पूरी बात तो आप करते नहीं हैं। इससे सदन को कब तक गुमराह करते रहेंगे ? सदन भी जानता है कि आप किस बात को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं।

एक सीधीसी बात है झुन्झुनूं में १४ मर्डर हो गये। आपसी झगड़ा था, मर्डर हो गये। १४-१४ मुल्जिम पकड़े गये, उनका चालान कर दिया, कार्यवाही चल रही है। यदि झगड़ा हुआ और उसमें मर्डर हुआ तो पुलिस क्या करती उसने मुल्जिमों को पकड़ कर चालान कर दिया....

श्री भैरोंसिंह : उसमें १४ नहीं, बल्कि दो आदमी गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : ५ आदमियों को गिरफ्तार करने की बात है, १४ आदमियों का मर्डर हुआ। सभी मुल्जिमों को पकड़ लिया गया, चालान किया गया, यही कर सकते थे। एफ० आई० आर० दर्ज कर दी गई। आप कहते हैं, पुलिस में गिरावट आ गई है। इसमें कैसे पुलिस में गिरावट आ गई है ? आप जानते हैं कि पुलिस तरक्की कर रही है। आप जितना ज्यादा ऑपोज़िशन करेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे और होशियार बनेंगे। हम कभी कभी सच सच बात कह देते हैं, उससे फायदा उठाते हैं ऐसी बात....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : बाकी सब झूंठी बातें कहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : पर्सेन्टेज कितना है ?

श्री रामकिशोर व्यास : और कई इन्डीविजुअल केसेज़ में वे गये हैं, उनमें मैं कहां तक जाऊंगा ? एक साहब ने अभी कहा, एक गंगानगर का केस था, जिसमें मार-पीट हो गई थी, उसमें पक्षपातपूर्ण तरीके से मैंने एस० पी० को टेलीफोन कर दिया। यह सच नहीं है। मैं यह कह सकता हूं, यह बिल्कुल गलत है। गंगानगर के किसी केस के बारे में जौहरी बाजार से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जयपुर शहर के लिए कहा था; गंगानगर के लिए नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : जयपुर में मैं टेलीफोन करता नहीं हूं किसी मामले में, यह मेरे लिए एक शिकायत है ! इसीलिए शिकायतें ज्यादा हैं कि मैं टेलीफोन नहीं करता। अगर मैं टेलीफोन करने लग जाऊंगा तो शिकायतें कम हो जायेंगी....

श्री भैरोंसिंह : टेलीफोन करने लग जाइये, शिकायतें कम हो जायंगी।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि कानून-कायदे की बात है, जमीर रखनी चाहिए, कॉन्शियन्स रखनी चाहिए, इसलिए नहीं करता। लेकिन अगर आपका इशारा है तो मैं सोचूंगा इस मामले में....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : झगड़ा कुछ बनावटी मालूम पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : मावली से आनेवाले माननीय सदस्य की तारीफ कर दें....

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी तारीफ भी करता हूं....

श्री जनार्दनराय नागर : आपका झगड़ा बनावटी मालूम पड़ता है, दम नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : ब्रीफली, मैं आपको अर्ज करूं, जो रुपया आप अता फर्मायेंगे, उसको सही सही खर्च करने की कोशिश की जायगी। जो आपको बदगुमानी हो रही है कि जो रुपया दिया, उसको खा जायेंगे या गड़बड़ी कर दी जायगी, उसको जाने क्या हो, मैं अर्ज करूं कि जो रुपया दिया जायगा उसका सदुपयोग किया जायगा। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि जो कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं, वे वापिस ले लें....

श्री भैरोंसिंह : मावली से आने वाले माननीय सदस्य की तारीफ कर दें, जिससे उनको एन्करेजमेंट मिले।

श्री जनार्दनराय नागर : आप इनको पुलिस फोर्स में ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !! श्री भैरोंसिंह।

(श्री भैरोंसिंह के द्वारा कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं करने पर)

प्रश्न यह है कि श्री भैरोंसिंह जी ने मांग संख्या ४७ पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

Page No.109

(श्री उपाध्याय)

ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक २६—पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,०१,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

शेष मांगों पर मुख-बंध

मैं, सदन की अनुमति हो, यद्यपि टाइम साढ़े चार बजे तक का है; गुलेटीन लगाने की यदि अनुमति हो तो गुलेटीन का प्रयोग कर लूं ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

(विराम)

मैं मुख बन्ध का प्रयोग करता हूँ।

अनुपूरक अनुतान की मांग संख्या ४८-कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४८, मुख्य शीर्षक ४०-कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होनेवाले। वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,५६,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४९-पशु-पालन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४९, मुख्य शीर्षक ४१—पशु पालन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,८३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५० उद्योग तथा रसद

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५०, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग तथा रसद के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५१—विविध विभाग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५१, मुख्य शीर्षक ४७—विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,३२,००० रू. तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५१ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५२—नागरिक निर्माण कार्य—भवन तथा सड़क (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयंत्र पर व्यय

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण—कार्य भवन तथा सड़क (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयंत्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,०७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५२ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५३—लेखन सामग्री तथा मुद्रण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक ५६—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४२,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५३ स्वीकार की गई ।

श्री भैरोंसिंह द्वारा उठाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में अध्यक्षीय-निर्णय

कल जो मैंने अपना निर्णय स्थगित किया था वह मैं सदन के सम्मुख रखता हूं ।

कल दिनांक ९ सितम्बर, १९६० को श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) ने अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर वाद—विवाद के दौरान में कृषि मन्त्री श्री, नाथूराम मिर्धा के कथन पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह उल्लेख किया था कि कृषि मन्त्री द्वारा अल्प आय वर्ग गृह योजना सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया गया है और इस सम्बन्ध में उन्होंने सदन में जो अपना कथन रखा है वह एक दूसरे के विपरीत है और इस प्रकार उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जाने एव उनके कथन के विरोधाभास होने से सदन के विशेषाधिकार का हनन हुआ है ।

इस विषय पर हुई सदन की कार्यवाही को देखने से यह प्रतीत होता है कि कृषि मन्त्री ने जैसी भी स्थिति थी वह सदन के समक्ष प्रस्तुत की थी । उन्होंने कोई बात छिपाई हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता । इस

(श्री उपाध्यक्ष)

मामले में कृषि मन्त्री द्वारा विशेषाधिकार की कोई अवहेलना की गई हो, ऐसा नहीं माना जा सकता।

यहां मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बतलाना चाहूँगा कि नियमों की व्याख्या में मतभेद होना एवं असंगत या एक दूसरे से विरोधी बातें कही जाना, सदन के विशेषाधिकार या अपमान की गणना में नहीं आता। उक्त तथ्य का स्पष्टीकरण करते समय यदि उनके कथन में विरोधाभास (contradiction) भी हो पाया है तो भी सदन के विशेषाधिकार का विषय नहीं बनता।

मेरी इस मान्यता की पुष्टि लोक सभा में दिनांक १३ फरवरी, १९५८ को दिये गये एक निर्णय से होती है। इस निर्णय में कहा गया है :

"I have not been convinced about the admissibility of the notice. I am going to rule that it is not admissible. No contempt proceedings can be started on this allegation even assuming this allegation to be true. Inconsistent statement is a mere irregularity, even if deliberately made."

अतः मैं श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) द्वारा उठाये गये प्रश्न को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

(विराम)

We now adjourn to meet...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अभी एप्रोप्रियेशन बिल है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि यह तो ठीक है कि प्रिविलेज इश्यू नहीं बना और रिजेक्ट कर दिया; मगर यह देखना पड़ेगा कि एक माननीय मन्त्री महोदय हाउस में वक्तव्य देते हैं और स्टेटमेंट के अन्दर, आपने फर्माया विरोधाभास है और था और रूल्स के कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट था, इससे होता है। जैसा बताया, वह गलत स्टेटमेंट सदन के सामने दिया मन्त्री महोदय ने, तो पार्लियामेंट्री कन्वेन्शन्स के मुताबिक यह होना है और माननीय मन्त्री महोदय गलत चीज रखें, गलत स्टेटमेंट दें, गलत कथन के लिए, स्टेटमेंट के लिए हाउस के सामने रिग्रेट करना चाहिए। यह रिक्वेस्ट, आपको व मन्त्री महोदय से करूंगा कि उनके गलत कथन के लिए रिग्रेट शो करनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने विचार प्रस्तुत किये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़!! मैं इस सम्बन्ध में कोई विचार विनिमय की आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री श्रीभानसिंह : यह सदन के प्रिविलेज का प्रश्न है; रोंग स्टेटमेंट करना, जैसा कि आपकी रूलिंग में है, कॉन्ट्राडिक्शन है और रूल्स का गलत उपयोग किया है।

Page No.112

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपनी मान्यता में रोंग स्टेटमेंट होना नहीं माना है, न कॉन्ट्राडिक्शन और इन्कंसिस्टेन्सी मानी है। मेरा स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है।

श्री भैरोंसिंह : आपका स्टेटमेंट इस बात के लिए क्लिअर जरूर है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह सही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I have treated it as an irregularity which the House cannot take cognizance of.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह आइन्दा होगा, इस प्रकार विरोधाभास की बात कही जायगी, तो फिर एक तरह से छुट्टी मिल जायगी। रिग्रेट शो तो मन्त्री महोदय को करनी चाहिए, वह पहले भी रिग्रेट कर चुके हैं, यह हैल्दी परम्परा डाल चुके हैं और इस मामले में उनको कोई हिचक भी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : मैंने गलत बात क्या कही थी, रूल की बात कही थी ? बाद में रूल आया तो मैंने बता दिया। जब चैलेंज हुआ स्टेटमेंट तो बाद में जिस रूल समय आया तब मैंने बता दिया।

श्री श्रीभानसिंह : पर्सनली रूल्स का उपयोग किया वह आपने बताया। आप उस समय रूल्स नहीं बता सके और आपने कहा कि रूल्स बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : I connot enforce upon the Hon'ble member. It is his question to look into. So far as the irregularity is concerned, it is for the Government to look into. I have given my decision which I cannot change.

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर कोई निर्णय होना चाहिये। पहले माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि रूल्स बता दूंगा मगर रूल्स नहीं बताये। माननीय मन्त्री ने चार बातें कही : एक तो यह कि मैं सब-लेट कर सकता हूं रूल्स की तहत में और फिर कहा कि मैंने सब-लेट किया है। तीसरी दफे उन्होंने कहा कि मैंने सब-लेट के लिए परमिशन गवर्नमेंट से लेकर ऐसा किया है और चौथी दफे कहा कि मैंने पर्मिशन नहीं ली है तो अब ले लूंगा। उपाध्यक्ष, ये सारी बातें इर्रेगुलेरिटीज़ मानी जावे तो यह तो कोर्ट का प्रश्न है। लेकिन चूंकि आपने इनको इर्रेगुलर माना है, इसलिए यह एक हाउस की डिग्निटी का प्रश्न है और हाउस की डिग्निट रखने के लिए माननीय मन्त्री महोदय को हाउस के सामने अपनी रिग्रेट जरूर शो करनी चाहिये।

श्री रावतमल परीक (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने रूलिंग दे दी है तो रूलिंग के बाद इस प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : I will not hear a single word now. I have given my observations on the point and this must be treated as final. I will request the Hon'ble Members not to canvass it and disturb.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो निर्णय आपने लिया है वह ठीक

Page No.113

(श्री मुरलीधर व्यास)

है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन प्रश्न यह है कि माननीय मन्त्री महोदय ने एक बार कुछ कहा और...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please !! This is nothing but some thing over and above or in between these two things. So far as the first part is concerned I have given my ruling.

श्री श्रीभानसिंह : But he must show his regrets. This is an irregularity...

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please! Order!! This is a question in between him and the Government.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह प्रिविलेज का प्रश्न....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रिविलेज का प्रश्न तो नहीं बनता है, तो भी हाउस की प्रेस्टिज के लिये माननीय मंत्री को, जो इर्रेगुलेरिटीज़ हुई हैं उनके लिये रिग्रेट अवश्य शो करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैंने सदन से निवेदन कर दिया है कि जहां इर्रेगुलेरिटी का प्रश्न है मैंने अपने ऑब्जर्वेशन्स में साफ कहा है कि so far as this issue is concerned I cannot enforce upon the Hon'ble Minister whether he is to express any regrets or not, because I don't feel anything otherwise...

श्री श्रीभानसिंह : He can be asked to show regrets.

श्री भैरोंसिंह : I want to know whether any irregularity committed by the Hon'ble Minister is permissible under the Rules or not?

श्री उपाध्यक्ष : Any irregularity which is not likely to damage the prestige of the House, the House will not take any cognizance of the issue. I am fortified by so many observations of the Lok Sabha on similar contradictory statements. This does not come within the perview of this House...

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस पॉइन्ट ऑफ व्यू को देखते हुए कि जब माननीय मंत्री ने हाउस में अपना स्टेटमेंट दिया है और जो हाउस में स्टेटमेंट दिया जाता है उसकी पब्लिसिटी पेपरों में-लोकल व बाहर के पेपरों में भी होती है। पेपर्स सारे राजस्थान में और सारे कन्ट्रीज़ में जावेंगे और जब जनता उनके स्टेटमेंट को पढ़ेगी तो यह समझेगी कि इस प्रकार के बनाये हुए मकानों को सबलेट किया जा सकता है। इसलिये जब तक माननीय मंत्री इसके लिये हाउस में कोई खेद प्रकट नहीं करेंगे तब तक इसका कोई पर्पज़ सर्व नहीं होगा। या तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिये कॉन्ट्राडिक्शन निकाला जाना चाहिये और इसको करेक्ट कराया जाना चाहिये या माननीय मंत्री को इसके लिये रिग्रेट शो करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : दुनियां क्या महसूस करेगी और हिन्दुस्तान के लोग क्या सोचेंगे और क्या प्रचार होगा ? I think it is not the subject of the House. The subject of the House is whether the prestige of the House and its dignity has been affected by the statement of the Hon'ble Minister and whether we have sufferred or not ? We are not concerned with other issues.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि हाउस की डिग्निटी के लिये इस प्रकार....

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! Order !! I will not allow any more discussion and I now close the debate on this issue. The dignity and decorum of the House demand that observations of this Chair, should not be canvessed. Anyone of you when comes to this chair shall have to maintain the decorum. Therefore; I will request the Hon'ble Minister cncerned to move his business.

राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६०

(पुरःस्थापन, विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित करने की....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): आपने क्या प्रस्ताव किया कोई सुनाई नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : आप दुबारा प्रस्ताव करें ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक में जो गलतफहमी फैली है वह तो करेक्ट कराई जावे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a Point of Order, Sir, we have not yet received the Appropriation Bill.

श्री भैरोंसिंह : कितने रुपयों का है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक करोड़, ४ लाख, ७६ हजार का ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो एक लाख, नहीं- नहीं एक करोड़....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: एक करोड़....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि He has just sought permission to introduce the Bill ? Is it a leave to introduce the Bill.

अभी यह प्रश्न नहीं आया ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): उन्होंने कहा है कि इसको विचारार्थ लिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रिएशन (सं०३) बिल, १९६०

Page No.115

(श्री उपाध्यक्ष)

को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, now th right stage. Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो एप्रोप्रिएशन बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है इस बिल का मैं विरोध करता हूं। कुछ मांगों के सम्बन्ध में इस सदन में कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे उन पर जिस प्रकार की बहस होनी चाहिये हुई और उस बहस के दौरान में सदन के सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किये और उनको अपने अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था; लेकिन समयाभाव के कारण कुछ ऐसी मांगे भी थीं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक था लेकिन गुलेटीन एप्लाई करने के कारण उन पर विचार नहीं किया जा सका। मैं ऐसा समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष, कि इस विधेयक में कुछ इस प्रकार की रकमें हैं जिनका सम्बन्ध ऐसे विभाग से हैं जो विभाग जिस प्रकार से पुलिस विभाग की स्क्रुटिनी हुई है उसी प्रकार की स्क्रुटिनी के हकदार हैं और उसमें हमारा एक उद्योग विभाग हैं जिसके सम्बन्ध में एक अनुपूरक मांग का उल्लेख किया गया है। मैं समयाभाव के कारण उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा और मैं उनकी जरूरत यहां पर इसलिए नहीं समझता कि मैं सरकार के सामने दो-चार मुद्दे इस प्रकार के रखूंगा कि हमारे वित्त मन्त्री उस पर इस बात का आश्वासन दे दें कि जांच करवाई जावेगी और जो दोषी व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस भावावेश में आकर गृह मन्त्रीजी ने अपना भाषण दिया उसी प्रकार हमारे वित्त मन्त्रीजी भी भावुकता में अपने भाषण करना चाहें तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा क्योंकि गृह मन्त्रीजी जोश में आकर बोल गये और उसी प्रकार कहीं भावुकता में आकर हमारे वित्त मन्त्रीजी भी न बोलें। मैं समझता हूं कि उनके शरीर में भी अन्तर है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि जो मामले मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वे ऐसे हैं कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसको थोड़ा सा जोश अवश्य आवेगा और जोश में वह काम करने की चेष्टा करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने जैसा जिक्र किया कि हमारे यहां उद्योग विभाग है। कुछ दिनों पहले इसी विधान सभा में एक प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न के द्वारा जानकारी चाही गई थी कि जिन लोगों को इम्पोर्ट लाइसेन्स देते हैं, इम्पोर्ट लाइसेन्स देते हैं तो उसके लिए एसेन्शियल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है वह किस आधार पर दिया जाता है? जब तीसरी पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट पर बहस हो रही थी, सरकार द्वारा उस समय यह दलील दी गई थी

(श्री भैरोंसिंह)

कि राजस्थान की सरकार राजस्थान में उद्योगों के वास्ते चिन्ता ग्रस्त है और सरकार यहां पर उद्योगों को लगाने के लिए कुछ करना चाहती है। उस समय मैं कह नहीं सका। भगवान ने मुझे आज मौका दिया। सरकार के उस पक्ष की ओर से बोलने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया था कि उद्योगपति राजस्थान में आकर उद्योगों को लगाना चाहते हैं, इन्डस्ट्रीज लगाने की चेष्टा करते हैं। मैं सारी बातों को न लेकर एसेन्शियल सर्टिफिकेट के ऊपर जो लाइसेन्स इम्पोर्ट का दिया जाता है उसको लूंगा और इस प्रकार के मामले कैसे हो रहे हैं उस ओर वित्त मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे सदन में घोषणा करें और सदन को आश्वासन दें...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): On a Point of Order, Sir, I will draw your attention to Rule 154, sub Rule (4). It says that the debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration.' उसी पर डिस्कशन हो सकता है, जिस पर ग्रान्ट में पॉलिसी निहित की गई है। इन्डस्ट्री के कोई मेटर नहीं है। एक अलग मेटर है: A sum of Rs. 23 thousand required for purchase of tools and equipments for Gramsewak training Centres. इम्पोर्ट लाइसेन्स और दूसरे सारे मेटर्स बजट के समय पेश कर सकते हैं, it is not relevant with this.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो रूल कोट किया है वह शायद उन्हीं के खिलाफ पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : तब ही कोट किया क्या उन्होंने ?

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था ...

श्री सोहनलाल भटनागर : I want a ruling, Sir.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि उद्योग विभाग....

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will please have consideration about the Rule cited by the Hon'ble Member.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): डिसीज़न भी दे दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : रूलिंग दोनों तरफ की है।

श्री भैरोंसिंह : कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, समय की कमी के कारण मैं उन सारी बातों में नहीं जाना चाहूंगा किन्तु कुछ मुद्दे ही मैं सदन के सामने रखूंगा। एक प्रश्न के द्वारा माननीय उद्योग मंत्री महोदय से पूछा गया था कि चूड़ी बनाने के लिए चिटन्स का इम्पोर्ट लाइसेन्स दिया गया वह किसको दिया गया ? मैं आज भी यह कह सकता हूं कि ऐसे लोगों को लाइसेन्स दिया गया जो चिटन्स का काम

Page No.117

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं करते, मिडल मैन के नाते वे उसका प्रोफिट उठाते हैं और लोग चूड़ियों के व्यापारी हैं उनको बेचते हैं। एक मि० आचार्य हैं। कोई नहीं कह सकता कि वे चिटन्स का उद्योग करते हों। सप्लाई करते हैं पांच रुपये की चीज़ २०) में और २०) की जगह ३०)। चिटन्स यूज़र्स हैं, बैंगल्स यूज़र्स हैं, उनके इस प्रोफिट के कारण आज सब परेशान हैं और उन्होंने सरकार के सामने भी इस विषय में प्रतिनिधित्व किया।

इसी प्रकार आइवरी को ले लीजिये। पाली के मैन्युफेक्चरस एसोसियेशन को यह दे रखा है। मैन्युफेक्चरर्स के नाम पर, एक, दो व्यक्ति होंगे; बाकी के ऐसे लोग हैं जो हाथी दांत का काम नहीं करते हैं, मिडल मैन के नाते प्रोफिट कमाते हैं और हाथी दांत के काम करनेवालों को सस्ते और कन्ट्रोल रेट पर हाथी दांत नहीं मिलता, उस परेशानी के कारण आज दुखी हैं।

एक मामला है, उसके लिए सदन का विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अभी कुछ दिनों पहले कलकत्ता की फर्म है और ऐसा कहना चाहिये कि शारदा मेटल वर्क्स के नाम पर एक फर्म है उसको एसेन्शियल सर्टिफिकेट दिया गया जिससे वह ३२ लाख का इम्पोर्ट कर सके। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ एसोसियेशन ने प्रस्ताव पास करके कहा है कि सारी की सारी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ भर रही हैं। उनको एसेन्शियल सर्टिफिकेट इम्पोर्ट करने के लिए नहीं मिलता है कि ऐसे लोगों को मिलता है जो कि राजस्थान में कोई उद्योग नहीं करते हैं, राजस्थान के बाहर जिनका उद्योग हो सकता है, जो आज भी राजस्थान के अन्दर काम नहीं करना चाहते हैं ऐसे लोगों को सरकार ने १२ लाख का इम्पोर्ट लाइसेन्स दे दिया; एसेन्शियल सर्टिफिकेट दे दिया और लोगों का ऐसा ख्याल है कि उसके पीछे जबरदस्त रहस्य है और रिश्वत लेने के कारण कानून-कायदों का उल्लंघन किया गया और ऐसे व्यक्ति को सर्टिफिकेट दे दिया।

एक राय बहादुर सवाई के साहब हैं, उनके किसी प्रकार का माइका काम नहीं, उनको माइका कोन्डियुड पाइप के लिए लाखों रुपयों का दे दिया गया। ऑइल मिल नहीं है, लेकिन लाखों रुपयों के खोपरे के लिए परमिट दिया है।

राजस्थान की सरकार राजस्थान में औद्योगीकरण करना चाहती है लेकिन उद्योगों के लिए उनको लाइसेन्स नहीं देना चाहती, एसेन्शियल सर्टिफिकेट उनको नहीं देना चाहती। जो वास्तव में मैन्युफेक्चरर्स हैं, उनको किसी प्रकार की सरकार रियायत नहीं देना चाहती, उनको किसी प्रकार लाइसेन्स नहीं देना चाहती, किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं देना चाहती और यह इस बात का सुबूत है कि जिन लोगों की पहुंच है, जो लोग मिडल मैन के नाते प्रोफिट उठाना चाहते हैं उनको सरकार परमिट देना चाहती है, एसेन्शियल सर्टिफिकेट देना चाहती है और राजस्थान के उद्योगों को कुछ हितों में केन्द्रित करके रखना चाहती है और वास्तव में जो पाने के हकदार हैं, जो उद्योगों का फैलाव चाहते हैं उनकी बात को टाल देती है। वित्त मन्त्री महोदय इसकी जांच करें। रायबहादुर साहब का मैंने उदाहरण दिया है

(श्री भैरोंसिंह)

और शारदा मेटल वर्क्स को जो ३२ लाख का इम्पोर्ट लाइसेन्स दिया है वह किसने दिया है ? इसके पीछे बड़ा रहस्य है, बड़ा घोटाला है। इसके लिए रूल्स का पालन नहीं किया गया, स्क्रिनिंग कमेटी के सामने पेश नहीं हुई, वह मामला ऐसे ही निकला है। बड़ी गड़बड़ी हुई है। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ की कोरड पर यह सिफारिश की गई है। वित्त मंत्री महोदय से मैं यह चाहूंगा कि वे इसकी जांच करें और जांच के बाद दोषी आदमियों को दंड दिया जाय। समयाभाव के कारण इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि माननीय मंत्रीजी इसकी पूरी तरह से जांच करेंगे और इस प्रकार के मामलों में दोषी आदमियों को दंड देने की चेष्टा करेंगे। ऐसे मामले होते हैं इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और यदि माननीय वित्त मंत्रीजी की ओर से आश्वासन नहीं मिलता है तो माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इसका विरोध प्रदर्शित करें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : जिस तरह का आश्वासन चाहा गया वह तो सदा ही सरकार की ओर से आश्वासन रहा है कि कोई शिकायत आती है तो जांच होती है। कोई शिकायत हो तो पेश कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): पेश की हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे बोलने दीजिये। क्या माइक नहीं चल रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा चल रहा है, दा साहब।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार उसको देखे। जिन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करे। यही तो आश्वासन चाहते हैं। वह तो पहले से है।

उदाहरण दिये हैं, यदि तथ्य और आधार प्रस्तुत किये जावेंगे तो मैं नहीं समझता कि सरकार क्यों मुकरेगी ? आश्वासन की जरूरत नहीं थी। हर केस में है और हम चाहते हैं कि माननीय सदस्य महोदय को ऐसी कोई दिक्कत न हो। इतना ही वे चाहते थे ? मैं समझता हूं कि इसमे उनकी पूर्ति हो जाती है और अब उनका विरोध है अब वे हटा लेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मंत्री महोदय ने जवाब ही नहीं दिया। दो चार्जेज़ लगाये थे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो आश्वासन चाहिये था वह दोहरा दिया।

श्री भैरोंसिंह : आप च करायेंगे न।?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आधार प्रस्तुत करेंगे तो जांच करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आधार प्रस्तुत कर दिये। ३२ लाख रुपयों का लाइसेन्स दिलवाया, एसेन्शियल सर्टिफिकेट दिया, मुफ्त में नहीं दिया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : किस बात का ? सुबूत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं इस बात की जिम्मेवारी लेता हूं कि मैं यह साबित करा दूँ....

श्री श्रीभानसिंह : साईका कन्डयुड पाइप को कौनसी इन्डस्ट्री इस्तेमाल करती है, उसको एसेन्शियल सर्टिफिकेट दिया ? यह कन्डयूड पाइप है क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने काफी कह दिया है इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। इतना मैं अवश्य कर सकता हूं कि माननीय सदस्य ने जो जो बाते उठाई हैं चूंकि वह पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर साहब से सम्बन्धित है; मैं उनकी बातें उन तक पहुंचा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (संख्या ३) बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : विचारार्थ लिया गया तभी तो इतनी बातें सामने आई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल, १६६० को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल, १६६० पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

बिल पारित किया गया।

अब सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक १२ सितम्बर, १६६० प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ४ बज कर ५२ मिनट पर दिनांक १२ सितम्बर, १६६० के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, १० सितम्बर, १९६०)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ३२०४

नगर विकास योजना, भरतपुर।

टोडारायसिंह-केकड़ी सड़क निर्माण योजना।

विश्व कृषि मेला, १९५९-६० में संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को प्राप्त हुए पारितोषिक।

किशनगढ़ वाटर वर्क्स से शहर की जनता को पानी की उपलब्धि।

बिजली वितरण की दरों में असमानता।

जयपुर सूचना केन्द्र के सूचना अधिकारी।

जयपुर शहर की बस्ती सीतारामपुरा योजना।

जिला भरतपुर में सिंचाई बांधों के साधारण मरम्मत तथा निर्माण हेतु किया गया व्यय।

मौजा धरणवास (सांचोर) में हुआ श्री प्रेमा राइका का कत्ल।

श्री गंगा थियेटर, बीकानेर का ठेका।

आदर्श नगर जयपुर, में डिस्पेन्सरी।

पुलिस स्टेशन सदर, जयपुर द्वारा श्री प्रभुसिंह मुलाजिम मोटर गैरेज (जयपुर) की गिरफ्तारी।

भीनसर-उदयपुर सड़क।

ग्राम लोहा तथा जेगनिया में फैली बीमारी।

जैसलमेर के भूतपूर्व पी. आर.-ओ., श्री नागर की पाकिस्तानी महिला जासूस से साठगांठ।

जयपुर नगरपालिका का चुनाव।

सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चूरू द्वारा प्राप्त जीप से किये गये रन।

फतहपुर (शेखावाटी) से रतनगढ़ वाया दांदण-मोर्लीसर बस रूट।

किशनगढ़-सिलोरा सड़क की मरम्मत।

Page No.121

स्कम्भ

केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के वक्त राजस्थान में गिरफ्तार हुए कर्मचारी।

बीकानेर के टी. बी क्लीनिक हॉस्पिटल के स्थान का परिवर्तन।

जयपुर नगर एवं इसके आस-पास के क्षेत्र में चोरी इत्यादि के मामले।

गांधीनगर तथा बापू नगर में बिजली की उपयुक्त व्यवस्था।

बीकानेर एवं लूणकरणसर छाया खण्डों में ओवरसियर्स की नियुक्तियां।

जयपुर नगर में बुधवार को सफाई की अव्यवस्था।

बांसवाड़ा जिले में हॉस्पिटल्स एवं डिस्पेन्सरीज़ का अभाव।

ज़िला भीलवाड़ा के मेना डेम की दाईं व बाईं नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र।

स्कम्भ

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९६०-६१ (प्रथम खण्ड) पर मत दान

१. मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक ७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत ३२७१

उपरोक्त मांग श्री सम्पतराम, वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई जो सदन द्वारा स्वीकृत हुई।

२. मांग संख्या ५५, मुख्य शीर्षक ६३-ख- सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य ३२७६

उपरोक्त मांग श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई। इस मांग पर ६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

कृषि मन्त्री के उत्तर के पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

३. मांग संख्या ५७, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा ३३००

उपरोक्त मांग श्री हरिश्चन्द्र,

स्कम्भ

सार्वजनिक निर्माण तथा विद्युत् मन्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई जो सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

४. मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक ७-भू राजस्व ३३००

उपरोक्त मांग श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत की गई ।

इस मांग पर ३ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये । कृषि मन्त्री के उत्तर सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

५. मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक १८-सिंचन (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयंत्र पर व्यय ३३१६

उपरोक्त मांग श्री दौलतराम सारण, उप मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत की गई जो सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

६. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन ३३१७

उपरोक्त मांग श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत की गई जो सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

स्कम्भ

७. मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक २६-पुलिस ३३१७

उपरोक्त मांग श्री रामकिशोर, व्यास, गृह मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत की गई ।

इस मांग पर २ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

इस पर की गई । बहस में १० सदस्यों ने भाग लिया । गृह मंत्री के उत्तर के पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

श्री रामजस तार बाबू की गिरफ्तारी ।

निम्नांकित अवशेष मांगों पर मुखबन्द (guillotine) का प्रयोग किया जाकर उन्हें भी सदन द्वारा स्वीकार किया गया:—

क्रम संख्या	मांग संख्या	मुख्य शीर्षक
१	४८	४०—कृषि
२	४९	४१—पशु [illegible]
३	५०	४३—उद्योग
४	५१	४७—विविध
५	५२	५०—नागरिक निर्माण कार्य, भवन तथा सड़क (संयुक्त)

स्कम्भ

स्थापना और
औजार तथा
स्थिर संयंत्र ।

६ ५३ ५६—लेखन सामग्री
तथा मुद्रण ।

राजस्थान विनियोग (सं० ३) विधेयक, १९६० ३४३१

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान विनियोग (सं० ३) विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित किया।

तत्पश्चात् विधेयक विचारार्थ लिया जाकर सदन द्वारा पारित भी किया गया।

सदन की बैठक ४ बज कर ५२ मिनट पर सोमवार दिनांक १२ सितम्बर, १९६० को प्रातः ११

स्कम्भ

बजे तक के लिए स्थगित की गई।

सोमवार दिनांक १२ सितम्बर, १९६० की कार्य–सूची

१. राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० (पुरःस्थापन)

२. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् १९५९ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में प्रस्तुत संशोधनों पर विचार

३. राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद–मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६० (प्रवर समिति को)

४. राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १९६० (प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित इस विधेयक पर विचार–विमर्श एवं इसका पारण)।

५. राजस्थान स्मारक, पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा प्राचीन वस्तु विधेयक, १९६० (अग्रेतर खण्डशः विचार–विमर्श एवं पारण)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८३ का उत्तर देखिये)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

STATEMENT SHOWING RATES FOR ELECTRICAL ENERGY

AS ON JANUARY, 1960.

(1) JAIPUR:	Rate per unit.
Lighting—Permanent.	0/6/0
Temporary.	0/8/0
Power —Small Power	0/3/0
National Ball Bearing Factory upto 2,01,840 units per month.	0/0/10
Over 5,01,840 units per month.	0/1/6
For the Industries consuming more than 20,000 units per month with coal surcharge clause.	0/2/-
S. M. S. Hospital.	0/3/6
Government Water Supply (Ramgarh & Laxman Dungri Pump)	0/1/6

FLAT RATE

At City Palace (17 pts) per point Rs. 2/-per month.
(1 pt.) per point 0/8/-per month.

Shops. (Per 40 Watts. Rs. 3/- per month.
(Per 60 Watts. Rs. 4/8/-per month.

Street Lights at Dausa — Rs. 2/-per point (40 Watt) per month.

Street Lights at Jaipur. — 0/3/-per unit.

(2) BIKANER:

Lighting—Permanent.		0/6/-
	Temporary.	0/8/-
Power—	Permanent-Small	0/3/-
	Temporary.	-/5/-
	Ratangarh—Thard Water Supply	0/2/-
	Mahant Ganpat Das well-Churu	0/2/-
	Sandwa Well	-/3/-
	Kolayat Well	0/1/8
Street Lighting		-/3/-
Municipal Lights (District)		
(i)	Metered Supply.	-/3/-
(ii)	Flat rate per lamp per month.	2/-/-
(iii)	Mercury lamps per lamp per month.	6/-/-

(3) JODHPUR:

Lighting—Permanent.		0/6/0
	Minimum Charge	1/8/-per month.
Temporary		0/12/0

Power

Upto 1,500 units per month.	0/3/6	) Minimum-
1500 to 3,000 units per month	0/3/3	) charge
3000 to 6,000 units ,, ,,	0/3/-	) 25/-/-
6000 to 10,000 units ,, ,,	0/2/6	) per month
10000 to 20,000units ,, ,,	0/2/3	) for 3 phase
Above 20,000 units with		) connection
coal surchrge clause, per month.	0/2/-	) (Power)

(4) KOTAH:

Lighting—Permanent	0/6/6 upto 14 units
	0/7/- above 14 ,,

Power—Flour Mills	0/3/6	Monthly minimun charge for single 10 Amps point Rs. 8/-& for double point Rs. 12/-
Heaters & refrigetors.	0/4/-	
Small Industrie supto 5 HP	0/4/-	
Large Industries-(as per noted below)	0/3/-to 0/4/-	
Temporary connections.	-/8/6.	

NOTES:-Rs.10/-per month per BHP of total rated capacity plus 0/2/-per unit of current metered provided that the Combined charge is not less than 0/3/- As. per unit and not more then 0/4- per unit; minimum charges Rs. 6/- BHP.

Govenment Water Works	0/4/-Minimum charge per month per BHP on total rated capacity Rs. 6/-

(5) - ALWAR:

Lighting—Permanent.	0/8/-Minimum Charges Rs. 2/-per kw or part thereof.
Temporary.	0/8/-Minimum charges Rs. 5/-per kw
Power—Upto 4½ HP-Unrestricted	0/4/-Minimum charges @ Rs. 16/-per BHP per month.
Restricted.	0/3/-

5 HP-20 HP-Restricted hours.	0/3/-Minimum charges @ Rs. 10/-per BHP per month.
25 BHP and above-Restricted hours.	0/2/6 Minimum charges @ Rs. 10/-per BHP per month.
Agricultural pumps-Restricted hours.	0/3/-Minimum charges @ Rs. 6/-BHP per month.

(6) BHARATPUR:

Lighting—Permanent	0/8/-Minimum charges Rs. 4/-per month Prompt P·yment rebate 12%.
Permanent without rebate	-/7/-
Flat rate (40 watt lamp)	Rs. 4/-per month.

POWER:

(a) Domestic Power	0/3/-
(b) Flour Mill.	
For the first 200 units.	0/3/-) Minimum charges
For the next 200 units.	0/2/6) of Rs. 40/-per
For the units above 400 units.	) month. 0/2/-)
(c) Other Industries.	
For upto 400 units.	-/4/4.5) Subject to a
For above 400 units.	-/3/6) minimum charge to Rs. 4/- per BHP per month.
Street Lighting.	-/3/-

(7) BHILWARA :

Domestic Light & Fan.	-/8/-
Domestic Power.	-/3/-
Commercial Light & Fan.	-/8/-
Power-Industries & Commercial	-/3/-
Street Lighting.	-/3/-

(8) DHOLPUR :

Lighting—Permanent	0/7/-Minimum charges Rs.1/-upto 2 units.
Temporary.	-/7/-
Power.	0/3/6)Minimum charges
Distillery.	0/3/6)Rs.3/-per month) per BHP.
Street Lighting.	-/3/-

(9) DUNGARPUR.

Lightihg.	0/8/-
Power.	0/3/-
Water Works.	0/3/-
Small Scale Industry.	-/4/-

FLAT RATE.

Use of one Table Fan monthly (only energy consumed)	5/-/-
Radio point monthly.	5/-/-
25 watt point one point only.	2/2/-
For more than 1 light point.	1/8/-per point.
25 watt upto midnight 1 point.	1/-/-
more than 1 point.	1/4/- per point

STREET LIGHTING.	-/3/-
(10) DEEG :	
Lighting.	0/8/-
Power.	0/3/-
(11) SRI—GANGANAGAR :	
Lighting—Permanent.	0/6/-
Temporary.	0/8/-
Power—Small Power Permanent	0/3/-
Temporary.	0/5/-
Sadul Textiles Ltd. (with coal clause surcharge)	0/2/-
Street Lighting	0/3/-
(12) JAISALMER:	
Lighting.	0/9/0 Prompt payment rebate of 1 anna per unit.
Temporary connections	-/8/-
Power.—Other domestic pumps.	0/4/6 Rebate of 0/0/6 per unit for prompt Rs. 1/ payment.
Street Lighting.	-/3/-
(13) JHALAWAR:	
Lighting—Permanent	0/8/-Minimum charges per month Re. 1/-
Temporary.	-/10/-
power: (a) Industrial above 5 BHP	0/3/6)Minimum charges) Rs. 6/-per BHP
(b) Small Scale Indusries.	0/4/-) per month.

Flat rate D. C.)	10 W Lamp.	1/2/-per lamp per month
	25 W. Lamp.	2/4/-per „ „
	40 W. Lamp.	4/8/-per „ „
Street Lighting		-/3/-

(14) KARAULI:

Lighting—Permanent	0/8/-Minimum charges per month Re. 1/-
Temporary	-/10/-
Power	-/3/-
Flat Rate. 25 watt lamp for old consumers.	1/8/-per month
Minimum charges for Industrial connections per B. H. P./month.	10/-/-
Street Lighting.	-/3/-

(15) KISHANGARH:

Lighting.	0/8/-
Power—Dometic.	0/3/-
Industrial	0/3/-
Irrigation Pumps,	-/3/-
Street Lighting.	-/3/-

(16) NEWAI & BANASTHALI VIDHYAPITH :

Lighting.	0/8/-
Power.	0/3/-

(17) TONK :

Lighting.	0/8/-
Power.	0/3/-

(18) PHALODI :

House Lighting & Fans.	0/10/-

Power.	0/6/-
Street Lighting.	0/8/-

(19) SIKAR.

Lighting—Permanent	0/9/-net) One third of
Temporary.	0/12/-net) the rate shall be charged extra on consumption if bills are not paid in specified period.
Power.	0/4/6
Street Lighting.	0/3/-

20) SIRO HI :

Light—Domestic.	0/8/-Minimum charges 1-5 points 1/8/-per month; more than 5 points 2/8/-Prompt payment rebate 6 pies per unit.
Power.	0/4/-Minimum charges for 3 phase motive

Power (a) Pumps Rs. 5/-per BHP per month.

(b) Agricultural Rs. 5/-per BHP and other loads per month.

(c) Other purposes Rs. 6/- Prompt payment rebate 3 pies per unit.

Public Lighting.	-/3/-

AGWARA :

Lighting.	0/8/-
Power.	0/3/-
Street Lighting.	0/3/-

(22) HINDAUN :

Lighting—Permanent.	0/8/-
Temporary.	-/10/-
Power	0/3/-

(23) SHAHPURA :

Lighting.	0/8/-
Power.	0/3/-
Flat rate for 25 watt lamps	1/4/-per connection.

(24) CHITTORGARH :

	Rate per unit.	
	Gross	Net
Lighting.	5 nP.	50 nP.
Power—below 25kw	30 nP.	25 nP.
Street Lighting	40 nP.	35 uP.

(25) SAWAI MADHOPUR :

	Rate per unit	
	Gross.	Net
Lighting.	65 nP.	50 nP.
Power.	30 nP.	25 nP.
Street Lighting.	40 nP.	35 nP.

P. S. The Street Lighting Tariff for all Power Houses except Phalodi and Sirohi remains at 0/3/- per Unit at present

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८७ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING ALLOTMENT AND EXPENDITURE IN BHARATPUR DISTRICT DURING SECOND FIVE YEAR PLAN

S. No.	Year	New Work		Extension & Improvement		Maintenance & Repairs		Total	
		Allotment	Expenditure	Allotment	Expenditure	Allotment	Expenditure	Allotment	Expenditure
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	1956-57	1,20,724	87,966	48,210	24,700	3,00,000	2,90,427	4,68,934	4,03,093
(2)	1957-58	38,490	19,558	68,051	52,449	3,00,000	3,29,314	4,06,547	4,01 321
(3)	1958-59	1,91,500	42,280	13,141	12,061	3,00,000	3,83,903	5,04,641	4,38,244
(4)	1959-60	10,61,500	8,93,688	20,000	1,884	3,00,000	4,22,266	13,81,500	13,17,238

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ का उत्तर देखिए)

LEASE-DEED

This Deed of lease is made on the Twenty seventh day of August, 1959 between the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called the lessor) of the first part and M/s. Balabux Anand Raj (hereinafter called the lessee) of the second part Shri Harinarain and Jhanawarlal Baid (hereinafter called the surety) of the third part.

Whereas lessor is the exclusive owner of the Cinema building, known as the Ganga Theatre, Bikaner, together with the land and the premises thereof and all fittings and other properties described in the schedule I hereto annexed (hereinafter referred to collectively as the "said Properties").

And whereas the lessee has agreed to take a lease of the said properties from the lessor for a period of five years with effect from 1st. August, 1958 upon terms and conditions hereinafter mentioned;

And whereas the surety has agreed to guarantee to the lessor the full payment of the rent hereby reserved and the performance of the terms, condition and covenants hereof on the part of the lessee to be performed during the period of the lease or the renewed period of the lease.

And whereas possession of the said properties has been delivered to the lessee on 1st July, 1958.

And whereas the lessor has agreed to grant a lease of the said properties on such terms, conditions and covenants and accepted the guarantee of the surety;

Now, therefore, this deed witnesseth as follows:—

1. In persuance of this agreement and in consideration of the rent hereby reserved and of the covenants on the part of the lessee and surety hereinafter contained, the lessor hereby demises by way of lease to the lessee the said properties (the building shown on the plan annexed hereto and thereon shown with its boundaries coloured yellow) for a term of five

years commencing on the 1st August, 1958 paying therefor during the said terms a monthly rent of Rs. 3,325/—(three thousand three, hundred and twentyfive only) clear of all deductions, payable in advance during the first week of every month, the first as such payment to be made on the first day of August, 1958 provided that payments will be made at such place or places as the lessor may from time to time appoint in this behalf.

2. The lessee hereby covenants with the lessor as follows:—

(i) to pay during the term hereby granted or renewal thereeof the lessor the rent hereby reserved on the days and in the manner hereinbe-fore appointed;

(ii) in the cass of failure so to pay the rent hereby reserved to pay to the lessor interest on the amount of rent or such portion thereof as remains unpaid on the due date at the rate of 6% per annum from the date of default till the date of actual payment;

(iii) if default is made in the payment of rent for three months of it there shall be a breach of non-observance of any of the terms, conditions or covenants hereof to be made, then on each of such default, it shall be lawful for the lessor, in addition to or in alternative to any remedy that may be available to him at his discretion, to terminate the lease and to reject the lessee from the said building and to take possession of the said property as full and absolute owner, thereof without being responsible to the lessee for any compensation whatsoever; provided that a months notice in writing shall be given by the lessor to the lessee of his intention to terminate the lease and take possession of the said properties;

(iv) to pay during the said term, in addition to the rent hereinbe-fore mentioned, all rates, assessments, taxes, cesses and other charges including charges for electricity and water consumed by the lessee on the properties hereby demised or for the purpose of running the cinema house, now payable or hereafter to become payable in respect thereof and to intimate to the lessor immediately on every such payment the number and date of the receipt thereof;

(v) not to erect or build or permit to be erected or built any building or structure on the demised premises or to make any additional or alteration to the building at any time except with the approval of the lessor; ordinary repairs being accepted for which the lessor in no case will be liable to any item for compensation;

(vi) to keep at all times during the term of the lease or any renewal thereof the said properties and any addition or alteration made in accordance with the last preceding clause in good and substantial condition and repairs and shall spend therefor a sum not less than Rs. 2,000/- (rupees two thousand only) per annum and that the lessee shall furnish evidence to the lessor at the end of every financial year of having spent at least the said amount; provided that if such repairs in any particular year are not carried out to the satisfaction of the lessor or if the building shows deterioration which, in the opinion of the lessor is attributable to bad maintenance, the lessor shall be at full liberty to effect such repairs in any particular year between the months of September to November and to recover the cost from the lessee upto the limit prescribed above; provided further that the lessor before he undertakes the work shall give a month's notice in writing of his intention to carry out the same to the lessee;

(vii) not to use, or permit the use of the said properties, without the consent in writing of the lessor, for any purpose other than that for which they are let;

(viii) to permit the lessor or his duly authorised agents to enter upon the demised premises and to inspect the said properties with a view to seeing that they are in good and substantial order, repair and condition except when any public show or function is being held thereon;

(ix) not to assign, transfer, sub-let or otherwise part with or remove from the demised premises any of the said properties, or any part thereof or any Building or Structure made in accordance with clause 5,

(x) to comply with the requirements of the Cinematograph Act, and all other laws and rules for the time being in force and to indemnify or keep indeminified, during the continuance of this lease, the lessor against any breach or non-observance thereof;

(xi) on the termination of the lease to deliver up and surrender to the lessor peacefully and quietly all the said properties hereby demised in as good a condition as they were when the lessee obtained possession thereof, subject only to the changes caused by normal wear and tear or reasonable depreciation or irresistable force; provided that within a period of fortnight from the date of the termination of lease, the lessee shall be entitled to remove any building or structure made on other movable, provided by him, without causing damage to the lessor's properties, unless

the lessor expressed his willingness to purchase the same at a valuation to be made by mutual consent, in which case the lessee shall sell the same to the lessor; provided further that the lessee shall be responsible to make good the loss, if any, that may occur to the said properties before or when the posssssion is given to the lessor.

(xii) to deposit and keep in deposit at all times with the lessor interest bearing Government security for a sum of Rs. 15,000/- (Rupees fifteen thousand only) duly pledged in favour of the lessor or a deed of guarantee from any scheduled band registered in India of the value of Rs. 15,000/- for the due fulfilment of the contract. In case of non-payment of rent for three months the lessor will at his discretion be at liberty to adjust the amount of rent out of the aforesaid security and in case of breach of any of the terms of the agreement as incorporated in this deed, the lessor will be at liberty to forfeit the security as a whole or a part thereof.

3. The lessor hereby declares and convenants with lessee as follows:-

(i) that the lessee, paying the rent hereby reserved and performing all the terms,conditions and covenants hereof on the part of the lessee to be performed, may hold and enjoy the said properties during the continuance of the tenancy hereby created without any interruption by the lessor or any other person on his behalf.

(ii) that the lessor may, on the expiry of the period of lease and at the request of the lessee, made six months report before the expiry of the period of lease, execute in favour of lessee a new lease deed in respect of the said properties on such terms, conditions and convenants as may be naturally agreed upon. But in case of disagreement or breach of any term of lease, the lessor will be fully authorised at his discretion to terminate the lease forthwith or not to grant renewal of the tenancy and take possession of the said properties, free from all liabilities.

4. The surety at the request of the lessee and in consideration of the lease hereby granted covenant with and guarantee to the lessee that the lessee shall duly pay the rents and perform all the terms, conditions and convenants hereof on the part of the lessee to be performed and that the guarantee is to continue in full force and effect, notwithstanding any time or other indulgence given by the lessor to the lessee or any other act or

thing whereby, but for this covenant, the surety would have been released.

5. It is further agreed between the parties hereof that if any dispute, doubt, difference or question shall arise between them, touching the construction, meaning or effect of these presents or any clause thereof or their respective rights or liabilities thereuder, the decision given by the Commissioner, Bikaner Division, Bikaner in respect of such dispute, doubt, difference or question shall be final and binding on the parties thereto.

6. It is also hereby agreed that all costs and expenses incidental to the preparation, execution etc., of this deed shall be payable by the lessee and the stamp duty and registration fee shall also be payable by the lessee.

7. It is further hereby agreed that it shall also be lawful for the lessor to recover from the lessee or surety arrears of rent or price of movable properties or any other amount recoverable on account of damages or compensation, together with costs of recovery under this deed as an arrear of land revenue under the provisions of the Rajasthan Public Demand Recovery Act, 1952 (Act V of 1952).

8. It is also agreed between the parties hereto that whenever such an interpretation would be required in order to given the fullest scope and effect legally possible to any terms, conditions, covenant or contract herein contained;

(i) the expression "Lessor" hereinbefore used includes the owner for the time being of the lessor's interest in the said properties and

(ii) the expression "Lessee" and "Surety" herein before used includes their respective Heirs successors, administrators and assigns".

The schedule referred to above.

In Witness whereof the parties hereto have hereunder signed this deed on the day and year. mentioned against their respective signatures.

Signed for and on behalf of
the Governor of Rajasthan
Sd/- G. S. Mehta.
Commissioner, Bikaner.

Date 27. 8. 1959.

Witnesses:

(1)..................

(2)..................

We agree to all the terms except the sub-clause (vi) of condition 2, besides there should be no restriction on our sub-letting the said premises.

Sd/- Balabakhash Tanka.
Sd/- Anand Raj.
Signature of Lessee.

Witnesses:

Sd/- Jhanwar lal.

(1)..................

(2)..................

Witnesses:

(1)..................

(2)..................

Sd/- H. N, Sharma.
Signature of Surety.

————

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ का उत्तर देखिये)

VEHICLE RUNNING ACCOUNT

Date 1	Particulars 2	Kellometer 3
8.2.60	Jaipur to Ratangarh	314. 5
2.3.60	Dariba)	
	Ghitial)	66. 5
	Baintha)	
	Bidasar)	
	Chhapar	19. 2
3.3.60	Hia Bas)	
	Dorani)	6. 8
	Rampura)	
	Chaiwas	12.2
	Chhapar	6. 8
	Ratangarh	47. 6
15.3.60	Churu	56. 3
23.3.60	Taranagar	82. 8
	Rajgarh	40. 8
	Neema & back	59. 8
	Sidhmukh)	86. 9
	Rajgarh)	
	Churu	119. 6
5.4.60	Ratangarh	56. 9
8.4.60	Rajaldesar.	22. 0
	Ratangarh.	21. 6

1	2	3
	Churu.	52. 4
11.4.60	Ramgarh.	18. 2
	Fatehpur.	24. 2
	Lachmangah.	27. 0
	Sikar.	33. 3
13.4-60	Nawalgarh.	37. 9
	Mukundgash.	40. 7
	Jhunjhanu	31. 4
	Alsisar.	29.9
	Malsisar.	7. 7
	Jhunjhunu	37. 4
	Sikar.	78. 9
14.4.60	Khoor.	30. 6
	Local,	16. 2
	Danta.	37. 7
	Ramgarh	7. 4
	Kachariawas.	13. 7
	Sikar.	75. 6
15-4.60	Piproli.	19. 6
	Chapoki.	46. 1
	Gohala.	21. 3
	Khandel.	21. 4
	Sikar.	54. 8
16.4.60	Reengus.	68. 8
	Srimadhopur.	12. 4
	Ajitgarh.	31. 5
	Kanwat.	29. 9
	Sirohi.	20. 1
	Khetri	46. 4

1	2	3	4
17.4.60	Singhana.	14.8	
	Khetri.	16. 1	
	NeemKathana.	41. 9	
	Khandela.	50. 2	
	Sikar.	59. 6	
18.4.60	Dundlod.	41. 5	
	Mandawa.	22. 3	
	Mahensar.	27. 0	
	Bissau.	7. 9	
	Churu.	16. 7	
	Bhalari.	41. 0	
	Udasar.	31. 6	
	Sardarshahar	28. 8	
	Sardarshahar Panchayht Samiti Office.	7. 5	
	Sawai Sanwalwas	13. 2	
	Dadisawal.	2. 2	
	Bhandwoo.	9. 3	
	Bhadaser.	9. 3	
	Momasar.	13. 0	
	Arsar.	14. 2	
	Dheersar.	3. 8	
9.5.60	Thakariasar.	10. 4	
	Sridungargarh	18. 8	
11.5.60	Hemasar.	8. 2	
	Bhojasar.	6. 1	
	Bassisar.	2. 6	
	Sri Dungargarh	14. 1	

Page No.143

1	2	3
12.5.60	Bana.	15. 8
	Badela.	20. 2
	Bidasar.	27. 6
	Chhrwas.	13. 6
	Chhapar.	17. 2
14.5.60	Sujangarh.	13. 3
	Chhapar.	17. 0
	Jogalia.	20. 3
	Chhapar.	19. 6
15.5.60	Parihara.	28. 4
	Ratangarh.	27. 9
16.5.60	Churu.	56. 3
29.5.60	Gorisar.	39. 1
30.5 60	Ratangarh.	13. 4
	Parihara.	25. 8
	Chhapar.	27. 8
31.5.60	Dariba.	16. 0
	Gopalpur.	18. 2
	Chhapar.	13. 2
	Churu.	104. 9
15.6.60	Dungargarh.	166. 2
16.6.60	Lakhisar	19. 8
	Jodhasar.	5. 8
	Dheer desar	59. 8
	Momasar.	16. 0
	Bhandoo.	31. 6
	Barisawi.	8. 2
	Churu.	94. 4

1	2	3	4
17.6.60	Ratangarh	13. 2	
	Churu.	13. 3	
20.6.60	Duchawas.	55. 4	
	Taranagar.	21. 9	
	Jajsantal.	12. 4	
	Guharia.	5. 7	
	Dadavwa.	10. 3	
	Rajgarh.	18. 2	
21.6.60	Nagli.	13. 4	
	Jena.	17. 8	
	Togawas.	39. 5	
	Rampur.	18. 2	
	Ghantol.	16. 4	
	Churu.	14. 7	
1.7.60	Bidasar.	124. 2	
2.7.60	Sujangarh.	43. 1	
	Chhapar.	16. 4	
3.7.60	Ratangarh.	47. 0	
	Churu.	56. 3	
8.7.60	Jaipur.	250. 3	
11.7.60	Churu.	252. 9	
15.7.60	Sardarshahar P. S. Office.	20. 3	
	Sardarshahar	8. 1	
	Bhalari.	41. 3	
	Churu.	40. 0	
19.7.60	Taranagar.	67. 7	
	Jaten.	17. 7	

1	2	3
	Rajpura.	6. 6
	Doodunkhara	10.0
	Sirsali.	8. 4
	Sirsali Stn.	3. 0
	Bhamas	20. 4
	Churu.	15. 2
27.760	Sardarshahar	78. 9
	Churu.	78. 9
24.7.60	Ratangarh.	19. 7
	Taragarh &	
	Depalsar.	5. 6
	Satra.	15. 2
	Churu.	40. 6
8.8.60	Doodwa Mitha	34. 3
	Pirthisar.	10. 6
	Balvasar.	9. 2
	Udasar.	14. 8
	Pulasar	14. 6
	Sardarshahar	19. 3
9.8.60	Bhadsa.	18. 2
	Gajjosar.	2. 6
	Thanasar.	4. 8
	Dhani Panchara.	14. 6
	Khandarwas.	8. 5
	Dhalwas.	7. 4
	Mahri.	8. 4
	Sardarshahar	45. 2
10.8.60	Gargachia.	10. 0
	Malasar.	13. 2

1	2	3
	Sardarshahar.	23. 2
	Churu.	75. 6
20.8.60	Ratangarh.	11. 2
	Churu.	11. 2
21.8.60	Taranagar.	80. 1
	Rajgarh.	46. 3
23.8.60	Neema.	32. 4
	Pilani.	19. 4
	Rajgarh.	45. 6
	Taranagar.	43. 2
	Churu.	80. 1
27.8.60	Jaipur.	258. 9
29.8.60	Churu.	258. 9
TOTAL:	160	6,204.9

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५०८ का उत्तर देखिए)

नाम कस्बा	तहसील
१. जोलाना डिस्पेन्सरी तृतीय श्रेणी	गढ़ी
२. पालोदा डिस्पेन्सरी तृतीय श्रेणी	गढ़ी
३. मोकमपुरा डिस्पेन्सरी तृतीय श्रेणी	कुशलगढ़
४. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छींज	बागीडोरा
५. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गनोडा	गंटोल

Page No.148

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, १० सितम्बर, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३२०६	८	जबाब मा तो	जबाब भी तो
३२१२	२५	अतऐव उनका	अतएव उनका
३२१३	४, ६ व ७	पुरष्कार	पुरस्कार
३२१६	२४	दिए ! वह	दिए वह
३२२२	२२	की (Concurrence) ली	की Concurrence ली
३२४०	१६	एकसन लिया	एकशन लिया
३२४४	६	: मझे	: मुझे
३२४८	२२	हुआ चुनाव	हुआ है चुनाव
३२५१	१३	प्रश्न संख्या ४६६	–
३२५७	अन्तिम से ४	श्री दामोदरलाल व्यास	श्री रामकिशोर व्यास
३२५८	१५	को उनको	को वे
३२६०	अन्तिम	have reselted	have resulted
३२६८	१३	प्रश्न निम्नलिखित है	[प्रश्न निम्न लिखित है :
३२७१	१७	motion moved	Motion moved
३२७२	शीर्ष	(श्री मैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
,,	२१	टर्नले ले	टर्न ले लें
३२७३	शीर्ष	इन्यादि [३३७३	इत्यादि [३३७३
३२८०	१३	असमलता पर	असफलता पर
३२८५	१६	न्यू प्रिन्ट	ब्ल्यू प्रिन्ट
३२८६	१५	प्रो स इस	प्रोग्रेस इस
३२९१	८	बिल्क जो	बल्कि जो
३२९४	१८	क्लेक्ट भी	कलेक्ट भी
३३००	२२	४४--राजस्व	४४-भू-राजस्व
३३०१	४	motion moved	Motion moved
३३०२	शीर्ष	(श्री लक्ष्यीचन्द)	(श्री लक्ष्मीचन्द)
३३०३ से ३३१५	शीर्षक	५४-राजस्व	५४-भू-राजस्व
३३०४	५	(किशनगढ़)	(कुशलगढ़)
३३१०	१६	गांवों के	हमारे गांवों के
,,	२०	उन स रे	उन सारे

१	२	३	४
३३१२	५	ज्यादा ज्यादा	ज्यादा से ज्यादा
,,	२७	मलेक्सन ग्रेड	सिलेक्शन ग्रेड
३३१६	११	प्रेश	प्रेस
३३२१	८	एस० पी० डी० वाई० एस० पी०	एस० पी०, डिप्टी० एस० पी०
३३२४	१३–१४	जिम्मेवारी से	जिम्मेवारी से
३३२८	अन्तिम से ३	लोग के	लोगों से
३३३२	१५	उनकी ही	उतनी ही
,,	२५	हेतु)"	हेतु)," है।
३३३३	१६	यह नहीं	यही नहीं
३३३५	३	बिकुल्ल	बिल्कुल
३३३८	शीर्ष	(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)	(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)
३३३६	६–७	चारों ओर	चारों ओर
३३४१	२	मा ीय	माननीय
३३४३	२७	क्या बे	क्या वे
३३४८, ३३५० व			
३३५२	शीर्षक	(श्री जर्नादनराय नागर)	(श्री जनार्दनराय नागर)
३३५५	२४	(क्रम भंग	क्रम भंग
,,	२५	in respcet	in respect
३३५६	अन्तिम से ४	कन्डेमेशन	कन्डेम्नेशन
३३६०	अन्तिम	है कि लेकिन	है लेकिन
३३६३	१६	दिलाई	दिला दे
३३६४	अन्तिम से ३	वाई० एस० पी०	डिप्टी एस० पी०
३३६५	१	,,	,,
,,	अन्तिम से ३	Shonld	Should
३३६६	४	Clartificaion	Clarification
३३७५	१२	चिड़ावा से	पिड़ावा से
३३७६	१२	यह है वह	वह यह है
,,	अन्तिम से २	अय्यूब के	श्री अय्यूब के
३३७७	३	में पड़त	में पड़ता
३३७६	२५	Fa act	a Fact
३३८०	२५	करता । था	करता था।
,,	२८	प्रतोक	प्रतीत

१	२	३	४
३३८२	२६	बातें हैं सुनते	बातें सुनते हैं
३३८४	६	आयत होती है।	आयद होती है।
३३८६	३	वैठे	बैठे
,,	५	आढ़	ओढ़
३३८८	६	हुआ । है	हुआ है ?
३३८९	११	गम्भीरता मुद्रा में	गम्भीर मुद्रा में
३३९०	१	हहले ही	पहले ही
,,	२७,२९व३१	ह	है
३३९४	अन्तिम से ४	बोडर पर	बोर्डर पर
३४०२	शीर्ष	(श्री श्रीम)	(श्री श्रीभानसिंह)
३४०३	८	r low	or low
३४०७	१९	मुवमेंट	मूवमेंट
३४२०	अन्तिम से २	अनुतान	अनुदान
३४२२	शीर्षक	३२२२	३४२२
३४२५	१९	आपको ध्र	आपके ध्र
,,	२०	उनके गलत	उनको गलत
३४२६	२३	रूल समय आया	समय रूल आया
३४२९	८	or not'	or not ?
,,	१६	Perview	Purview
३४३०	२०	Canvessed	Canvassed
,,	२४	Cncerned	concerned
३४३१	२२	Is it a leave	Is it the leave
३४३२	१०	now th	now the
३४३४	२८	उसा पर	उसी पर
३४३७	११	का माइका	माइका का
३४४०	१	साईका	माईका
३४४३	१४	सोठ गांठ	सांठ–गांठ
३४४६	११	उत्तर सदन	उत्तर के पश्चात् मांग सदन
३४४७	८	बहत में	बहस में
,,	१२–१३	श्री रामजस तार बाबू की गिरफ्तारी	शेष मांगों पर मुखबन्ध
३४४९	६	वियधेक	विधेयक
,,	८	परिषद्	परिषद् अधिनियम

१	२	३	४
३४५.१	अन्तिम से ३	(Powes)	Power
३४५२	कॉलम सं २		
	पंक्ति १-२	minimun	minimum
,,	११	then 0/4—	than 0/4/—
३४५५	सीरियल १२		
	के कॉलम ३		
	की पंक्ति ७	Rs. 1/-payment	Payment
३४५८	१	AGWARA	SAGWARA
,,	सीरियल २४		
	के नीचे	Lighting 5np	Lighting 65 n. p.
३४६४	२५	Heirs Successors	Heirs, successors
३४६७	कॉलम २		
	पंक्ति ७	Mukundgash	Mukundgarh.
३४६६	कॉलम २		
	पंक्ति ४	Chhrwas	Chhrwas.